



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/डीओआर/2025-26/366

डीओआर.एफ़आईएन.आरईसी सं: 285/03-10-119/2025-26

28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर) निदेश, 2025
(10 मार्च 2026 तक अद्यतित)

विषय सूची

अध्याय I – प्रारंभिक.....	2
अध्याय II - पंजीकरण.....	7
अध्याय III - पूंजीगत निधि और पूंजीगत आवश्यकताएँ	9
अध्याय IV - निधि के स्रोत और प्रयोज्यता.....	44
अध्याय V - अन्य विवेकपूर्ण विनियमन	59
अध्याय VI – अभिशासन के मुद्दे - कॉर्पोरेट अभिशासन.....	62
अध्याय VII - विविध अनुदेश	65
अध्याय VIII - रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ.....	67
अध्याय IX - निरसन और अन्य प्रावधान.....	68
अनुबंध I	70
अनुबंध II	71
अनुबंध III.....	73
अनुबंध IV.....	74

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45जेए, 45के, 45एल और 45एम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने, सार्वजनिक हित में यह आवश्यक समझा है, और इस बात से संतुष्ट होकर कि, देश के हित के लिए वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, और किसी स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर (एसपीडी) के मामलों को निवेशकों के हित के लिए विघातक तरीके से या ऐसे एसपीडी के हित के लिए प्रतिकूल तरीके से संचालित करने से रोकने के लिए, इसके द्वारा प्रत्येक एसपीडी को, इसके बाद निर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I – प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. यह निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. यह निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत सभी स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) पर लागू होंगे।
4. यह निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग द्वारा जारी विनियमों को समेकित करता है। हालांकि, रिज़र्व बैंक के किसी अन्य विभाग द्वारा जारी एसपीडी पर लागू कोई अन्य दिशानिर्देशों/ निदेशों का पालन करना होगा।

सी. अन्य निदेशों की प्रयोज्यता

5. उपरोक्त दिए गए निदेशों की प्रयोज्यता के बावजूद, निम्नलिखित निदेश में दिए गए दिशानिर्देश, जहां इन निदेशों के विरोधाभासी नहीं हैं, लेयर-वार प्रयोज्यता के अधीन, एसपीडी पर भी लागू होंगे:

- (1) [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा\) निदेश, 2025](#)
- (2) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - अभिशासन) निदेश, 2025 के पैरा 7 से 9, 12 से 18 और 25 से 40
- (3) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) निदेश, 2025 का पैरा 26 से 33 और पैरा 50 से 51

- (4) [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - आउटसोर्सिंग में जोखिम का प्रबंधन\) निदेश, 2025](#)
- (5) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - अपने ग्राहक को जानिए) निदेश, 2025
- (6) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 का पैरा 16 और 54
- (7) [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण\) निदेश, 2025](#) पैरा 13 से 15 और 20 को छोड़कर
- (8) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - सकेन्द्रण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 का पैरा 24
- (9) [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड\) निदेश, 2025](#)
- (10) [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - विविध\) निदेश, 2025](#) का पैरा 6 से 8, 14, 15, 25 और 26
- (11) [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - स्वैच्छिक सम्मेलन\) निदेश](#)

6. इन निदेशों के प्रावधान, समय-समय पर लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अपवाद में।
7. एसपीडी समय-समय पर संशोधित 'परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन आघात-सहनीयता पर मार्गदर्शी नोट' का उपयोग कर सकता है।

डी. एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन के तहत विनियामक संरचना

8. एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन के तहत [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा\) निदेश, 2025](#) के तहत निर्दिष्ट विनियामक संरचना के अनुसार एसपीडी को हमेशा मध्य परत में रखा जाएगा।

ई. परिभाषाएँ

9. इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यकता न हो :
 - (1)"अधिनियम" से तात्पर्य है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934;
 - (2)"प्रतिपक्षी क्रेडिट जोखिम (सीसीआर)" वह जोखिम है जो कि लेनदेन के अंतिम निपटान से पहले लेनदेन का प्रतिपक्ष चूक सकता है। यदि प्रतिपक्ष के साथ लेनदेन या लेनदेन के पोर्टफोलियो में चूक के समय सकारात्मक आर्थिक मूल्य होता है तो आर्थिक नुकसान होगा। सीसीआर नुकसान का

द्विपक्षीय जोखिम बनाता है: लेनदेन का बाजार मूल्य लेनदेन के प्रतिपक्ष के लिए सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। बाजार मूल्य अनिश्चित है और अंतर्निहित बाजार कारकों के उतार-चढ़ाव के साथ भिन्न हो सकता है।

(3) "नेटिंग सेट" एक ही प्रतिपक्ष के साथ किए गए लेनदेन का समूह है जो कानूनी रूप से लागू होने वाले द्विपक्षीय नेटिंग व्यवस्था के दायरे में आते हैं और जिनके लिए विनियामक पूंजी उद्देश्यों के लिए नेटिंग को मान्यता दी जाती है। ऐसा कोई भी लेनदेन जो विनियामक पूंजी उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त कानूनी रूप से लागू होने वाले द्विपक्षीय नेटिंग व्यवस्था के दायरे में नहीं आता है, उसे इन नियमों के उद्देश्य से अपना अलग नेटिंग सेट माना जाना चाहिए। क्रॉस-प्रोडक्ट नेटिंग, अर्थात् एक ही नेटिंग सेट में विभिन्न उत्पाद श्रेणियों (ओटीसी व्युत्पन्न लेनदेन और रेपो/ रिवर्स रेपो) के लेनदेन को शामिल करने की अनुमति नहीं है।

(4) "प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (एसएफटी)" पुनर्खरीद करार, प्रतिवर्ती पुनर्खरीद करार, प्रतिभूति ऋण और उधार तथा संपार्श्विक ऋण और उधार (सीबीएलओ) जैसे लेनदेन हैं, जहां लेनदेन का मूल्य बाजार मूल्यांकन पर निर्भर करता है और लेनदेन अक्सर मार्जिन करार के अधीन होते हैं।

(5) "गौण ऋण (एसडी)" का अर्थ का अर्थ है पूर्णतः चुकता, गैर-जमानती अन्य ऋणदाता के दावों से गौण, प्रतिबंधित खण्डों से मुक्त और धारक के अनुरोध पर अथवा बैंक की सहमति के बिना विमोच्य नहीं होने वाला लिखत 5 वर्ष से कम की प्रारंभिक परिपक्वता वाले या एक वर्ष से कम की शेष परिपक्वता वाले एसडी लिखतों को टियर 2 पूंजी के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। टियर 2 पूंजी के लिए पात्र एसडी लिखत टियर 1 पूंजी के 50 प्रतिशत तक सीमित होंगे। इसे जारी करने हेतु [अनुबंध 1](#) में दिये अनुसार एसडी बॉण्ड (टियर 2 पूंजी) पर जारी दिशानिर्देश का अनुपालन करना होगा। उक्त एसडी लिखतों को निम्नानुसार बढ़ा दर लागू होगा:

लिखतों की शेष परिपक्वता	बढ़ा दर (%)
एक वर्ष से कम	100
एक वर्ष से अधिक किंतु दो वर्ष से कम	80
दो वर्ष से अधिक किंतु तीन वर्ष से कम	60
तीन वर्ष से अधिक किंतु चार वर्ष से कम	40
चार वर्ष से अधिक किंतु पांच वर्ष से कम	20

(6) ¹["टियर 1 पूंजी" का अर्थ है चुकता पूंजी, सांविधिक आरक्षित निधि और अन्य घोषित निर्बंध

¹ दिनांक 10 मार्च, 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स) संशोधन निर्देश, 2026 के माध्यम से 10 मार्च, 2026 से प्रभावी तौर से अंतःस्थापित।

आरक्षित निधियाँ, जिसमें त्रैमासिक लाभ भी शामिल हैं। त्रैमासिक लाभ को शामिल करना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

- (i) वित्तीय विवरणों की त्रैमासिक आधार पर वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा/लेखापरीक्षा की जाएगी।
- (ii) ऐसे लाभ में से पिछले तीन वर्षों में भुगतान किए गए औसत लाभांश को घटाया जाएगा और शामिल किए जाने योग्य राशि की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी:

$$EPt = NPt - 0.25 * D * t$$

जहाँ:

EPt = चालू वित्तीय वर्ष की तिमाही 't' तक का पात्र लाभ, जहाँ t 1 से 4 तक भिन्न हो सकता है।

NPt = तिमाही 't' तक का शुद्ध लाभ।

D = पिछले तीन वित्तीय वर्षों से संबंधित/ भुगतान किया गया औसत लाभांश।

चालू वर्ष में हुई हानि को टियर 1 पूंजी से पूर्णतः घटाया जाएगा।

सहायक कंपनियों में निवेश (जहाँ लागू हो), अमूर्त आस्तियों, चालू वित्त वर्ष में हानि, आस्थगित कर आस्तियों, और गत लेखांकन अवधि से लायी गई हानियों को टियर -1 पूंजी से घटाया जाएगा।]

स्पष्टीकरण :

- (i) यदि किसी एसपीडी द्वारा समूह की अन्य कंपनियों में व्यावसायिक सम्बन्ध से नहीं जुड़ा हुआ ऋणों और अग्रिमों के रूप में दिया पर्याप्त हित/एक्सपोजर है (जैसा कि एनबीएफसी के लिए परिभाषित किया गया है), तो इस राशि को टियर 1 पूंजी से घटा दिया जाएगा।
- (ii) एसपीडी को स्वामित्व वाली निधि से राइट-ऑफ-यूज़ (आरओयू) आस्ति (आईएस 116-पट्टे के संदर्भ में बनाई गई) की कटौती करने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते पट्टे पर ली गई अंतर्निहित आस्ति एक मूर्त आस्ति हो।

(7) "टीयर 2 पूंजी" में निम्नलिखित शामिल हैं :

- (i) अव्यक्त आरक्षित निधि और संचयी अधिमानी शेयर (अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय को छोड़कर)। संचयी अधिमानी शेयर पूर्णतः चुकता होगी और और धारक द्वारा मोचन की अनुमति देने वाला कोई खंड शामिल नहीं होगा।

नोट: संचयी अधिमानी शेयर संचित हो जाते हैं जब कोई लाभांश देय होने पर भुगतान नहीं किया जाता है और किसी भी साधारण शेयर पर लाभांश का भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक संचयी पर बकाया पूरा लाभांश अदा नहीं कर दिया जाता है।

- (ii) 55 प्रतिशत के बढ़ा दर पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि;
- (iii) जोखिम भारित परिसंपत्तियों के 1.25 प्रतिशत की सीमा तक सामान्य प्रावधान एवं हानि आरक्षित निधि, (जिसका किसी विशिष्ट आस्थि के मूल्य में वास्तविक कमी अथवा उसमें ज्ञातव्य संभावित हानि से संबंध नहीं लगाया जा सकता और जो अप्रत्याशित हानि को पूरा करने के लिए उपलब्ध रहती हैं);
- (iv) संमिश्र (हाइब्रिड) ऋण पूंजी लिखत; जिसमें इक्विटी और ऋण दोनों की कुछ विशेषताएं हों।
- (v) गौण ऋण

10. इसमें प्रयुक्त ऐसे शब्द अथवा अभिव्यक्तियाँ, किन्तु जो यहां परिभाषित नहीं हैं और आरबीआई अधिनियम में परिभाषित की गई है, का वही अर्थ होगा जो आरबीआई अधिनियम में है। इसमें प्रयुक्त अन्य शब्द अथवा अभिव्यक्तियाँ, किन्तु जो आरबीआई अधिनियम अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी निदेश में परिभाषित नहीं हैं, का यथास्थिति वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम 1956 अथवा कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम 18) में नियत है।



अध्याय II - पंजीकरण

ए. बोर्ड की भूमिका

11. एसपीडी सुदृढ़ कॉर्पोरेट अभिशासन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को लागू करेंगे और सावधिक समीक्षा प्रणाली स्थापित करेंगे। बोर्ड या इसकी समिति (समितियों) द्वारा अनुमोदित ऐसी नीतियों की दृष्टांत सूची नीचे दी गई है। इन नीतियों में जिन विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान दिया जाना है, उनका ब्यौरा इन निर्देशों के प्रासंगिक पैरा में दिया गया है।

- (1) पूंजी के आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति।
- (2) अंतर कॉर्पोरेट जमाराशियाँ (आईसीडी) के लिए नीति।
- (3) निवेश नीति।
- (4) निदेशकों के उपयुक्त और उचित मानदंड पर नीति।
- (5) मुआवजा पर नीति।
- (6) विदेशी मुद्रा व्यवसाय आरंभ करने और उसकी निगरानी पर नीति।
- (7) म्यूचुअल फंड का वितरण करने से संबंधित नीति।
- (8) आउटसोर्सिंग नीति।
- (9) डीएसए/डीएमए/ वसूली एजेंटों के लिए आचार संहिता।

12. बोर्ड या इसकी समिति (समितियों) द्वारा की गयी समीक्षाओं की दृष्टांत सूची नीचे दी गई है। इन समीक्षाओं में जिन विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान दिया जाना है, उनका ब्यौरा इन निदेशों के प्रासंगिक पैरा में दिया गया है।

- (1) गैर-सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कम से कम तिमाही अंतराल पर।
- (2) आउटसोर्सिंग रणनीतियाँ और उनकी निरंतर प्रासंगिकता, और सुरक्षा और सुदृढ़ता के लिए व्यवस्था।
- (3) महत्वपूर्ण आउटसोर्सिंग के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड की अर्धवार्षिक समीक्षा।
- (4) एसपीडी द्वारा अनुसरण की गई प्रगतिशील जोखिम प्रबंधन प्रणाली और जोखिम प्रबंधन नीति और रणनीति को लागू करने में की गई प्रगति।
- (5) कॉर्पोरेट अभिशासन मानकों का अनुपालन।
- (6) आउटसोर्स किए गए वेंडर के समायोजन के लिए लंबित प्रविष्टियों का एजिंग विश्लेषण एसीबी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।

बी. रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकरण

13. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 45-आईए की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उस संबंध में इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक, एतद्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) के रूप में दस करोड़ रुपये निर्दिष्ट करता है, सिवाय जहां कहीं भी अन्यथा एनओएफ के संबंध में विशिष्ट आवश्यकता रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। एसपीडी के रूप में कार्य करने का प्राधिकरण एनबीएफसी द्वारा समय-समय पर रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन है।

सी. एफएटीएफ गैर-अनुपालन क्षेत्राधिकारों से निवेश

14. एसपीडी [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा\) निदेश, 2025](#) के पैरा 47 और 48 का संदर्भ लेंगे।

अध्याय III - पूंजीगत निधि और पूंजीगत आवश्यकताएँ

ए. पूंजीगत निधि

15. पूंजीगत निधि में टियर 1 और टियर 2 पूंजी शामिल हैं।

बी न्यूनतम सीआरएआर अनुपात

16. एसपीडी को निरंतर आधार पर जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) कम से कम 15 प्रतिशत बनाए रखने की आवश्यकता है।

सी जोखिम भारित आस्तियों का मापन

17. तुलन पत्र और तुलनपत्रेत्तर विभिन्न मदों के लिए ऋण जोखिम भारिता का विवरण और ऋण जोखिम के लिए ऋण जोखिम आस्तियों की गणना की विधि नीचे दी गई है।

डी. क्रेडिट जोखिम के लिए पूंजी पर्याप्तता

18. जब एक पक्षकार अनुबंधित समझौते या लेनदेन के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो या प्रतिबद्धताओं पर चूक करे तो इसे ऋण जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है।

डी.1 सीआरएआर की गणना के लिए जोखिम भारिता

डी.1.1 तुलन पत्र की आस्तियां

19. तुलन पत्र के सभी मदों को ऋण जोखिम की डिग्री के अनुसार प्रतिशत भारिता प्रदान की जाती है। प्रत्येक आस्ति/मद के मूल्य को नीचे दिये गए विवरण के अनुसार संबंधित जोखिम भार से गुणा किया जाएगा ताकि आस्ति का जोखिम समायोजित मूल्य प्राप्त हो सके। न्यूनतम पूंजी अनुपात की गणना के लिए जोखिम भारित आस्तियों के योग को माना जाएगा।

आस्ति /मद की प्रकृति		प्रतिशत भारिता
(i)	नकद शेष राशि और आरबीआई के पास चालू खाते में शेष राशि	0
(ii)	जमा प्रमाण पत्र और बैंक के पास चालू खाते में शेष राशि समेत बैंकों/ वित्तीय संस्थानों (एफआई) के कॉल/ नोटिस मनी मार्केट/ अन्य मनी मार्केट लिखत में उधार दी गई राशि	20
(iii)	निवेश	
(ए)	सरकार की केंद्र/ राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत अनुमोदित प्रतिभूतियां [नीचे (ई) के अतिरिक्त]	0

	(बी)	सावधि जमा, बैंकों और एफआई के बांड	20
	(सी)	टियर-II पूंजी के रूप में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी बांड	100
	(डी)	सभी कंपनियों के शेयर और उपर्युक्त (बी) के अलावा अन्य कंपनियों के डिबेंचर/ बांड/ वाणिज्यिक पत्र/ म्यूचुअल फंड की इकाइयां	@
	(ई)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियाँ लेकिन बाजार उधार कार्यक्रम के बाहर जारी की गई	20
	(एफ)	पीडी की प्रतिभूतियाँ और अन्य दावे	100
	(जी)	अन्य पीडी द्वारा जारी किए गए गौण ऋण	100
(iv)	चालू आस्तियां		
	(ए)	कर्मचारियों को ऋण	100
	(बी)	अन्य सुरक्षित ऋण और अग्रिम जिनको उचित माना जाता है	100
	(सी)	अन्य (निर्दिष्ट किए जाने है)	100
(v)	अचल आस्ति (मूल्यहास के पश्चात शुद्ध)		
	(ए)	पट्टे पर दी गई आस्ति (बही खाते में दर्ज निवल मूल्य)	100
	(बी)	अचल आस्तियां	100
(vi)	अन्य आस्तियां		
	(ए)	स्रोत पर आयकर कटौती (निवल प्रावधान)	0
	(बी)	भुगतान किया गया अग्रिम कर (निवल प्रावधान)	0
	(सी)	सरकारी प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज	0
	(डी)	अन्य (आरओयू आस्ति) अन्य (प्रतिपक्ष के अनुसार निर्दिष्ट और जोखिम भारिता प्रदान किया जाना)	100 X

नोट:	(1)	समायोजन केवल उन आस्तियों के लिए किया जाएगा जहां मूल्यहास या अशोध और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किए गए हैं।
	(2)	पूंजी निधि से जो आस्तियां घटाई गई है, उनमें जोखिम भारिता शून्य होगी।

	(3)	पीडी चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों से चालू देनदारियों और प्रावधानों को अपने तुलन पत्र में समायोजित कर सकते हैं, क्योंकि तुलन पत्र कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किया जाता है। पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए, ऊपर बतायी गई सीमा को छोड़कर कोई अन्य समायोजन नहीं किया जाना चाहिए।
--	-----	--

@ कॉर्पोरेट बॉन्ड में अपने निवेश के लिए एसपीडी द्वारा बॉन्ड की रेटिंग के अनुसार जोखिम भारिता डी जाएगी:

अल्प अवधि वाले लिखत (1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाले बॉन्ड)

केयर	क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड	इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स)	आईसी आरए	ब्रिकवर्क	एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड (एक्यूट)	इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग लिमिटेड	जोखिम भार (प्रतिशत)
केयर A1+	क्रिसिल A1+	IND A1+	ICRA A1+	ब्रिकवर्क A1+	एक्यूट A1+	IVR A1+	20
केयर A1	क्रिसिल A1	IND A1	ICRA A1	ब्रिकवर्क A1	एक्यूट A1	IVR A1	30
केयर A2	क्रिसिल A2	IND A2	ICRA A2	ब्रिकवर्क A2	एक्यूट A2	IVR A2	50
केयर A3	क्रिसिल A3	IND A3	ICRA A3	ब्रिकवर्क A3	एक्यूट A3	IVR A3	100
केयर A4 & D	क्रिसिल A4 & D	IND A4 & D	ICRA A4 & D	ब्रिकवर्क A4 & D	एक्यूट A4 & D	IVR A4 & D	150
बिना रेटिंग का	बिना रेटिंग का	बिना रेटिंग का	बिना रेटिंग का	बिना रेटिंग का	बिना रेटिंग का		100

दीर्घावधि वाले लिखत (बॉन्ड > 1 वर्ष की परिपक्वता अवधि)

रेटिंग	एएए	एए	ए	बीबीबी	≤ बीबी	अनरेटेड
जोखिम भारिता	20	30	50	100	150	100

डी.1.2 तुलन पत्रेतर मदें

20.तुलन पत्रेतर मदों से जुड़े ऋण जोखिम एक्सपोजर की गणना पहले नीचे बताए गए क्रेडिट रूपांतरण कारक (सीसीएफ) से प्रत्येक तुलन पत्रेतर मद के अंकित मूल्य को गुणा करके की जाएगी। इसके बाद इसे फिर से तुलन पत्र के मदों के तहत निर्दिष्ट प्रासंगिक प्रतिपक्ष की भारिता से गुणा करना होगा जैसा कि तुलन-पत्र की मदों के तहत निर्दिष्ट किया गया है।

	मद की प्रकृति	सीसीएफ प्रतिशत
(i)	शेयर/ डिबेंचर/ स्टॉक अंडररिटन	50
(ii)	आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयर/ डिबेंचर/ अन्य प्रतिभूतियां और वास्तविक हस्तांतरण	100
(iii)	इक्विटी डेरिवेटिव में अंतर्निहित काल्पनिक इक्विटी/ इंडेक्स स्थिति*	100
(iv)	बिल बट्टाकृत/ पुनर्बट्टाकृत	100
(v)	एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ स्टैंडबाय सुविधाएँ जैसी स्टैंड बाय प्रतिबद्धता और अन्य आकस्मिक देयताएं /प्रतिबद्धताएं	50
(vi)	एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता की समान आकस्मिक देयताएं /प्रतिबद्धताएं या जिन्हें किसी भी समय बिना शर्त निरस्त किया जा सकता है	0

* इक्विटी डेरिवेटिव में अंतर्निहित काल्पनिक स्थिति की गणना पर दिशा निर्देशों के लिए, कृपया इन दिशानिर्देशों के पैरा 88 से 90 देखें।

नोट: रूपांतरण कारक लागू करने से पहले नकद मार्जिन/ जमा को घटाया जाना चाहिए

डी.1.3 ब्याज दर संविदा

(i) सामान्य

21.ब्याज दर डेरिवेटिव करारों के लिए कुल जोखिम भारिता की गणना दो-चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से की जानी चाहिए:

- (ए) वर्तमान एक्सपोजर विधि लागू करके लेनदेन की काल्पनिक राशि को क्रेडिट समकक्ष राशि में परिवर्तित करके प्रतिपक्ष क्रेडिट एक्सपोजर की गणना करें और
- (बी) उक्त के परिणामस्वरूप क्रेडिट समकक्ष राशि को प्रतिपक्ष या आस्ति के प्रकार पर लागू जोखिम भारिता, जो भी अधिक हो, उससे गुणा जाएं।

(ii) **वर्तमान एक्सपोजर विधि (डिफ़ॉल्ट जोखिम के लिए पूंजी शुल्क मापने के लिए उपयुक्त)**

22.वर्तमान एक्सपोजर विधि का उपयोग करके गणना की गई ब्याज दर डेरिवेटिव करारों की क्रेडिट समकक्ष राशि, वर्तमान क्रेडिट एक्सपोजर और इन करारों के संभावित भविष्य के क्रेडिट एक्सपोजर का योग है।

23.क्रेडिट एक्सपोजर की गणना करते समय एसपीडी 'बेचे गए विकल्पों' को बाहर कर सकते हैं जो नेटिंग और मार्जिन समझौतों से बाहर हैं, बशर्ते कि संपूर्ण प्रीमियम/ शुल्क या अन्य कोई आय प्राप्य/ प्राप्त हो चुका हो।

24.वर्तमान क्रेडिट एक्सपोजर को इन करारों के धनात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्तमान एक्सपोजर विधि को इन करारों को बाजार में मार्क टू मार्केट करके वर्तमान एक्सपोजर की आवधिक गणना की आवश्यकता होती है, इस प्रकार वर्तमान एक्सपोजर प्राप्त करना होता है। द्विपक्षीय नेटिंग व्यवस्था के मामले में, पैरा 30 में निर्दिष्ट परिभाषा देखें।

25.संभावित भविष्य क्रेडिट एक्सपोजर को इन करारों में से प्रत्येक की काल्पनिक मूल राशि को लिखत की प्रकृति और अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार नीचे इंगित के हिसाब से संबंधित ऐड-ऑन फैक्टर से गुणा करके निर्धारित किया जाता है, भले ही करार में शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक मार्क टू मार्केट मूल्य हो।

सारणी 1: ब्याज दर डेरिवेटिव करारों के लिए क्रेडिट रूपांतरण कारक (सीसीएफ)

अवशिष्ट परिपक्वता	सीसीएफ (%)
	ब्याज दर डेरिवेटिव करार
एक वर्ष या उससे कम	0.50
एक वर्ष से अधिक पांच वर्ष तक	1.00
पांच वर्ष से अधिक	3.00

26.मूलधन के अनेक विनिमय वाली संविदाओं के लिए, ऐड-ऑन कारकों को संविदा में शेष भुगतानों की संख्या से गुणा किया जाना है।

27.निर्दिष्ट भुगतान तिथियों के बाद बकाया जोखिम को निपटाने हेतु संरचित करारों के लिए जहां शर्तों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि करार का बाजार मूल्य इन निर्दिष्ट तिथियों पर शून्य हो, अवशिष्ट परिपक्वता अगले पुनर्निर्धारित तिथि तक के बराबर निर्धारित की जाएगी। हालांकि, ब्याज दर करारों के लिए, जिनमें एक वर्ष से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वताएं हैं और उपरोक्त मानदंडों को पूरा

करती हैं, सीसीएफ या ऐड-ऑन फैक्टर 1.0 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर रहेगा।

28. किसी एकल मुद्रा फ्लोटिंग/ फ्लोटिंग ब्याज दर स्वेप के लिए संभावित भविष्य क्रेडिट एक्सपोजर की गणना नहीं की जाएगी; इन करारों पर क्रेडिट एक्सपोजर का मूल्यांकन केवल उनके मार्क-टू-मार्केट मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

29. संभावित भविष्य के एक्सपोजर 'प्रकट काल्पनिक मात्रा' के बजाय 'प्रभावी' राशि पर आधारित होने चाहिए। ऐसी स्थिति में जहाँ 'बताई गयी काल्पनिक राशि' लीवरेज है या लेनदेन की संरचना द्वारा बढ़ाया जाता है, एसपीडी को संभावित भविष्य के एक्सपोजर का निर्धारण करते समय 'प्रभावी काल्पनिक राशि' का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, लागू दर के दो गुना की आंतरिक दर के आधार पर भुगतान के साथ 5 करोड़ रुपये की बताई गई काल्पनिक राशि में 10 करोड़ रुपये की प्रभावी काल्पनिक राशि होगी।

(iii) द्विपक्षीय नेटिंग व्यवस्था

30. "वर्तमान एक्सपोजर" शून्य, या एक प्रतिपक्ष के साथ नेटिंग सेट के भीतर लेनदेन या लेनदेन के पोर्टफोलियो का बाजार मूल्य में से बड़ा वाला है, जो प्रतिपक्ष के डिफ़ॉल्ट होने पर खो जाएगा, यह मानते हुए कि दिवालियापन में उन लेनदेन के मूल्य पर कोई वसूली नहीं होगी। वर्तमान जोखिम को अक्सर प्रतिस्थापन लागत (आरसी) भी कहा जाता है।

31. जब पैरा 64 में निर्दिष्ट प्रभावी द्विपक्षीय नेटिंग संविदाएँ लागू होती हैं, तो वर्तमान एक्सपोजर अर्थात् प्रतिस्थापन लागत निवल प्रतिस्थापन लागत होगी और संभावित भविष्य के एक्सपोजर अर्थात् ऐड-ऑन नीचे दी गई गणना के अनुसार A_{Net} होगा :

(1) द्विपक्षीय रूप से शुद्ध वायदा लेनदेन पर क्रेडिट एक्सपोजर की गणना शुद्ध मार्क-टू-मार्केट प्रतिस्थापन लागत, यदि सकारात्मक है, और कल्पित अंतर्निहित मूलधन के आधार पर एक ऐड-ऑन, के योग के रूप में की जाएगी। नेट किए गए लेन-देन के लिए ऐड-ऑन (A_{Net}) सकल ऐड-ऑन (A_{Gross}) के भारित औसत और सकल वर्तमान प्रतिस्थापन लागत के लिए सकल वर्तमान प्रतिस्थापन लागत (एनजीआर) के अनुपात द्वारा समायोजित सकल ऐड-ऑन के बराबर होगा.

यह निम्नलिखित सूत्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है:

$$A_{Net} = 0.4 * A_{Gross} + 0.6 * NGR * A_{Gross}$$

जबकि :

एनजीआर (NGR) = लेन-देन के लिए निवल प्रतिस्थापन लागत का स्तर/ सकल प्रतिस्थापन लागत का स्तर, जो कानूनी रूप से लागू किए जाने वाले नेटिंग करारों के अधीन है।

नोट: एसपीडी को एक प्रतिपक्ष द्वारा प्रतिपक्ष द्वारा सभी लेन-देन के लिए जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य नेटिंग समझौतों के अधीन हैं, पर एनजीआर की गणना करनी चाहिए।

AGross = व्यक्तिगत ऐड-ऑन राशियों का योग (पैराग्राफ 25 के तहत तालिका 1 और इन निर्देशों के पैराग्राफ 65 के तहत तालिका और पैराग्राफ 10 के तहत तालिका 3, और इन निर्देशों के [अनुबंध IV](#) के पैरा 12 के तहत तालिका 4 में निर्धारित उपयुक्त ऐड-ऑन कारकों द्वारा काल्पनिक मूल राशि को गुणा करके गणना की जाती है, जो एक प्रतिपक्ष के साथ कानूनी रूप से लागू करने योग्य नेटिंग समझौतों के अधीन है।

- (2) वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं और अन्य समान संविदाओं के लिए एक नेटिंग प्रतिपक्ष के लिए संभावित भविष्य के जोखिम की गणना करने के प्रयोजनों के लिए, जिसमें कल्पित मूल राशि नकदी प्रवाह के बराबर है, कल्पित मूलधन को प्रत्येक मुद्रा में प्रत्येक मूल्य तिथि पर आने वाली शुद्ध प्राप्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका कारण यह है कि एक ही तिथि को परिपक्व होने वाले एक ही मुद्रा में संविदाओं को ऑफसेट करने से भविष्य के जोखिम के साथ-साथ वर्तमान जोखिम भी कम होगा।

डी.1.4 रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए पूंजीगत प्रभार:

32. रिपो-स्टाइल लेनदेन में ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के अलावा प्रतिपक्ष ऋण जोखिम (सीसीआर) के लिए पूंजी प्रभार लगाना चाहिए। सीसीआर को रिपो-स्टाइल लेनदेन में प्रतिपक्ष द्वारा डिफॉल्ट के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति उधार/ गिरवी/ बिक्री या नकदी की अदायगी न हो।

(i) धन के उधारकर्ता की पुस्तकों में व्यवस्था:

33. किसी पीडी द्वारा प्रतिभूतियों के जमानत के रूप में बेच/ ऋण या पोस्टिंग करके निधि उधार लिए जाने की स्थिति में एक्सपोजर तुलन-पत्रेतर एक्सपोजर होगा जो नीचे पैरा 42 से 48 में दिये गए विवरण के अनुसार उचित हेयरकट लागू करके प्राप्त की गई/ बेची गई प्रतिभूतियों के 'बाजार मूल्य' के बराबर होगा। 100 प्रतिशत का क्रेडिट कनवर्जन फैक्टर लागू करके 'तुलन-पत्रेतर एक्सपोजर' को 'तुलन-पत्र' समकक्ष एक्सपोजर में परिवर्तित किया जाएगा।

34.प्राप्त धन की राशि को उधार/ बेचा/ गिरवी प्रतिभूतियों के लिए जमानत के रूप में माना जाएगा।
चूंकि जमानत नकद है, इसलिए इसके लिए हेयरकट शून्य होगा।

35.उपर्युक्त पैरा 33 से प्राप्त ऋण समकक्ष राशि के लिए, नकद जमानत को छोड़कर निवल राशि पर प्रतिपक्ष पर लागू जोखिम भारिता लागेगी।

36.चूंकि प्रतिभूतियां रिपो अवधि के बाद उधार लेनेवाली पीडी की खाता पुस्तकों में वापस आ जाएंगी, वे प्रतिभूतियों उन मामलों में के ऋण जोखिम के लिए पूंजी बनाए रखेगी, जहां रेपो में शामिल प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, और उन मामलों में बाजार जोखिम के लिए पूंजी को बनाए रखेगी जहां प्रतिभूतियां एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत रखी जाती है। ऋण जोखिम/ विशिष्ट जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का निर्धारण प्रतिभूति के जारीकर्ता की क्रेडिट रेटिंग के अनुसार किया जाएगा। सरकारी प्रतिभूतियों के लिए, ऋण/ विशिष्ट जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार शून्य होगा।

(ii) निधि के ऋणदाता की खाता पुस्तकों में व्यवस्था:

37.उधार दी गई राशि को रिपो के अंतर्गत स्वीकार की गई प्रतिभूतियों द्वारा जमानित तुलन पत्र में शामिल / वित्त पोषित प्रतिपक्षी एक्सपोजर माना जाएगा।

38.एक्सपोजर, नकदी में होने के कारण हेयर कट शून्य माना जाएगा।

39.उचित हेयरकट के अनुसार संपार्श्विक को नीचे की ओर समायोजित /चिह्नित किया जाएगा।

40.संपार्श्विक की समायोजित राशि को घटाने के बाद प्राप्त एक्सपोजर राशि पर प्रतिपक्ष पर लागू जोखिम भारिता लगाई जाएगी, क्योंकि यह एक तुलनपत्र से संबन्धित एक्सपोजर है।

41.ऋण देने वाली पीडी रिपो अवधि के दौरान संपार्श्विक के रूप में इसे प्राप्त प्रतिभूति के लिए कोई पूंजी प्रभार नहीं रखेगी, क्योंकि इस तरह के संपार्श्विक को तुलन पत्र में शामिल नहीं किया जाता है बल्कि इसे केवल अमानतदार के रूप में रखा जाता है।

(iii) हेयर कट

42.एसपीडी को एक्सपोजर के साथ-साथ संपार्श्विक दोनों के लिए केवल मानक पर्यवेक्षी हेयर कट का उपयोग करना चाहिए।

43.मानक पर्यवेक्षी हेयरकट (दैनिक मार्क-टू-मार्केट, दैनिक पुनःमार्जिनिंग और पांच कार्य-दिवसों की न्यूनतम होल्डिंग अवधि मानते हुए), प्रतिशत के रूप में, नीचे दी गई सारणी में प्रस्तुत के समान होंगे।

44. सारणी 2 में दर्शाई गई रेटिंग घरेलू रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग दर्शाती है। विदेशी केंद्र सरकारों और विदेशी कॉर्पोरेट्स (यदि अनुमति दी जाती है) द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों के एक्सपोजर के मामले में, हेयरकट अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग पर आधारित होंगे जैसा कि सारणी 3 में दर्शाया गया है।

45. संप्रभु में बैंक और डीआईसीजीसी शामिल होंगे जो शून्य प्रतिशत जोखिम भार के लिए पात्र हैं।

सारणी 2: संप्रभु और अन्य प्रतिभूतियों के लिए मानक पर्यवेक्षी हेयरकट जो एक्सपोजर और सांसारिक का गठन करते हैं

क्रम. सं. संख्या	ऋण प्रतिभूतियों के लिए जारी रेटिंग		अवशिष्टपरिपक्वता (वर्षों में)	हेयर कट (प्रतिशत में)
ए	भारत सरकार द्वारा जारी/ गारंटीकृत और राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां (संप्रभु प्रतिभूतियां)			
	i	रेटिंग लागू नहीं है – चूंकि वर्तमान में भारत में सरकारी प्रतिभूतियों को रेट मूल्यांकन नहीं किया गया है।	≤ 1 वर्ष	0.5
			>1 वर्ष और ≤ 5 वर्ष	2
			>5 वर्ष	4
उपरोक्त मद संख्या i में दर्शाई गई प्रतिभूतियों के अलावा भारतीय राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों सहित अन्य घरेलू ऋण प्रतिभूतियां				
	ii	AAA से AA A1	≤ 1 वर्ष	1
			> 1 वर्ष और ≤ 5 वर्ष	4
			>5 वर्ष	8
	iii	A से BBB A2 और A3	≤ 1 वर्ष	2
			> 1 वर्ष और ≤ 5 वर्ष	6
			>5 वर्ष	12
बी	समान चलन में नकद			0

सारणी 3: विदेशी केंद्रीय सरकारों /विदेशी कॉर्पोरेट्स के दायित्व वाले एक्सपोजर और सांसारिक के लिए मानक पर्यवेक्षी हेयरकट

अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा सौंपी गई ऋण प्रतिभूतियों के लिए जारी रेटिंग	अवशिष्ट परिपक्वता	सॉवरेन (%)	अन्य निर्गम (%)
--	-------------------	------------	-----------------

AAA से AA / A1	<= 1 वर्ष	0.5	1
	> 1 वर्ष और ≤ 5 वर्ष	2	4
	> 5 वर्ष	4	8
A से BBB/ A2/ A3 और गैर-रेटेड बैंक प्रतिभूतियाँ	<= 1 वर्ष	1	2
	> 1 वर्ष और ≤ 5 वर्ष	3	6
	> 5 वर्ष	6	12

46. जहाँ संपार्श्विक आस्तियों का समूह है, तो समूह का हेयरकट होगा,

$$H = \sum a_i H_i$$

जहाँ a_i बास्केट में आस्ति की भारिता है (राशि/ चलन की इकाइयों में आस्तियों के मूल्य के रूप में मापित) और H_i , उस आस्ति के लिए लागू हेयर कट है।

47. गैर-दैनिक मार्क-टू-मार्केट या पुनःमार्जिनिंग के लिए समायोजन:

(ए) रेपो स्टाइल लेनदेन के लिए, एसपीडी को डेली पुनःमार्जिनिंग के साथ पांच कारोबार दिवस की न्यूनतम होल्डिंग अवधि का इस्तेमाल करना चाहिए

(बी) यदि किसी लेन-देन की अनुमानित दैनिक मार्जिनिंग से अलग न्यूनतम होल्डिंग अवधि या मार्जिनिंग आवृत्ति होती है, तो लेन-देन के लिए लागू हेयरकट को भी नीचे पैरा 48 में दिए गए सूत्र का उपयोग करके सारणी 2 और 3 में इंगित दैनिक मार्जिनिंग के साथ 10 कारोबारी दिवसों के लिए हेयरकट को बढ़ा/ घटा कर समायोजित करने की आवश्यकता होगी।

48. विभिन्न होल्डिंग अवधियों और/या गैर-दैनिक मार्क-टू-मार्केट या पुनःमार्जिनिंग के लिए समायोजन का सूत्र:

होल्डिंग अवधि और मार्जिनिंग/ मार्क-टू-मार्केट में भिन्नता के लिए समायोजन, जैसा कि ऊपर पैरा 47 में दर्शाया गया है, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा:

$$H = H_{10} \sqrt{\frac{N_r + (T_M - 1)}{10}}$$

जहाँ:

H = हेयरकट

H_{10} = लिखत के लिए 10-कार्य-दिवसों के लिए मानक पर्यवेक्षी हेयर कट

N_R = पूंजी बाजार में लेनदेन के लिए मार्जिन को पुनःमार्जिनिंग करने अथवा प्रतिभूत लेनदेन के पुनर्मूल्यांकन के बीच व्यावसायिक दिनों की वास्तविक संख्या

T_M = लेनदेन के प्रकार के लिए न्यूनतम होल्डिंग अवधि।

(iv) पूंजी की आवश्यकता की गणना

49. जोखिम शमन के बाद जोखिम राशि की गणना निम्नानुसार की जाती है :

$$E^* = \max \{0, [E \times (1 + H_e) - C \times (1 - H_c - H_{fx})]\}$$

जहां :

E^* = जोखिम न्यूनीकरण के बाद जोखिम मूल्य।

E = एक्सपोजर का वर्तमान मूल्य जिसके लिए संपार्श्विक जोखिम शमनक के रूप में अर्हता प्राप्त करता है।

H_e = एक्सपोजर के लिए उपयुक्त हेयर कट ।

C = प्राप्त संपार्श्विक का वर्तमान मूल्य।

H_c = संपार्श्विक के लिए उपयुक्त हेयर कट।

H_{fx} = संपार्श्विक और जोखिम के बीच मुद्रा बेमेल के लिए उपयुक्त हेयर कट। जोखिम शमन के बाद एक्सपोजर राशि (अर्थात्, E^*) को संपार्श्विक लेनदेन के लिए जोखिम-भारित परिसंपत्ति राशि प्राप्त करने के लिए प्रतिपक्ष के जोखिम भार से गुणा किया जाएगा।

50. उपरोक्त पैरा 49 में सूत्र को द्विपक्षीय नेटिंग करार के साथ लेनदेन के लिए पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने के लिए निम्नानुसार अनुकूलित किया जाएगा। द्विपक्षीय नेटिंग करार को पैरा 63 और 64 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

$$E^* = \max \{0, [(\Sigma(E) - \Sigma(C)) + \Sigma(E_s \times H_s) + \Sigma(E_{fx} \times H_{fx})]\}$$

जबकि :

E^* = जोखिम न्यूनीकरण के बाद जोखिम मूल्य

E = एक्सपोजर का वर्तमान मूल्य

C = प्राप्त संपार्श्विक का मूल्य

E_s = किसी दिए गए प्रतिभूति में निवल स्थिति का निरपेक्ष मान

$H_s = E_s$ के लिए उपयुक्त हेयर कट

E_{fx} = निपटान मुद्रा से अलग मुद्रा में निवल स्थिति का निरपेक्ष मूल्य

H_{fx} = मुद्रा बेमेल के लिए उपयुक्त हेयर कट

51. इसका आशय एक्सपोजर और संपार्श्विक की नेटिंग के बाद शुद्ध एक्सपोजर राशि प्राप्त करने से है और लेनदेन में शामिल प्रतिभूतियों के लिए संभावित मूल्य परिवर्तन और यदि कोई हो तो विदेशी मुद्रा जोखिम को दर्शाने वाली एक अतिरिक्त राशि है। नेटिंग समझौते में शामिल प्रत्येक सुरक्षा की शुद्ध अधिक्रीत या अधिविक्रीत स्थिति को उपयुक्त हेयर कट से गुणा किया जाएगा। पैराग्राफ 42 से 49 में बताए गए हेयर कट की गणना के बारे में अन्य सभी नियम समान रूप से रेपो-शैली लेनदेन के लिए द्विपक्षीय नेटिंग समझौतों का उपयोग करके एसपीडी के लिए लागू होते हैं।

डी.1.5 केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) में एक्सपोजर के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं

52. परिभाषाएं

ए) **केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी)** एक समाशोधन गृह है जो एक या एक से अधिक वित्तीय बाजारों में कारोबार किए गए अनुबंधों के प्रतिपक्षों के बीच हस्तक्षेप करता है, प्रत्येक विक्रेता के लिए खरीदार और प्रत्येक खरीदार के लिए विक्रेता बन जाता है और इस तरह खुले अनुबंधों के भविष्य के प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है। एक सीसीपी नवीनता, एक खुली पेशकश प्रणाली, या किसी अन्य कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यवस्था के माध्यम से बाजार सहभागियों के साथ व्यापार करने के लिए प्रतिपक्ष बन जाती है। पूंजी ढांचे के प्रयोजनों के लिए, सीसीपी एक वित्तीय संस्थान है।

(बी) **योग्य केंद्रीय प्रतिपक्ष (क्यूसीसीपी)** एक इकाई है जिसे सीसीपी के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है (जिसमें छूट की पुष्टि के माध्यम से दिए गए लाइसेंस भी शामिल हैं), और पेश किए गए उत्पादों के संबंध में उपयुक्त नियामक/पर्यवेक्षक द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है। यह इस प्रावधान के अधीन है कि सीसीपी और विवेकपूर्ण रूप से पर्यवेक्षण ऐसे अधिकार क्षेत्र में किया जाता है जहां संबंधित नियामक/पर्यवेक्षक ने स्थापित किया है, और सार्वजनिक रूप से संकेत दिया है कि यह सीसीपी पर निरंतर आधार पर लागू होता है, घरेलू नियम और विनियम जो वित्तीय बाजार बुनियादी ढांचे के लिए सीपीएसएस-आईओएससीओ सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

(सी) **समाशोधन सदस्य** सीसीपी का सदस्य है, या इसमें प्रत्यक्ष भागीदार है जो सीसीपी के साथ लेनदेन में प्रवेश करने का हकदार है, भले ही वह अपने स्वयं के हेजिंग, निवेश या सट्टा प्रयोजनों के लिए

सीसीपी के साथ ट्रेड में प्रवेश करता हो या किसी सीसीपी और अन्य बाजार सहभागियों के बीच वित्तीय मध्यस्थ के रूप में ट्रेड में भी प्रवेश करता हो।

नोट: इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनों के लिए, जहां एक सीसीपी के पास दूसरे सीसीपी से लिंक है, उस दूसरे सीसीपी को पहले सीसीपी के समाशोधन सदस्य के रूप में माना जाना चाहिए। पहले सीसीपी में दूसरे सीसीपी के संपार्श्विक योगदान को प्रारंभिक मार्जिन या डिफॉल्ट निधि योगदान के रूप में माना जाता है, यह सीसीपी के बीच कानूनी व्यवस्था पर निर्भर करेगा। ऐसे मामलों में, यदि कोई हो, तो इस प्रारंभिक मार्जिन और डिफॉल्ट फंड अंशदान के उपचार का निर्धारण करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श किया जाना चाहिए।

(डी) एक **ग्राहक** सीसीपी के साथ लेनदेन के लिए एक पक्ष है जो या तो एक समाशोधन सदस्य के माध्यम से एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, या एक समाशोधन सदस्य जो सीसीपी को ग्राहक के प्रदर्शन की गारंटी देता है।

(ई) **प्रारंभिक मार्जिन** का अर्थ है एक समाशोधन सदस्य या ग्राहक के द्वारा सीसीपी को जमा किया गया वित्त पोषित संपार्श्विक है ताकि उनके लेनदेन के मूल्य में संभावित भविष्य के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले समाशोधन सदस्य के द्वारा सीसीपी के संभावित भविष्य के जोखिम को कम किया जा सके। इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनों के लिए, प्रारंभिक मार्जिन में पारस्परिक हानि साझाकरण व्यवस्था के लिए सीसीपी में योगदान शामिल नहीं है (अर्थात् यदि कोई सीसीपी समाशोधन सदस्यों के बीच नुकसान को पारस्परिक बनाने के लिए प्रारंभिक मार्जिन का उपयोग करता है, तो इसे डिफॉल्ट फंड एक्सपोजर के रूप में माना जाएगा)।

(एफ) **विचरण मार्जिन** का अर्थ है किसी समाशोधन सदस्य या ग्राहक द्वारा उनके लेनदेन की कीमत में होने वाले बदलाव के आधार पर सीसीपी को दैनिक या इंट्राडे आधार पर जमा की गई वित्त पोषित संपार्श्विक।

(जी) **ट्रेड एक्सपोजरों** में ओटीसी डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव लेनदेन या एसएफटी से उत्पन्न होने वाले सीसीपी के लिए किसी समाशोधन सदस्य या ग्राहक का वर्तमान और संभावित भविष्य का जोखिम, साथ ही प्रारंभिक मार्जिन शामिल है। इसमें सीसीपी के माध्यम से किए गए नकद लेनदेन भी शामिल हैं।

नोट: इस परिभाषा के प्रयोजन में समाशोधन सदस्य के मौजूदा एक्सपोजर में वह वेरिएशन मार्जिन शामिल है जो समाशोधन सदस्य को मिलना है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है।

(एच) **चूक निधि** , जिसे समाशोधन जमा या गारंटी निधि योगदान (या किसी अन्य नाम) के रूप में भी जाना जाता है, सीसीपी की पारस्परिक हानि साझाकरण व्यवस्था के लिए समाशोधन सदस्यों के वित्त पोषित या गैर-वित्त पोषित योगदान हैं, या उनकी अंडरराइटिंग हैं। सीसीपी द्वारा अपनी पारस्परिक हानि साझाकरण व्यवस्था के लिए दिया गया विवरण चूक निधि के रूप में उनकी स्थिति का निर्धारण नहीं करता है; बल्कि, ऐसे व्यवस्थाओं की असल प्रकृति ही उनके स्थिति को तय करेगी।

(आई) **लेनदेन को ऑफसेट** करने का अर्थ है समाशोधन सदस्य और सीसीपी के बीच लेनदेन का वह चरण, जब समाशोधन सदस्य किसी ग्राहक की ओर से कार्य करता है (उदाहरण के लिए, जब समाशोधन सदस्य किसी ग्राहक के ट्रेड को क्लियर या नवीनीकरण करता है)।

53. लागू होने का दायरा

(ए) ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव लेनदेन, प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (एसएफटी) और नकद लेनदेन के निपटान से उत्पन्न होने वाले केंद्रीय समकक्षों के लिए एक्सपोजर, प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम उपचार के अधीन होंगे जैसा कि नीचे दिए गए इस पैराग्राफ में बताया गया है।

(बी) जब लेन-देन का समाशोधन सदस्य-से-ग्राहक चरण एक द्विपक्षीय समझौते के तहत आयोजित किया जाता है, तो ग्राहक एसपीडी और समाशोधन सदस्य दोनों को उस लेनदेन को भुनाना होता है।

(सी) पूंजी पर्याप्तता ढांचा के उद्देश्य के लिए, सीसीपी को वित्तीय संस्थान के रूप में माना जाएगा और सीसीपी की पूंजी में एसपीडी का निवेश उसके पूंजीगत कोष के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन सभी लागू कटौतियों या समय-समय पर निर्धारित किसी अन्य सीमा के बाद।

(डी) पूंजी की आवश्यकताएं सीसीपी की प्रकृति पर निर्भर करेंगी, यानी क्वालिफाइंग सीसीपी (क्यूसीसीपी) और गैर-क्वालिफाइंग सीसीपी।

- (1) इस बात से परे कि सीसीपी को क्यूसीसीपी के रूप में वर्गीकृत किया गया हो या नहीं, एसपीडी की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होनी चाहिए कि वह अपने एक्सपोजर के लिए पर्याप्त पूंजी बनाए रखे। एक एसपीडी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या उसे न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं से अधिक पूंजी रखने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए, (i) सी.सी.पी. के साथ उसके लेन-देन से अधिक जोखिमपूर्ण खतरे उत्पन्न होते हैं या (ii) जहां, एसपीडी के लेन-देन के संदर्भ को देखते हुए, यह स्पष्ट नहीं है कि सीसीपी क्यूसीसीपी की परिभाषा को पूरा करता है।

- (2) यदि आरबीआई की राय में आवश्यक है, तो एसपीडी को क्यूसीसीपी के प्रति अपने एक्सपोजर के लिए अतिरिक्त पूंजी रखने की आवश्यकता हो सकती है।
- (3) जहां एसपीडी एक समाशोधन सदस्य के तौर पर काम कर रहा हो, तो उसे सही परिदृश्य विश्लेषण और स्ट्रेस परीक्षण के ज़रिए यह पता लगाना चाहिए कि क्या सीसीपी के प्रति एक्सपोजर के लिए रखी गई पूंजी की मात्रा उन लेनदेन से जुड़े जोखिमों को ठीक से कवर करती है। इस मूल्यांकन में डिफॉल्ट फंड प्रतिबद्धताओं पर भविष्य के आहरणों के परिणामस्वरूप संभावित भविष्य या आकस्मिक जोखिम शामिल होंगे, और/या यदि अनुमति दी जाती है, तो इस समाशोधन सदस्य के चूक करने या दिवालिया होने की स्थिति में, किसी अन्य समाशोधन सदस्य के ग्राहकों से ऑफसेटिंग लेनदेन को संभालने या बदलने के लिए द्वितीयक प्रतिबद्धताओं से भी जोखिम शामिल होंगे।
- (4) एक एसपीडी को वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड की उपयुक्त समिति (जैसे जोखिम प्रबंधन समिति) को नियमित रूप से (तिमाही या अधिक बार) अपने सभी जोखिमों की निगरानी करनी चाहिए और रिपोर्ट करनी चाहिए, जिसमें सीसीपी के माध्यम से व्यापार से उत्पन्न जोखिम और सीसीपी सदस्यता दायित्वों जैसे चूक निधि योगदान से उत्पन्न जोखिम शामिल हैं।
- (5) जब तक कि रिज़र्व बैंक अन्यथा निर्देश न दे, एक पूर्व क्यूसीसीपी के साथ किए गए सौदों को पूंजीकृत करना जारी रखा जाना चाहिए, मानो वे क्यूसीसीपी के साथ हों, उस अवधि के लिए जो क्यूसीसीपी के रूप में अर्हता प्राप्त करना बंद करने की तारीख से तीन महीने से अधिक नहीं है। उस समय के बाद, गैर-क्यू.सी.सी.पी. के लिए लागू नियमों के अनुसार ऐसे केंद्रीय प्रतिपक्ष के साथ एस.पी.डी. के जोखिमों का लाभ उठाया जाना चाहिए।

डी.1.5.1 योग्य सीसीपी (क्यूसीसीपी) के लिए एक्सपोजर

(i) व्यापार एक्सपोजर

ए) क्यूसीसीपी के लिए समाशोधन सदस्य एक्सपोजर

54. निम्नलिखित निदेश लागू होंगे:

- (1) जब किसी एसपीडी अपने उद्देश्यों के लिए क्यूसीसीपी के समाशोधन सदस्य के रूप में कार्य करता है, वहाँ क्यूसीसीपी के प्रति एसपीडी के व्यापार जोखिम पर दो प्रतिशत का जोखिम भार लागू किया जाएगा।

(2) ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव लेनदेन और एसएफटी के संबंध में व्यापार जोखिम के लिए एक्सपोजर राशि की गणना डेरिवेटिव के लिए वर्तमान एक्सपोजर विधि (सीईएम) के अनुसार की जानी चाहिए, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 22 से 31 में विस्तृत है और रेपो/रिवर्स रेपो-शैली के लेनदेन के लिए पूंजी पर्याप्तता के नियम पैराग्राफ 32 में निर्धारित हैं।

(3) जहां चूक की स्थिति में शुद्ध आधार पर कानूनी रूप से लागू करने योग्य निपटान है और भले ही प्रतिपक्ष दिवालिया या बैंक दिवालिया हो, व्यापार जोखिम निर्धारण से संबंधित सभी अनुबंधों की कुल प्रतिस्थापन लागत की गणना शुद्ध प्रतिस्थापन लागत के रूप में की जा सकती है यदि लागू क्लोज-आउट नेटिंग सेट इन दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 63 और 64 में नीचे दिए गए आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(4) क्यूसीसीपी के एक्सपोजर की नेटिंग की कानूनी निश्चितता के संबंध में, एसपीडी को स्वतंत्र और तर्कसंगत कानूनी राय प्राप्त कर यह प्रदर्शित करना होगा कि दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 63 और 64 में उल्लिखित शर्तों को नियमित आधार पर पूरा किया जाता है। एसपीडी को ऐसे क्यूसीसीपी से, उनके प्रमुख गतिविधियों जैसे निपटान अंतिमता, नेटिंग, संपार्श्विक व्यवस्था (मार्जिन व्यवस्था सहित); डिफॉल्ट प्रक्रियाएं आदि की कानूनी निश्चितता पर क्यूसीसीपी द्वारा ली गई कानूनी राय भी प्राप्त करनी चाहिए।

बी) ग्राहकों में समाशोधन सदस्य का एक्सपोजर

55. समाशोधन सदस्य हमेशा ग्राहकों के साथ किए गए अपने जोखिमों को द्विपक्षीय व्यापारों के रूप में पूंजीकृत करेगा, चाहे समाशोधन सदस्य व्यापार की गारंटी दे या ग्राहक और क्यूसीसीपी के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करे। हालाँकि, समाशोधित लेनदेन के लिए कम समय की समाप्ति अवधि को पहचानने के लिए, समाशोधन सदस्य अपने ग्राहकों के साथ किए गए जोखिमों को चूक पर जोखिम को 0.71 से कम नहीं होने वाले स्केलर से गुणा करके पूंजीकृत कर सकते हैं।

सी) समाशोधन सदस्य के लिए ग्राहक का एसपीडी एक्सपोजर

56. जहां कोई एसपीडी समाशोधन सदस्य का ग्राहक है, और समाशोधन सदस्य के साथ एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में लेनदेन करता है (अर्थात् समाशोधन सदस्य एक क्यूसीसीपी के साथ एक ऑफसेटिंग लेनदेन पूरा करता है), तो समाशोधन सदस्य के प्रति ग्राहक के जोखिमों को पैराग्राफ 54 में बताई गई प्रक्रिया लागू होगी, अगर ये शर्तें पूरी होती हैं:

(ए) ऑफसेटिंग लेनदेन को क्यूसीसीपी द्वारा ग्राहक लेनदेन के रूप में पहचाना जाता है और उन्हें समर्थन देने के लिए संपार्श्विक क्यूसीसीपी और/या समाशोधन सदस्य, जैसा भी लागू हो, द्वारा उन

व्यवस्थाओं के तहत रखा जाता है जो ग्राहक को निम्नलिखित के कारण होने वाले किसी भी नुकसान को रोकती हैं:

(i) समाशोधन सदस्य की चूक या दिवालियापन;

(ii) समाशोधन सदस्य के अन्य ग्राहकों की चूक या दिवालियापन; और

(iii) समाशोधन सदस्य और उसके किसी अन्य ग्राहक का संयुक्त चूक या दिवालियापन।

(बी) ग्राहक एसपीडी को एक स्वतंत्र, लिखित और तर्कपूर्ण कानूनी राय प्राप्त करनी चाहिए जो यह निष्कर्ष निकाले कि, कानूनी चुनौती की स्थिति में, संबंधित न्यायालयों और प्रशासनिक अधिकारियों को यह पता चलेगा कि ग्राहक प्रासंगिक कानून के तहत एक मध्यस्थ के दिवालियापन के कारण कोई नुकसान नहीं उठाएगा, जिसमें शामिल हैं:

- ग्राहक एसपीडी, समाशोधन सदस्य और क्यूसीसीपी पर लागू कानून;
- उन विदेशी देशों के अधिकार क्षेत्र का कानून जिनमें ग्राहक एसपीडी, समाशोधन सदस्य या क्यूसीसीपी स्थित हैं
- वह कानून जो व्यक्तिगत लेनदेन और संपार्श्विक को नियंत्रित करता है; और
- वह कानून जो इस शर्त (ए) को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी करार या समझौते को नियंत्रित करता है।

(सी) प्रासंगिक कानूनों, विनियमों, नियमों, संविदात्मक या प्रशासनिक व्यवस्थाओं में यह प्रावधान है कि चूक करने वाले या दिवालिया समाशोधन सदस्य के साथ ऑफसेटिंग लेनदेन अप्रत्यक्ष रूप से क्यूसीसीपी के माध्यम से या क्यूसीसीपी द्वारा किए जाने की अत्यधिक संभावना है, यदि समाशोधन सदस्य चूक करता है या दिवालिया हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में, क्यूसीसीपी के साथ ग्राहक की स्थिति और संपार्श्विक बाजार मूल्य पर स्थानांतरित कर दी जाएगी, जब तक कि ग्राहक बाजार मूल्य पर स्थिति को बंद करने का अनुरोध नहीं करता है। इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रासंगिक कानूनों, विनियमों, नियमों, संविदात्मक या प्रशासनिक समझौतों में यह प्रावधान है कि व्यापारों के पोर्ट किए जाने की अत्यधिक संभावना है, तो इस शर्त को पूरा माना जा सकता है। यदि क्यूसीसीपी में लेनदेन के पोर्ट किए जाने का स्पष्ट उदाहरण है और प्रतिभागियों का इरादा इस प्रथा को जारी रखने का है, तो यह आकलन करते समय इन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए कि व्यापारों के पोर्ट किए जाने की अत्यधिक संभावना है। क्यूसीसीपी प्रलेखन में ग्राहक के व्यापारों को पोर्ट करने से मना नहीं किया गया है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे पोर्ट किए जाने की अत्यधिक संभावना है। इस दावे को करने के लिए अन्य साक्ष्य जैसे इस पैराग्राफ में उल्लिखित मानदंड आवश्यक हैं।

57. जहां एक ग्राहक को इस मामले में नुकसान से सुरक्षित नहीं किया जाता है कि समाशोधन सदस्य और समाशोधन सदस्य का एक अन्य ग्राहक संयुक्त रूप से चूक करते हैं या संयुक्त रूप से धनशोधन अक्षम हो जाते हैं, लेकिन उपर्युक्त अन्य सभी शर्तें पूरी होती हैं और संबंधित सीसीपी एक क्यूसीसीपी है, तो चार प्रतिशत का जोखिम भार ग्राहक के समाशोधन सदस्य के जोखिम पर लागू होगा।

58. जहां पर ग्राहक एसपीडी उपर्युक्त पैराग्राफ में आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, वहाँ पर एसपीडी को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में समाशोधन सदस्य के लिए अपने एक्सपोजर को पूंजीकृत करने की आवश्यकता होगी।

59. यदि एक ग्राहक के रूप में कोई एसपीडी अपने प्रदर्शन की गारंटी देने वाले समाशोधन सदस्य के साथ क्यूसीसीपी सहित लेनदेन करता करता है, तो ग्राहक एसपीडी के लिए पूंजी आवश्यकताओं की गणना उस रूप में की जानी चाहिए जैसे कि ग्राहक एसपीडी ने समाशोधन सदस्य के साथ द्विपक्षीय अनुबंध में प्रवेश किया हो। .

डी) जमानत रखे गए संपार्श्विक की व्यवस्था

60. निम्नलिखित अनुदेश लागू होंगे :

- (i) सभी मामलों में, जमानत रखी गई किसी भी संपत्ति या संपार्श्विक को, एसपीडी द्वारा इस तरह के संपार्श्विक रखने के दृष्टिकोण से, जोखिम भार प्राप्त करना चाहिए जो अन्यथा पूंजी पर्याप्तता ढांचे के तहत ऐसी संपत्ति या संपार्श्विक पर लागू होता है; इस तथ्य की परवाह किए बिना कि ऐसी संपत्ति को संपार्श्विक के रूप में रखा गया है। जहां एक समाशोधन सदस्य या ग्राहक की संपत्ति या संपार्श्विक को क्यूसीसीपी या समाशोधन सदस्य के साथ रखा जाता है और धनशोधन अक्षमता को परोक्ष ढंग से नहीं रखा जाता है, ऐसी संपत्ति या संपार्श्विक रखने वाले एसपीडी को ऐसी संपत्ति या संपार्श्विक के आधार पर ऋण जोखिम की पहचान भी करना चाहिए।

नोट : जहां ऐसी संपत्ति या संपार्श्विक रखने वाली इकाई क्यूसीसीपी है, व्यापार एक्सपोजर की परिभाषा में शामिल संपार्श्विक पर दो प्रतिशत का जोखिम-भार लागू होता है। क्यूसीसीपी का प्रासंगिक जोखिम-भार अन्य उद्देश्यों के लिए रखी गई संपत्ति या संपार्श्विक पर लागू होगा।

- (ii) समाशोधन सदस्य द्वारा रखे गए संपार्श्विक (नकद, प्रतिभूतियों, अन्य गिरवी रखी गई संपत्ति, और अतिरिक्त प्रारंभिक या भिन्नता मार्जिन सहित, जिसे अति संपार्श्विकरण भी कहा जाता है), जो एक संरक्षक द्वारा धारित किया जाता है, और क्यूसीसीपी से दिवालियापन से संरक्षित है, इस तरह के

दिवालियापन से संरक्षित संरक्षक के प्रति जोखिम के लिए प्रतिपक्ष ऋण जोखिम जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता के अधीन नहीं है।

नोट : इस पैराग्राफ में, "संरक्षक" शब्द में एक न्यासी, अभिकर्ता, गिरवी रखने वाला, सुरक्षित लेनदार या कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो सकता है जो संपत्ति को इस तरह से रखता है जो ऐसे व्यक्ति को ऐसी संपत्ति में लाभकारी हित नहीं देता है और ऐसे व्यक्ति के धनशोधन अक्षम या दिवालिया होने के परिणामस्वरूप ऐसी संपत्ति ऐसे व्यक्तियों, लेनदारों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य दावों के अधीन नहीं होगी, या अदालत ने ऐसी संपत्ति की वापसी पर रोक लगाने का आदेश दिया गया हो।

(iii) एक ग्राहक द्वारा जमानत रखे गए संपार्श्विक, जिसे किसी संरक्षक द्वारा रखा जाता है, और क्यूसीसीपी से दिवालियापन से संरक्षित है, समाशोधन सदस्य और अन्य ग्राहक, प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता के अधीन नहीं है। यदि संपार्श्विक ग्राहक की ओर से क्यूसीसीपी में रखा जाता है और दिवालियापन संरक्षा आधार पर नहीं रखा जाता है, तो संपार्श्विक पर दो प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाएगा यदि पैराग्राफ 56 में स्थापित शर्तें पूरी होती हैं। चार प्रतिशत का जोखिम भार लागू किया जाएगा यदि एक ग्राहक को इस मामले में नुकसान से संरक्षित नहीं किया जाता है कि समाशोधन सदस्य और समाशोधन सदस्य का एक अन्य ग्राहक संयुक्त रूप से चूक या संयुक्त रूप से दिवालिया हो जाता है, लेकिन पैराग्राफ 56 में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें पूरी होती हैं।

(iv) यदि कोई समाशोधन सदस्य ग्राहक द्वारा स्वीकृत व्यापार के लिए ग्राहक से संपार्श्विक एकत्र करता है और यह संपार्श्विक क्यूसीसीपी को अंतरित कर दिया जाता है, तो समाशोधन सदस्य क्यूसीसीपी - समाशोधन सदस्य पक्ष और समाशोधन सदस्य - ग्राहक पक्ष दोनों के लिए इस संपार्श्विक को मान्य कर सकता है। इसलिए, ग्राहकों द्वारा समाशोधन सदस्यों के लिए रखे गए प्रारंभिक मार्जिन (आईएम) से इन ग्राहकों के सम्मुख समाशोधन सदस्यों के एक्सपोजर को कम करता है।

(ii) क्यूसीसीपी के लिए डिफॉल्ट फंड एक्सपोजर

61. निम्नलिखित अनुदेश लागू होंगे :

(i) जहां कोई डिफॉल्ट फंड को केवल निपटान जोखिम (जैसे इक्विटी और बॉन्ड) और उत्पादों या व्यवसाय के प्रकारों के साथ उत्पादों या व्यवसाय के प्रकारों के बीच साझा किया जाता है जो प्रतिपक्षी ऋण जोखिम उत्पन्न होता है, अर्थात् ओटीसी व्युत्पन्नी, शेयर बाजार में कारोबार किए जाने

वाले व्युत्पत्ती या एसएफटी, सभी डिफ़ॉल्ट फंड योगदान नीचे दिए गए सूत्रों और कार्यप्रणाली के अनुसार निर्धारित जोखिम भार प्राप्त करेंगे, जिसमें विभिन्न वर्गों या प्रकार के व्यवसाय या उत्पादों का आबंटन नहीं किया जाएगा।

(ii) हालांकि, जहां समाशोधन सदस्यों से डिफ़ॉल्ट फंड योगदान को उत्पाद प्रकारों द्वारा अलग किया जाता है और केवल विशिष्ट उत्पाद प्रकारों के लिए सुलभ होता है, नीचे दिए गए सूत्रों और कार्यप्रणाली के अनुसार निर्धारित उन डिफ़ॉल्ट फंड एक्सपोजर के लिए पूंजी आवश्यकताओं की गणना प्रत्येक विशिष्ट उत्पाद के लिए की जानी चाहिए जो प्रतिपक्ष ऋण जोखिम उत्पन्न करते हैं। यदि क्यूसीसीपी के पूर्व निधिकृत स्वयं के संसाधनों को उत्पाद प्रकारों के बीच साझा किया जाता है, तो क्यूसीसीपी को उन निधियों को प्रत्येक गणना के लिए संबंधित उत्पाद विशिष्ट एक्सपोजर के अनुपात, अर्थात् चूक पर एक्सपोजर में आवंटित करना होगा।

(iii) समाशोधन सदस्य एसपीडी से यह अपेक्षित होता है की निम्नलिखित सूत्र के आधार पर किसी योग्य सीसीपी में डिफ़ॉल्ट फंड योगदान से उत्पन्न होने वाले अपने जोखिम को पूंजीकृत करे:

समाशोधन सदस्य एसपीडी को अर्हक सीसीपी के प्रति अपने डिफ़ॉल्ट फंड एक्सपोजर को 667 प्रतिशत का जोखिम-भार लागू करने की आवश्यकता होती है, जो क्यूसीसीपी के प्रति अपने सभी एक्सपोजर (यानी व्यापार एक्सपोजर सहित) से जोखिम-भारित परिसंपत्तियों पर, एक समग्र सीमा के अधीन है, जो क्यूसीसीपी के प्रति व्यापार एक्सपोजर के 20 प्रतिशत के तुल्य है। अधिक विशिष्ट रूप से, प्रत्येक क्यूसीसीपी के लिए प्राथमिक डीलरों के व्यापार और डिफ़ॉल्ट फंड एक्सपोजर दोनों के लिए जोखिम भारित संपत्ति निम्नलिखित के बराबर हैं :

$$\text{न्यूनतम } \{(2\% * \text{टीई}_{\text{आई}} + 667\% * \text{डीएफ़}_{\text{आई}}); (20\% * \text{टीई}_{\text{आई}})\}$$

जहां ;

-टीई_{आई} क्यूसीसीपी के प्रति पीडी आई का व्यापार एक्सपोजर है; और

-डीएफ़_{आई} क्यूसीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड के प्रति पीडी आई का पूर्व निधिकृत योगदान है।

नोट : व्यापार एक्सपोजर पर दो प्रतिशत जोखिम भार अतिरिक्त रूप से लागू नहीं होता है, क्योंकि यह समीकरण में शामिल है।

डी.1.5.2 गैर-योग्यता सीसीपी के लिए एक्सपोजर

62. निम्नलिखित अनुदेश लागू होंगे :

- (ए) एसपीडी को प्रतिपक्ष की श्रेणी के अनुसार गैर-योग्यता सीसीपी के प्रति उनके व्यापार एक्सपोजर को ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण लागू करना चाहिए।
- (बी) एसपीडी को गैर-योग्यता सीसीपी के प्रति अपने डिफॉल्ट फंड योगदान पर 667 प्रतिशत का जोखिम भार लागू करना चाहिए।
- (सी) इस पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे एसपीडी के डिफॉल्ट फंड योगदान में वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित योगदान दोनों शामिल होंगे, जो सीसीपी की आवश्यकता होने पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। जहां गैर-वित्तपोषित योगदान (यानी असीमित बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं) के लिए देयता है, रिज़र्व बैंक उन गैर-वित्तपोषित प्रतिबद्धताओं की राशि निर्धारित करेगा जिन पर 667 प्रतिशत जोखिम भार लागू होना चाहिए।

डी.1.5.3 क्लोज-आउट नेटिंग समुच्चयों में शुद्ध प्रतिस्थापन लागत की पहचान की अपेक्षाएँ

(ए) रेपो-शैली के लेनदेन के लिए

63. रेपो-शैली के लेनदेन को कवर करने वाले द्विपक्षीय नेटिंग समझौतों के प्रभावों को प्रतिपक्ष-दर-प्रतिपक्ष आधार पर पहचाना जाएगा, यदि समझौते डिफॉल्ट की घटना पर प्रत्येक प्रासंगिक क्षेत्राधिकार में कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं और भले ही प्रतिपक्ष धनशोधन अक्षमता या दिवालिया हो। इसके अलावा, नेटिंग एग्रीमेंट में निम्नलिखित होना चाहिए:

- (ए) डिफॉल्ट नहीं करने वाले पक्ष को डिफॉल्ट की स्थिति में समझौते के तहत सभी लेनदेन समय पर समाप्त करने और बंद करने का अधिकार प्रदान करें, जिसमें प्रतिपक्ष के धनशोधन अक्षमता या दिवालियापन की स्थिति भी शामिल हो;
- (बी) लेन-देन (किसी भी संपार्श्विक के मूल्य सहित) पर लाभ और हानि की नेटिंग और इसके तहत बंद करने का अधिकार प्रदान करें ताकि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के लिए एक शुद्ध राशि बकाया रहे;
- (सी) चूक की स्थिति पर संपार्श्विक के शीघ्र परिसमापन या अलग करने की अनुमति दें; तथा
- (डी) उपरोक्त (क) से (ग) में आवश्यक प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले अधिकारों के साथ, प्रत्येक प्रासंगिक क्षेत्राधिकार में चूक की घटना घटित होने पर और प्रतिपक्ष के दिवालियापन या दिवालिया घोषित की परवाह किए बिना कानूनी रूप से लागू करने योग्य होगा।

(बी) डेरिवेटिव के लिए लेनदेन

64. निम्नलिखित अनुदेश लागू होंगे:

- (ए) एसपीडी नवीनीकरण के अधीन शुद्ध लेनदेन करेगा, जिसके तहत किसी दिए गए मूल्यन तिथि पर किसी दी गई मुद्रा को वितरित करने के लिए एसपीडी और उसके प्रतिपक्ष के बीच कोई दायित्व स्वचालित रूप से उसी मुद्रा और मूल्य तिथि के लिए अन्य सभी दायित्वों के साथ समामेलित हो जाता है, कानूनी रूप से पिछले सकल दायित्वों के लिए एक एकल राशि को प्रतिस्थापित करता है।
- (बी) एसपीडी द्विपक्षीय नेटिंग के किसी भी कानूनन वैध रूप के अधीन शुद्ध लेनदेन भी कर सकते हैं, जो (क) में शामिल नहीं है, जिसमें नवीनता के अन्य रूप भी शामिल हैं।
- (सी) (ए) और (बी) दोनों मामलों में, किसी एसपीडी को यह संतुष्ट करने की आवश्यकता होगी कि उसके पास निम्नलिखित हैं :

- (i) प्रतिपक्ष के साथ एक नेटिंग अनुबंध या समझौता जो एक एकल कानूनी दायित्व बनाता है, जिसमें सभी शामिल लेनदेन शामिल हैं, जैसे कि एसपीडी के पास या तो प्राप्त करने का दावा होगा या केवल सकारात्मक और नकारात्मक बाजार मूल्यों के निवल योग का भुगतान करने का दायित्व होगा, यदि कोई प्रतिपक्ष निम्नलिखित में से किसी के कारण प्रदर्शन करने में विफल रहता है: चूक, दिवालियापन, परिसमापन या इसी तरह की परिस्थितियाँ;
- (ii) लिखित और तर्कपूर्ण कानूनी राय कि, कानूनी चुनौती की स्थिति में, संबंधित अदालतें और प्रशासनिक अधिकारी एसपीडी के जोखिम को इस तरह की निवल राशि के तहत पाएंगे :
- क्षेत्राधिकार का कानून जिसमें प्रतिपक्ष स्थित है और, यदि किसी प्रतिपक्ष की विदेशी शाखा शामिल है, तो उस क्षेत्राधिकार के कानून के तहत भी आएगा जिसमें शाखा स्थित है;
 - वह कानून जो व्यक्तिगत लेनदेन को नियंत्रित करता है; तथा
 - वह कानून जो नेटिंग को प्रभावित करने के लिए आवश्यक किसी भी अनुबंध या समझौते को नियंत्रित करता है।
- (iii) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं कि प्रासंगिक कानून में संभावित परिवर्तनों के आलोक में नेटिंग व्यवस्था की कानूनी विशेषताओं की समीक्षा की जाए।
- (डी) इन दिशानिर्देशों के तहत पूंजी आवश्यकताओं की गणना के उद्देश्य से वॉकअवे क्लॉज वाले अनुबंध नेटिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। वॉकअवे क्लॉज एक ऐसा प्रावधान है जो एक गैर-चूककर्ता

प्रतिपक्ष को चूककर्ता की संपत्ति के लिए केवल सीमित भुगतान या कोई भुगतान नहीं करने की अनुमति देता है, भले ही चूककर्ता एक निवल लेनदार हो।

डी.1.6 विदेशी मुद्रा (एफई) अनुबंध

65. ब्याज दर अनुबंधों की तरह, बकाया अनुबंधों को पहले एक रूपांतरण कारक से गुणा किया जाना चाहिए जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

बाजार से संबंधित तुलन पत्रेत्तर मदों अवशिष्ट परिपक्वता के लिए सीसीएफ	सीसीएफ (प्रतिशत)
विनिमय दर अनुबंध	
एक वर्ष या कम	2.00
एक वर्ष से अधिक एलएस पाँच वर्ष तक	10.00
पाँच वर्ष से अधिक	15.00

66. इसके बाद इसे फिर से संबंधित प्रतिपक्ष के कारण भार से गुणा करना होगा जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट किया गया है।

67. जब पैरा 64 में निर्दिष्ट प्रभावी द्विपक्षीय नेटिंग अनुबंध लागू होते हैं, तो ऋण एक्सपोजर की गणना पैराग्राफ 31 में दिए गए विस्तृत विवरण के अनुसार होगी।

डी.1.7 कॉर्पोरेट बॉन्ड पर एकल नाम ऋण चूक अदला-बदली (सीडीएस)

68. सीडीएस से संबंधित लेनदेन के लिए, एसपीडी [अनुबंध IV](#) के अनुसार पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

डी.1.8 संपार्श्विक ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन के लिए पूंजी प्रभार

69. एक व्यक्तिगत अनुबंध के लिए प्रतिपक्ष ऋण जोखिम शुल्क की गणना इस प्रकार होगी :

$$\text{प्रतिपक्षी प्रभार} = [\text{अधिकतम } (0, (\text{आरसी} + \text{एड-ऑन}) - \text{सीए})] \times \text{आर} \times 15\%$$

जहां :

आरसी = प्रतिस्थापन लागत,

एड-ऑन = पैरा 22 से 31 के अनुसार गणना की गई संभावित भविष्य की जोखिम राशि

सीए = पैरा 42 से 51 में निर्धारित व्यापक दृष्टिकोण के तहत संपार्श्विक राशि को अस्थिरता समायोजित करने के उपरांत, या शून्य यदि लेन-देन के लिए कोई योग्य संपार्श्विक लागू नहीं किया जाता है।

और आर = प्रतिपक्ष का जोखिम भार ।

70. जब प्रभावी द्विपक्षीय नेटिंग संविदा लागू होते हैं, तो आरसी शुद्ध प्रतिस्थापन लागत होगी और एड-ऑन A_{Net} होगा, जिसकी गणना पैरा 31 के अनुसार की जाएगी। मुद्रा जोखिम के लिए हेयरकट (एचएफएक्स) तब लागू किया जाना चाहिए जब संपार्श्विक मुद्रा और निपटान मुद्रा के बीच कोई बेमेल हो। यहां तक कि ऐसे मामले में जहां एक्सपोजर में दो से अधिक मुद्राएं शामिल हैं, संपार्श्विक और निपटान मुद्रा, 10-व्यापार दिवस की प्रतिधारित अवधि मानते हुए एक एकल कटौती लागू की जाएगी, जो आवश्यकतानुसार मार्क-टू-मार्केट की आवृत्ति के आधार पर बढ़ाई जाएगी।

ई. बाजार जोखिम का मापन

71. बाजार जोखिम के लिए पूंजी शुल्क की गणना करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है।

72. बाज़ार जोखिम उस हानि को जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी लेन-देन या करार में निर्धारित दरों या कीमतों से विचलित होते हुए बाज़ार कीमतों या दरों में होने वाले बदलावों के कारण उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम के लिए पूंजी पर्याप्तता को लागू करने का उद्देश्य एसपीडी को उनके पोर्टफोलियो में उजागर होने वाले मूल्य जोखिम के लिए एक स्पष्ट पूंजी कुशन प्रदान करना है।

73. बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार (capital charge) की गणना मानकीकृत दृष्टिकोण (standardised approach) और आंतरिक जोखिम प्रबंधन ढांचे पर आधारित वैल्यू एट रिस्क (VaR) मॉडल, दोनों के माध्यम से की जानी चाहिए। एसपीडी द्वारा बाज़ार जोखिम हेतु प्रदत्त पूंजी प्रभार उक्त दोनों अपेक्षाओं में से जो अधिक हो, वही होगा। तथापि, जहाँ संपत्तियों की किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए मूल्य आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ एसपीडी को बाजार जोखिम की गणना हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण का पालन करना होगा। ऐसी स्थिति में, एसपीडी को ऐसी संपत्तियों का विवरण आरबीआई को प्रकट करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दृष्टिकोण में स्थिरता बनाए रखी जाए। बाजार जोखिम की गणना हेतु संपत्तियों की किसी भी श्रेणी को बाहर रखने से पूर्व, एसपीडी को आरबीआई की अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है। एसपीडी सामान्यतः पर इस उद्देश्य के लिए सावधि जमा, वाणिज्यिक बिल आदि की प्रकृति के उपकरणों पर विचार करेगा। ऐसी वस्तुओं को परिपक्वता तक बही में रखा जाएगा और मूल्य में किसी भी कमी के लिए बही में प्रावधान करना होगा।

नोट: अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताओं के मामले में, निम्नलिखित बिंदुओं का पालन किया जाना चाहिए:

(1) सरकारी प्रतिभूति के लिए अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता के हस्तांतरण के मामले में, हस्तांतरित राशि का 100 प्रतिशत बाजार जोखिम के मापन के लिए योग्य होगा।

(2)मर्चेट बैंकिंग मुद्दों (सरकारी प्रतिभूति के अलावा) के तहत अंडरराइटिंग के मामले में, जहां अंडरराइटिंग के समय कीमत प्रतिबद्ध/ अवरोधित की गई है, उस प्रतिबद्धता को एक आकस्मिक देयता के रूप में माना जाना चाहिए और बाजार जोखिम के लिए स्थिति में उस प्रतिबद्धता का 50 प्रतिशत शामिल किया जाना चाहिए। तथापि, वितरित स्थिति (devolved position) के 100% हिस्से को बाजार जोखिम मापन के अधीन किया जाना चाहिए।

74. पोर्टफोलियो पर बाजार जोखिम हेतु पूंजी प्रभार की गणना करने की पद्धति निम्नलिखित है:-

ई.1 मानकीकृत दृष्टिकोण

75. पूंजी प्रभार पैरा 76 से 93 के संदर्भ में प्राप्त जोखिम का माप होगा, जिसे अंकगणितीय रूप से जोड़ा जाएगा।

ई.1.1. सावधि आय लिखतों के लिए

76. आवधिक पद्धति लागू होगी। इसके तहत, ब्याज दर संबंधी सभी स्थितियों की मूल्य संवेदनशीलता का आकलन किया जाएगा, जिनमें- तिथाकित प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / वित्तीय संस्थानों / कॉर्पोरेट बॉन्ड, विशेष बॉन्ड, म्यूचुअल फंड की इकाइयां और ब्याज दर स्वैप (IRS), अग्रिम दर करार (FRA), ब्याज दर वायदा (IRF) आदि जैसे व्युत्पन्न साधनों उपकरण शामिल है तथा अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताओं / प्रत्यावर्तन और अन्य आकस्मिक देनदारियों को भी शामिल किया जाएगा जिनमें ब्याज दर या इक्विटी जोखिम होता है।

77. आवधिक पद्धति में, पूंजी प्रभार चार घटकों का योग होता है, अर्थात:

(ए) संपूर्ण ट्रेडिंग बुक में शुद्ध लघु या दीर्घ स्थिति;

(बी) प्रत्येक समय-अंतराल में मिलान की गई स्थितियों का एक छोटा अनुपात (जिसे 'ऊर्ध्वाधर अस्वीकृति' कहा जाता है);

(सी) विभिन्न समय-अंतरालों में मिलान की गई स्थितियों का एक बड़ा अनुपात (जिसे 'क्षैतिज अस्वीकृति' कहा जाता है); तथा

(डी) जहाँ उचित हो, विकल्पों में स्थितियों के लिए एक शुद्ध प्रभार।

नोट 1: चूंकि भारत में शॉर्ट पोजीशन केवल व्युत्पन्न साधनों और सरकारी प्रतिभूतियों में ही अनुमत हैं, अतः उपरोक्त (क) में दर्शाई गई नेटिंग प्रणाली और (ख) व (ग) में वर्णित 'अस्वीकृतियों' की पद्धति

वर्तमान में केवल उन्हीं प्राथमिक डीलरों पर लागू होती है जो अग्रिम दर करार, ब्याज दर स्वैप, एक्सचेंज-व्यापारित व्युत्पन्न साधनों और सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार करते हैं।

78. हालाँकि, आवधिक पद्धति के तहत, आवश्यक क्षमता वाले एसपीडी, आरबीआई की अनुमति से प्रत्येक स्थिति की मूल्य संवेदनशीलता की गणना करके अपने सभी सामान्य बाजार जोखिमों को मापने की अधिक सटीक पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। एसपीडी को लगातार आधार पर पद्धति का चयन और उपयोग करना चाहिए और अपनाई गई प्रणाली की निगरानी आरबीआई द्वारा की जाएगी। इस पद्धति की यांत्रिकी इस प्रकार है:

- (1) सर्वप्रथम, सभी साधनों की कीमत संवेदनशीलता की गणना ब्याज दरों में 0.6 से 1.0 प्रतिशत अंकों के परिवर्तन के संदर्भ में की जाएगी, जो साधन की अवधि पर निर्भर करेगी (जैसा कि नीचे दी गई सारणी 1 में दर्शाया गया है)।
- (2) परिणामी संवेदनशीलता उपायों को सारणी 1 में निर्धारित तेरह समय-बैंड के साथ अवधि-आधारित सीढ़ी में स्थापित किया जाएगा;
- (3) विषय प्रत्येक समय-बैंड में लंबी और छोटी स्थितियों में से कम को आधार जोखिम को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए ऊर्ध्वाधर अस्वीकृति के लिए पांच प्रतिशत पूंजी शुल्क के अधीन किया गया है;
- (4) प्रत्येक समय-अंतराल में शुद्ध स्थितियों को सारणी 2 में वर्णित अस्वीकृतियों के अधीन रहते हुए, विभिन्न क्षेत्रों के बीच क्षैतिज ऑफसेटिंग हेतु अग्रेषित किया जाएगा।

नोट 2: उपरोक्त बिंदु (3) और (4) केवल वहीं लागू होते हैं जहाँ उपर दिए गए नोट 1 में स्पष्ट की गई विपरीत स्थितियां मौजूद है।

सारणी 1	
अवधि समय-बैंड और आय में अनुमानित परिवर्तन (%)	
जोन 1	
0 से 1 माह	1.00
1 से 3 माह	1.00
3 से 6 माह	1.00
6 से 12 माह	1.00
जोन 2	
1 से 2 वर्ष	0.95
2 से 3 वर्ष	0.90

3 से 4 वर्ष	0.85
जोन 3	
4 से 5 वर्ष	0.85
5 से 7 वर्ष	0.80
7 से 10 वर्ष	0.75
10 से 15 वर्ष	0.70
15 से 20 वर्ष	0.65
20 वर्ष से अधिक	0.60

सारणी 2				
क्षैतिज अभत्ता				
क्षेत्र	काल -अवधि	जोन के भीतर	संलग्न जोन के बीच	जोन 1 और 3 के बीच
जोन 1	0 – माह	40%	40%	100%
	1 – 3 माह			
	3 – 6 माह			
	6 – 12 माह			
जोन 2	1 – 2 माह	30%		
	2 – 3 माह			
	3 – 4 माह			
जोन 3	4 – 5 माह	30%		
	5 – 7 माह			
	7 – 10 माह			
	10 – 15 माह			
	15 – 20 माह			
	Over 20 माह			

प्रत्येक समय-बैंड में सकल स्थिति तालिका 1 में निर्धारित आय में अनुमानित परिवर्तन के अनुसार निर्धारित जोखिम भार के अधीन होगी, जिसमें कोई अतिरिक्त समायोजन नहीं होगा।

ई.1.2. ब्याज दर डेरिवेटिव के लिए पूंजीगत प्रभार

79. मापन प्रणाली में ट्रेडिंग बुक में मौजूद सभी ब्याज दर डेरिवेटिव्स और ऑफ-बैलेंस शीट साधनों को शामिल किया जाएगा जो ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं (उदाहरण के लिए: अग्रिम दर करार, अन्य अग्रिम अनुबंध, बांड वायदा, ब्याज दर स्थितियां)।

ई.1.2.1 स्थितियों की गणना

80. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) को संबंधित अंतर्निहित (underlying) संपत्ति में स्थितियों में परिवर्तित किया जाएगा और उपरोक्तानुसार बाजार जोखिम प्रभावों के अधीन किया जाएगा। उपरोक्त वर्णित मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार बाजार जोखिम की गणना करने के लिए, रिपोर्ट की गई राशियां अंतर्निहित संपत्ति की मूलधन राशि या संकल्पित अंतर्निहित संपत्ति का बाजार मूल्य होनी चाहिए।

ई.1.2.2 वायदा और अग्रिम अनुबंध (एफआरए सहित)

81. इन लिखतों को एक काल्पनिक सरकारी प्रतिभूति में अधिक्रय और अधिविक्रय की स्थितियों के संयोजन के रूप में माना जाता है। वायदा अनुबंध या एफआरए की परिपक्वता अनुबंध की सुपुर्दगी या निष्पादन तक की अवधि होगी साथ ही - जहां लागू हो - अंतर्निहित लिखत की अवधि भी शामिल होगी। उदाहरण के लिए, अप्रैल में ली गई जून तीन महीने के आईआरएफ में अधिक्रय स्थिति को पांच महीने की परिपक्वता के साथ सरकारी प्रतिभूति में अधिक्रय स्थिति और दो महीने की परिपक्वता के साथ सरकारी प्रतिभूति में एक अधिविक्रय स्थिति के रूप में रिपोर्ट किया जाना है। जहां अनुबंध को पूरा करने के लिए सुपुर्दगी योग्य लिखतों की एक शृंखला निष्पादित की जा सकती है, एसपीडी के पास यह चुनने के लिए लचीलापन है कि निष्पादन योग्य कौन सी प्रतिभूति परिपक्वता या अवधि के क्रम में जाती है, लेकिन एक्सचेंज द्वारा परिभाषित किसी भी रूपांतरण कारक को ध्यान में रखना चाहिए। कॉरपोरेट बॉण्ड सूचकांक पर फ्यूचर के मामले में प्रतिभूतियों के काल्पनिक अंतर्निहित पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य पर स्थितियों को शामिल किया जाएगा।

ई.1.2.3 स्वैप

82. स्वैप को प्रासंगिक परिपक्वता के साथ सरकारी प्रतिभूति में दो काल्पनिक स्थितियों के रूप में माना जाएगा। उदाहरण के लिए, एक आईआरएस जिसके तहत एक एसपीडी परिवर्तनीय ब्याज दर प्राप्त कर रहा है और नियत दर पर भुगतान कर रहा है, उसे अगले ब्याज निर्धारण तक की अवधि के बराबर परिपक्वता के परिवर्तनीय ब्याज दर लिखत में अधिक्रय और स्वैप के शेष अवधि के बराबर परिपक्वता के नियत दर लिखत में अधिविक्रय की स्थिति के रूप में माना जाएगा। स्वैप के लिए जो किसी अन्य संदर्भ मूल्य उदाहरण के लिए किसी स्टॉक सूचकांक के बदले एक नियत या परिवर्तनीय ब्याज दर का भुगतान या प्राप्त करते हैं, ब्याज दर घटक को उचित पुनः मूल्य निर्धारण परिपक्वता श्रेणी में रखा जाना चाहिए, जिसमें इक्विटी घटक को इक्विटी फ्रेमवर्क में शामिल किया जाना चाहिए।

ई.1.2.4 पूंजी प्रभार की गणना

83. मिलान स्थितियों की स्वीकार्य ऑफसेटिंग - बिल्कुल एक ही जारीकर्ता, कूपन और परिपक्वता के साथ समान लिखतों (अधिक्रय और अधिविक्रय वाली स्थिति, वास्तविक और काल्पनिक दोनों) को एसपीडी ब्याज दर परिपक्वता ढांचे से पूरी तरह से बाहर कर सकते हैं। फ्यूचर या वायदा की मिलान की स्थिति और इसके संबंधित अंतर्निहित को भी पूरी तरह से ऑफसेट किया जा सकता है, और इस प्रकार गणना से बाहर रखा जा सकता है। जब फ्यूचर या वायदा में सुपुर्दगी योग्य लिखत की एक शृंखला शामिल होती है, तो फ्यूचर में स्थितियों की ऑफसेटिंग या वायदा संविदा और इसके अंतर्निहित केवल उन मामलों में अनुमेय होते हैं जहां आसानी से पहचाने जाने योग्य अंतर्निहित प्रतिभूति होती है जो सुपुर्दगी करने के लिए अधिविक्रय की स्थिति वाले निष्पादन के लिए सबसे अधिक लाभदायक होती है। हालाँकि, फ्यूचर की समाप्ति के समय का प्रतिनिधित्व करने वाले चरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रतिभूति की कीमत, जिसे कभी-कभी "सुपुर्दगी हेतु सबसे सस्ता" कहा जाता है, और ऐसे मामलों में फ्यूचर या वायदा संविदा की कीमत निकट संरेखण में बढ़नी चाहिए।

84. इसके अलावा, लिखतों की एक ही श्रेणी में विपरीत स्थितियों को कुछ परिस्थितियों में मिलान माना जा सकता है और पूरी तरह से ऑफसेट करने की अनुमति दी जा सकती है। इस कार्य के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु स्थितियों को समान अंतर्निहित लिखतों से संबंधित होना चाहिए और समान नाममात्र मूल्य का होना चाहिए। इसके अलावा:

- (1) **फ्यूचर्स के लिए:** काल्पनिक या अंतर्निहित लिखतों में ऑफसेट स्थितियां जिनसे वायदा संविदा संबंधित है, समान उत्पादों के लिए होना चाहिए और एक दूसरे के सात दिनों के भीतर परिपक्व होना चाहिए;
- (2) **स्वैप और एफआरए के लिए:** संदर्भ दर (परिवर्तनीय दर स्थितियों के लिए) समान होनी चाहिए और कूपन बारीकी से मेल खाना चाहिए (यानी 15 आधार अंकों के भीतर); और
- (3) **स्वैप, एफआरए और फॉरवर्ड के लिए:** अगली ब्याज निर्धारण तिथि या, निश्चित कूपन स्थितियों या अग्रेषण के लिए, अवशिष्ट परिपक्वता को निम्नलिखित सीमाओं के भीतर अनुरूप होना चाहिए:
 - एक महीने से भी कम: उसी दिन;
 - एक महीने से एक वर्ष के बीच: सात दिनों के भीतर;
 - एक वर्ष से अधिक: तीस दिनों के भीतर।

85. बड़ी स्वेप खातों वाले एसपीडी अवधि की सीढ़ी में शामिल किए जाने वाले स्थितियों की गणना करने के लिए इन स्वेप के लिए वैकल्पिक सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं। एक तरीका यह होगा कि पहले स्वेप द्वारा आवश्यक भुगतानों को उनके वर्तमान मूल्यों में परिवर्तित किया जाए। उस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक भुगतान को शून्य कूपन प्रतिफल का उपयोग करके छूट दी जाएगी, और नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के लिए एक एकल निवल आंकड़ा शून्य (या कम) कूपन बॉण्ड पर लागू होने वाली प्रक्रियाओं का उपयोग करके उचित समय-बैंड में दर्ज किया जाएगा; इन आंकड़ों को सामान्य बाजार जोखिम ढांचे में रखा जाना चाहिए जैसा कि पहले निर्धारित किया गया था। एक वैकल्पिक विधि यह होगी कि अवधि विधि में उपयोग किए जाने वाले प्रतिफल में परिवर्तन से निहित निवल वर्तमान मूल्य की संवेदनशीलता की गणना की जाए और इन संवेदनशीलताओं को सारणी 1 में निर्धारित समय-बैंड में आवंटित किया जाए। समान परिणाम देने वाली अन्य विधियों का भी उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, इस तरह के वैकल्पिक निष्पादनों की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब:

- पर्यवेक्षी प्राधिकरण उपयोग की जा रही प्रणालियों की सटीकता से पूरी तरह संतुष्ट है;
- गणना की गई स्थिति ब्याज दर में परिवर्तन के लिए नकदी प्रवाह की संवेदनशीलता को पूरी तरह से दर्शाती है और उचित समय-बैंड में दर्ज की जाती है;

86. सामान्य बाजार जोखिम सभी व्युत्पन्नी उत्पादों में स्थितियों पर उसी तरह से लागू होता है जैसे कि नकद स्थितियों के लिए, सिवाय उन मामलों में जहां समान लिखतों में पूरी तरह से या बहुत बारीकी से मेल खाने वाले स्थितियों के लिए छूट है जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में परिभाषित है। लिखतों की विभिन्न श्रेणियों को परिपक्वता सीढ़ी में रखा जाएगा और पहले पहचाने गए नियमों के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

ई.1.3 इक्विटी स्थितियों के लिए पूंजी प्रभार

87. एसपीडी केवल आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण का उपयोग करके इक्विटी और इक्विटी व्युत्पन्नी पर बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना करेंगे।

ई.1.3.1 इक्विटी की स्थिति

88. यह खंड एसपीडी द्वारा इक्विटी में स्थिति रखने या लेने के जोखिम को कवर करने के लिए न्यूनतम पूंजी मानक निर्धारित करता है। यह उन सभी लिखतों में अधिक्रय और अधिविक्रय की स्थिति पर लागू होता है जो इक्विटी के समान बाजार व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, लेकिन गैर-परिवर्तनीय वरीयता शेयरों पर नहीं (जो ब्याज दर जोखिम आवश्यकताओं द्वारा कवर किया जाएगा)। एक ही इश्यू में अधिक्रय

और अधिविक्रय की स्थिति को निवल आधार पर रिपोर्ट किया जाएगा। कवर किए गए लिखतों में इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय प्रतिभूतियां शामिल हैं जो इक्विटी की तरह व्यवहार करती हैं, यानी, म्यूचुअल फंड की इकाइयां और इक्विटी खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धताएं। इक्विटी या इक्विटी जैसी स्थिति, जिनमें इक्विटी/सूचकांक व्युत्पन्नी के संबंध में निम्नलिखित खंडों में वर्णित स्थितियों को एक महीने से कम अवधि की सीढ़ी में शामिल किया जाएगा।

ई.1.3.2 इक्विटी डेरिवेटिव

89. इक्विटी व्युत्पन्नी और तुलनपत्रेत्तर स्थिति जो इक्विटी की कीमतों में बदलाव से प्रभावित होते हैं, उन्हें माप प्रणाली में शामिल किया जाना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत इक्विटी और स्टॉक सूचकांक दोनों पर फ्यूचर्स और स्वेप शामिल हैं।

90. व्युत्पन्नी को प्रासंगिक अंतर्निहित में स्थितियों में परिवर्तित किया जाना है।

ई.1.3.3 स्थितियों की गणना

91. बाजार जोखिम की गणना करने के लिए, व्युत्पन्नी में स्थितियों को काल्पनिक इक्विटी स्थितियों में परिवर्तित किया जाना चाहिए:

- (1) व्यक्तिगत इक्विटी से संबंधित वायदा और वायदा संविदाओं को सैद्धांतिक रूप से वर्तमान बाजार मूल्यों पर सूचित किया जाना चाहिए;
- (2) स्टॉक सूचकांकों से संबंधित वायदा को काल्पनिक अंतर्निहित इक्विटी पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए;
- (3) इक्विटी स्वेप को दो काल्पनिक स्थितियों के रूप में माना जाना चाहिए।

ई.1.4 विदेशी मुद्रा (एफई) स्थिति के लिए पूंजी प्रभार:

92. मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत, एसपीडी 100 प्रतिशत के जोखिम भार के साथ विदेशी मुद्रा कारोबार से उत्पन्न होने वाली निवल खुली स्थिति (सीमा या वास्तविक, जो भी अधिक हो) के लिए 15 प्रतिशत का बाजार जोखिम पूंजी प्रभार बनाए रखेंगे। विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए निवल खुली स्थिति की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड), 2025 के पैरा 199 में निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार एसपीडी पर लागू सीमा तक की जाएगी।

93. इसके अलावा, चूंकि एसपीडी को एफसीएनआर (बी) ऋण मार्ग के तहत संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई है, निर्धारित दिशानिर्देशों के अधीन, वे एफई स्थितियों को खुला रख सकते हैं। एफईडीआई दरों

पर बाजार में अंकन करके समतुल्य रुपये में इस तरह की खुली स्थिति 15 प्रतिशत के नियत बाजार जोखिम शुल्क के अधीन होगी और ऊपर बताई गई स्थितियों का हिस्सा होगी।

ई.2 आंतरिक जोखिम प्रबंधन ढांचे पर आधारित विधि

94. एसपीडी को निम्नलिखित न्यूनतम मापदंडों के अनुसार बाजार जोखिम के लिए अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन ढांचे पर आधारित वीएआर मॉडल के आधार पर पूंजी की आवश्यकता की गणना करनी चाहिए:

- (1) वीएआर की गणना दैनिक आधार पर 99वें प्रतिशत, वन-टेल्ड वाले विश्वास अंतराल पर की जानी चाहिए।
- (2) कीमतों में 15-दिन के विचलन के बराबर एक तात्कालिक मूल्य आघातों का उपयोग किया जाना है, यानी न्यूनतम "होल्डिंग अवधि" 15 ट्रेडिंग दिन होगी।
- (3) पोर्टफोलियो वीएआर की गणना करने के लिए नकदी प्रवाह की मैपिंग के आधार पर जी-सेक, कॉर्पोरेट/ पीएसयू बॉण्ड, सीपी और व्युत्पन्नी जैसे आईआरएस, एफआरए, आईआरएफ आदि जैसी सभी निश्चित आय प्रतिभूतियों को शामिल करके पूरे पोर्टफोलियो की ब्याज दर संवेदनशीलता को एकीकृत आधार पर प्राप्त किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी अस्थिरता की गणना के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है, एसपीडी उचित प्रसार के साथ जी-सेक प्रतिफल वक्र का उपयोग करके ऐसे लिखतों की अस्थिरता की गणना करेंगे। तथापि, ऐसे लिखतों और लागू किए गए स्प्रेड के विवरण की सूचना दी जानी चाहिए और कार्यप्रणाली की निरंतरता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- (4) ऐसी लिखत जो ट्रेडिंग बुक का हिस्सा हैं, लेकिन जिन्हें बाजार जोखिम की माप के अधीन करने में कठिनाई हैं, उनके लिए 15 प्रतिशत का फ्लैट बाजार जोखिम उपाय लागू किया जाएगा। इनमें म्यूचुअल फंड की यूनिट, अनुद्धत इकिटी आदि शामिल हैं, और इन्हें अन्य लिखतों के संबंध में वीएआर के तहत प्राप्त माप में अंकगणितीय रूप से जोड़ा जाना चाहिए।
- (5) पैराग्राफ 73 के नोट में स्पष्ट की गई हामीदारी प्रतिबद्धताओं को जोखिम माप उद्देश्यों के लिए वीएआर ढांचे में भी मैप किया जाना चाहिए।
- (6) एफसीएनआर (बी) ऋण योजना के तहत विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाली अनहेज्ड एफई स्थिति में पहले की तरह 15 प्रतिशत का बाजार जोखिम होगा और प्राप्त माप को अन्य लिखतों के लिए प्राप्त वीएआर माप में अंकगणितीय रूप से जोड़ा जाएगा।

- (7) वीएआर की गणना के लिए ऐतिहासिक अवलोकन अवधि (नमूना अवधि) का विकल्प न्यूनतम एक वर्ष तक और 250 ट्रेडिंग दिनों से कम नहीं होगा। एसपीडी के लिए जो ऐतिहासिक अवलोकन अवधि के लिए भार योजना या अन्य तरीकों का उपयोग करते हैं, "प्रभावी" अवलोकन अवधि कम से कम एक वर्ष होनी चाहिए (अर्थात्, व्यक्तिगत अवलोकनों का भारित औसत समय अंतराल 6 महीने से कम नहीं हो सकता है)।
- (8) पूंजीगत आवश्यकता निम्नलिखित में से उच्चतर होगी:
- पिछले दिन की वीएआर संख्या जिसे इस खंड में निर्दिष्ट उपरोक्त मापदंडों के अनुसार मापा गया है; तथा
 - दैनिक वीएआर का औसत जिसे पिछले 60 कारोबारी दिवसों पर प्रतिदिन के हिसाब से मापा जाता है, को आरबीआई द्वारा निर्धारित गुणक कारक से गुणा किया जाता है (वर्तमान में 3.3)।
- (9) कोई विशेष प्रकार का मॉडल निर्धारित नहीं है। जब तक उपयोग किया गया मॉडल एसपीडी के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों को कैप्चर करता है, उदाहरण के लिए भिन्नता-सहभिन्नता मैट्रिक्स, पुराने सिमुलेशन, मोंटी कार्लो सिमुलेशन अथवा अत्यधिक मूल्य सिद्धांत (ईवीटी) आदि पर आधारित मॉडलों, तो वे उसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- (10) बाजार जोखिम पूंजी प्रभार को मापने के लिए आंतरिक मॉडल के उपयोग के मानदंड बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग द्वारा दिए जाते हैं।

एफ. पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएँ

95. क्रेडिट जोखिम और बाजार जोखिम के लिए उपर्युक्त पूंजीगत प्रभार हर समय बनाए रखा जाएगा।
96. पात्र पूंजी की गणना करने में, यह आवश्यक होगा कि पहले क्रेडिट जोखिम के लिए एसपीडी की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता की गणना करें और इसके बाद बाजार जोखिम आवश्यकता की गणना करें जिससे यह पता लग सके कि बाजार जोखिम को सहारा देने के लिए कितनी टीयर 1 और टीयर 2 पूंजी की आवश्यकता है। क्रेडिट जोखिम के लिए 15 प्रतिशत का पूंजी प्रभार, कम से कम 50 प्रतिशत को टीयर 1 पूंजी से पूरा किया जाएगा, अर्थात् क्रेडिट जोखिम के लिए पूंजी प्रभार को पूरा करने के लिए टीयर 2 पूंजी, यदि कोई हो, टीयर 1 पूंजी के सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
97. टीयर 2 के रूप में गौण ऋण टीयर 1 पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
98. टीयर 2 पूंजी की कुल राशि टीयर 1 पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

99. पात्र पूंजी एसपीडी की कुल टीयर 1 पूंजी और लागू सीमाओं के अंतर्गत इसकी पूरी टीयर 2 पूंजी, जैसाकि ऊपर संक्षेप में बताया गया है, का योग होगी।

100. समग्र पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना क्रेडिट जोखिम और बाजार जोखिम कारकों के बीच स्पष्ट लिंक स्थापित करके बाजार जोखिम पूंजी प्रभार को 6.67 अर्थात् 15 प्रतिशत न्यूनतम क्रेडिट जोखिम पूंजी प्रभार के रिसीप्रेकल से गुणा करके किया जाएगा।

101. परिणामी आंकड़े को ऋण जोखिम प्रयोग के लिए तैयार की गई जोखिम भारित परिसंपत्तियों के योग में जोड़ा जाएगा। समग्र अनुपात की गणना के लिए अंश एसपीडी का कुल पूंजी फंड (टियर 1 और टियर 2 पूंजी, लागू कटौती के बाद, यदि कोई हो) होगा। पूंजीगत प्रभार की गणना [अनुबंध II](#) में दर्शाई गई है।

जी. आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी)

102. एसपीडी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निर्देश, 2025 के पैरा 54 का संदर्भ लेंगे।

एच. एसपीडी गतिविधियों का विविधीकरण

103. एसपीडी की गतिविधियों के विविधीकरण संबंधी दिशा-निर्देश इन निदेशों में निर्धारित किए गए अनुसार होंगे।

104. नीचे निर्धारित गतिविधियों के लिए बाजार जोखिम का पूंजीगत प्रभार (इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार गणना किए गए) एसपीडी के पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार निवल स्वधिकृत निधि (एनएफओ) के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

- (i) इक्विटी और इक्विटी व्युत्पन्नी बाजार में निवेश/ ट्रेडिंग
- (ii) इक्विटी उन्मुखी म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश
- (iii) इक्विटी के सार्वजनिक जारीकरण की हामादारी
- (iv) मुद्रा वायदा बाजार में भागीदारी
- (v) उपयोगकर्ताओं को विदेशी मुद्रा सृजन की सुविधा प्रदान करना, जैसा कि वर्तमान में श्रेणी-1 अधिकृत डीलरों को अनुमति है।

105. एसपीडी 1 जुलाई 2016 के मास्टर निदेश IDMD.PDRD.01/03.64.00/2016-17 के तहत प्राथमिक डिलरों के लिए जारी परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुबंध VIII में निहित निदेशों के अनुसार आंतरिक मॉडलों का उपयोग करते हुए स्टॉक पोजिशन/ अंतर्निहत स्टॉक पोजिशन/ इक्विटी उन्मुखी म्यूचुअल फंड की यूनिटों पर बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार की गणना करेंगे। जहां तक इक्विटी,

इक्विटी डेरिवेटिव्स और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों में निवेश से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संबंध है, एसपीडी ऊपर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजीगत प्रभार की गणना करेंगे।

अध्याय IV - निधि के स्रोत और प्रयोज्यता

ए. निधि के स्रोत

106. एसपीडी को कॉल/ नोटिस/ टर्म मनी मार्केट, रेपो (सीबीएलओ सहित) बाजार, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, एफसीएनआर (बी) ऋण, वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर से निधि उधार लेने की अनुमति है। वे रिज़र्व बैंक से चलनिधि सहायता प्राप्त करने के लिए भी पात्र हैं।

ए.1 कॉल / नोटिस मार्केट

107. एसपीडी को पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में अपने एनओएफ के 225 प्रतिशत तक 'रिपोर्टिंग पखवाड़े' में औसतन, कॉल/ नोटिस बाजार से उधार लेने की अनुमति है। वे एक 'रिपोर्टिंग पखवाड़े' में औसतन कॉल/ नोटिस मनी मार्केट में अपने एनओएफ का 25 प्रतिशत तक उधार दे सकते हैं। ऋण लेने और ऋण देने की ये सीमाएं बैंक द्वारा आवधिक समीक्षा के अधीन हैं। एसपीडी [दिनांक 01 अप्रैल, 2021 के मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक \(मांग, नोटिस और सावधि मुद्रा बाजार\) निदेश, 2021](#) के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।

ए.2 अंतर-कॉर्पोरेट जमाराशि (आईसीडी)

108. एसपीडी द्वारा अपनी वित्तपोषण आवश्यकताओं के अनुसार आईसीडी जुटाया जा सकता है। एसपीडी आईसीडी के लिए बोर्ड अनुमोदित नीति लागू करनी होगी जो संबंधित जोखिमों पर उचित विचार करेगी और इसमें निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत शामिल होंगे:

- (1) आईसीडी उधार किसी भी स्थिति में पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में एनओएफ के 150 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- (2) एसपीडी द्वारा स्वीकृत आईसीडी कम से कम एक सप्ताह की अवधि के लिए होंगे।
- (3) माता-पिता/ प्रमोटर/ समूह कंपनियों या किसी अन्य संबंधित पार्टी से स्वीकार किए गए आईसीडी 'स्वतंत्र आधार' पर होंगे और वित्तीय विवरणों में "संबंधित पार्टी लेनदेन" के रूप में प्रकट किए जाएंगे।
- (4) आईसीडी के माध्यम से जुटाई गई निधियां एएलएम अनुशासन के अधीन हैं।

109. एसपीडी को आईसीडी बाजार में निधि नियोजित करने की पाबंदी है।

ए.3 एफसीएनआर (बी) ऋण/ विदेशी वाणिज्यिक उधार

110. एसपीडी पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में एनओएफ के अधिकतम 25 प्रतिशत तक एफसीएनआर (बी) ऋण प्राप्त कर सकते हैं और यह इस शर्त के अधीन है कि ऐसे ऋणों के विदेशी मुद्रा जोखिम को हर समय कम से कम 50 प्रतिशत की सीमा तक हेज किया जाए।

111. एसपीडी इस एक्सपोजर के कारण इन निर्देशों के तहत आवश्यक पूंजी बनाए रखेंगे।

112. एसपीडी को बाहरी वाणिज्यिक उधारों के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति नहीं है।

ए.4 गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)

113. एसपीडी किसी बैंक के साथ कार्यशील पूंजी सीमा की आवश्यकता के बिना एक वर्ष तक की परिपक्वता के एनसीडी जारी कर सकते हैं। वे [दिनांक 03 जनवरी, 2024 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक \(एक वर्ष तक मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर\) निदेश, 2024](#) द्वारा शासित होंगे।

ए.5 वाणिज्यिक पत्र

114. एसपीडी द्वारा वाणिज्यिक पत्र का निर्गमन, [03 जनवरी 2024 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक \(एक वर्ष तक मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर\) निदेश, 2024](#) के अनुरूप "वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार होगा।

बी. निधि का उपयोग

115. एसपीडी को कुछ कोर और गैर-कोर गतिविधियों को कार्यान्वित करने की अनुमति है। एसपीडी जो केवल कोर गतिविधियों का निष्पादित करते हैं, वे न्यूनतम 150 करोड़ रुपये का एनओएफ बनाए रखेंगे। एसपीडी जो गैर-कोर गतिविधियां भी करते हैं, उन्हें न्यूनतम 250 करोड़ रुपये का एनओएफ बनाए रखना होगा।

116. निवेश पैटर्न के संदर्भ में, सरकारी प्रतिभूति में निवेश को गैर-कोर गतिविधियों पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। एसपीडी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने कुल वित्तीय निवेश (दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों) का कम से कम 50 प्रतिशत किसी भी समय सरकारी प्रतिभूति में रखें। सरकारी प्रतिभूति में निवेश में एसपीडी का अपना स्टॉक, तरलता समर्थन/ एकदिवसीय चलनिधि (आईडीएल)/ एलएएफ के तहत रिज़र्व बैंक के साथ स्टॉक, रेपो उधार के लिए बाजार के साथ स्टॉक और सीसीआईएल के साथ गिरवी रखा गया सरकारी प्रतिभूति शामिल होगा।

117. एसपीडी का दैनिक आधार पर सरकारी प्रतिभूति (टी-बिल्स और सीएमबी सहित) और कॉर्पोरेट बॉन्ड (एनओएफ के 50 प्रतिशत तक) में निवेश, उसके निवल कॉल/ नोटिस/ रेपो (सीबीएलओ सहित) उधार और निवल आरबीआई उधार (एलएएफ/ एकदिवसीय चलनिधि/ चलनिधि समर्थन के माध्यम से) के साथ-साथ न्यूनतम निर्धारित एनओएफ के बराबर होगा।

118. निम्नलिखित को कोर गतिविधियों के तहत अनुमति दी गई है:

- (1) सरकारी प्रतिभूति में सौदा और हामीदारी,
- (2) ब्याज दर व्युत्पन्न में सौदा करना,
- (3) सरकारी प्रतिभूति में ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करना
- (4) कॉर्पोरेट/ पीएसयू/ एफआई बॉण्ड/ डिबेंचर में सौदा और हामीदारी
- (5) कॉल/ नोटिस/ अवधि/ रेपो/ सीबीएलओ बाजार में उधार देना
- (6) वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) में निवेश,
- (7) जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) में निवेश,
- (8) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, आस्ति आधारित प्रतिभूतियों (एबीएस), बंधक आधारित प्रतिभूतियाँ (एमबीएस) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश,
- (9) ऋण म्यूचुअल निधि में निवेश जहां संपूर्ण कोष ऋण प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है,
- (10) एनसीडी में निवेश, और
- (11) ऋण चूक स्वैप में सौदा करना।

119. एसपीडी को निम्नलिखित गैर-कोर गतिविधियाँ करने की अनुमति है:

- (1) ऐसी गतिविधियाँ जिनसे पूंजी की खपत होने की उम्मीद है:
 - (i) इक्विटी और इक्विटी व्युत्पन्नी बाजार में निवेश/ ट्रेडिंग,
 - (ii) इक्विटी आधारित म्यूचुअल निधियों की इकाइयों में निवेश,
 - (iii) इक्विटी के सार्वजनिक जारीकरण की हामीदारी करना,
 - (iv) मुद्रा वायदा बाजार में भागीदारी, और
 - (v) उपयोगकर्ताओं को विदेशी मुद्रा बाजार सृजन की सुविधाएं प्रदान करना, जैसा कि वर्तमान में श्रेणी-I के अधिकृत डीलरों को अनुमति है।
- (2) ऐसी सेवाएँ जिनके लिए महत्वपूर्ण पूंजी परिव्यय की आवश्यकता नहीं होगी:
 - (i) पेशेवर समाशोधन सेवाएं,
 - (ii) पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं,

- (iii) इश्यू प्रबंधन सेवाएं,
 - (iv) विलय और अधिग्रहण सलाहकार सेवाएं,
 - (v) निजी इक्विटी प्रबंधन सेवाएं,
 - (vi) परियोजना मूल्यांकन सेवाएं,
 - (vii) ऋण सिंडिकेशन सेवाएं,
 - (viii) ऋण पुनर्निर्धारण सेवाएं,
 - (ix) परामर्श सेवाएं,
 - (x) म्यूचुअल निधि इकाइयों का वितरण, और
 - (xi) बीमा उत्पादों का वितरण।
- (3) यदि आवश्यक हो तो ऊपर वर्णित गतिविधियों को करने के लिए अन्य नियामकों की विशिष्ट मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।
- (4) एसपीडी को इक्विटी में ब्रोकिंग, तथा पण्य और स्वर्ण में ट्रेडिंग/ ब्रोकिंग करने की अनुमति नहीं है।
- (5) गैर- कोर गतिविधियों का जोखिम एसपीडी द्वारा गतिविधियों के विविधीकरण के लिए दिए गए निर्देशों में दिए गए नियामक और विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होगा।
- (6) गैर-कोर व्यावसायिक खंडों में विविधीकरण करने का विकल्प चुनने वाले एसपीडी उन खंडों के लिए विविधीकरण, संगठन संरचना और रिपोर्टिंग स्तरों के दायरे को आंतरिक रूप से परिभाषित करेंगे। वे अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति में उन खंडों के लिए जोखिम और जोखिम सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित करेंगे।

एसपीडी की कोर और गैर-कोर गतिविधियों का जोखिम पूंजी आवंटन (ऋण जोखिम और बाजार जोखिम) के अधीन होगा, जैसा कि इन निर्देशों के अध्याय III में निर्धारित है।

बी.1 तैयार वायदा लेनदेन के लिए मानदंड

120. एसपीडी को कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों और सरकारी प्रतिभूतियों में उधारदाताओं और उधारकर्ताओं दोनों के रूप में तैयार वायदा (रेपो) बाजार में भाग लेने की अनुमति है, जो एफएमआरडी द्वारा [11 नवंबर 2025 के, मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक \(पुनर्खरीद संव्यवहार \(रेपो\)\) निदेश, 2025](#) और 01 जुलाई 2016 के मास्टर निदेश - प्राथमिक डीलरों के लिए परिचालन दिशानिर्देश के माध्यम से जारी निर्देशों के अधीन है जिन्हें आईडीएमडी द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है। इसके अलावा, रेपो लेनदेन में भाग लेने वाले ऐसे एसपीडी, एफएमआरडी द्वारा जारी [11 नवंबर 2025](#)

[के मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक \(पुनर्खरीद संव्यवहार \(रेपो\)\) निदेश, 2025](#) और [19 मई 2016 एफएमआरडी.डीआईआरडी.10/14.03.002/2015-16](#), समय-समय पर संशोधित के अनुसार रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए एक समान लेखांकन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे।

121. एक एसपीडी अपने स्वयं के घटक के साथ कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो में प्रवेश नहीं करेगा या अपने दो घटकों के बीच रेपो की सुविधा प्रदान करेगा।

122. सूचीबद्ध कंपनियां निम्नलिखित शर्त के अधीन रेपो लेनदेन कर सकती हैं:

जहां सूचीबद्ध कंपनी रेपो अनुबंध के पहले चरण में प्रतिभूतियों की 'क्रेत' है (अर्थात निधि की ऋणदाता), जिस संरक्षक के माध्यम से रेपो लेनदेन का निपटान किया जाता है, उसे गिल्ट खाते में इन प्रतिभूतियों को ब्लॉक करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन प्रतिभूतियों को रेपो अवधि के दौरान आगे नहीं बेचा या फिर से रेपो नहीं किया जाए, लेकिन दूसरे चरण के तहत वितरण के लिए रखा जाए।

बी.2 ब्याज दर डेरिवेटिव पर दिशानिर्देश

123. समय-समय पर संशोधित, [मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक \(ओटीसी डेरिवेटिव में मार्केट मेकर्स\) निदेश, 2021](#) और [26 जून 2019 के रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव \(रिज़र्व बैंक\) निदेश, 2019](#) में निर्धारित अनुसार एसपीडी को ब्याज दर व्युत्पन्नियों पर लागू दिशानिर्देश का पालन करना चाहिए। एसपीडी को हेजिंग और अपने खाते पर निवेश, न कि ग्राहक के खाते पर दोनों के लिए ब्याज दर वायदा (आईआरएफ) में सौदा करने की अनुमति है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित [26 जून 2019 के रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव \(रिज़र्व बैंक\) निदेश, 2019](#) में दिया गया है।

124. एसपीडी को ग्राहकों के साथ सौदे के अलावा अपने सभी आईआरएस/एफआरए सौदों के समय से 30 मिनट के भीतर सीसीआईएल रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर की रिपोर्ट करनी चाहिए। इसके अलावा, ग्राहकों के साथ सभी लेनदेन को [05 जुलाई, 2016 के मास्टर निदेश - जोखिम प्रबंध तथा अंतर-बैंक लेनदेन](#) में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार रिपोर्ट किया जाएगा।

बी.3 क्रेडिट चूक स्वैप पर दिशानिर्देश

125. एसपीडी, बाजार-निर्माताओं के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं दोनों के रूप में सीडीएस में लेनदेन कर सकते हैं। एक उपयोगकर्ता के रूप में, एसपीडी अपने ट्रेडिंग बुक में रखे गए कॉर्पोरेट बॉन्ड में ऋण जोखिम को कम करने के लिए सीडीएस का उपयोग कर सकता है। सीडीएस के लिए पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंडों पर दिशानिर्देश [अनुबंध IV](#) में दिए गए हैं। सीडीएस में बाजार निर्माता के रूप में कार्य करने के इच्छुक एसपीडी निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करेंगे:

(1)न्यूनतम निवल स्वामित्व वाली राशि ₹500 करोड़

(2)न्यूनतम सीआरएआर 15 प्रतिशत

(3)विभिन्न जोखिमों से निपटने के लिए मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणाली

126. सीडीएस बाजार में बाजार निर्माता के रूप में कार्य करने के लिए एसपीडी को नियामक अनुमोदन, केंद्रीय कार्यालय, आरबीआई, मुंबई द्वारा मामले के आधार पर आवेदन पर दिया जाएगा।

बी.4 गैर-जी-सेक में निवेश पर दिशानिर्देश

127. एसपीडी, गैर-जी-सेक (जिसमें पूंजीगत लाभ बॉण्ड, प्राथमिकता क्षेत्र की स्थिति के लिए पात्र बॉण्ड, सरकारी गारंटी के साथ या उसके बिना केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी बॉण्ड और बैंकों और वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी बॉण्ड शामिल हैं) जो कि आम तौर पर कॉर्पोरेट, बैंकों, एफआई और राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थानों, विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) आदि द्वारा जारी किए जाते हैं, में निवेश हेतु इन दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। ये दिशानिर्देश प्राथमिक और द्वितीयक बाजार दोनों में निवेश पर लागू होंगे। हालाँकि, ये दिशानिर्देश निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

- (1) इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि योजनाओं की इकाइयां जहां कोष का कोई भी हिस्सा इक्विटी में निवेश किया जा सकता है
- (2) जोखिम पूंजी निधि,
- (3) सीपी,
- (4) सीडी, और
- (5) इक्विटी शेयरों में निवेश।

128. एसपीडी को कॉर्पोरेट बॉन्ड में मालिकाना लेन-देन करने के उद्देश्य से सेबी द्वारा अनुमोदित शेयर बाजारों का सदस्य बनने की अनुमति है। ऐसा करते समय, एसपीडी सेबी द्वारा निर्धारित सभी विनियामक मानदंडों और शेयर बाजारों के सभी पात्रता मानदंडों/ नियमों का पालन करेगा।

129. दिनांक 01 जुलाई 2016 के मास्टर निदेश IDMD.PDRD.01/03.64.00/2016-17 के तहत जारी किए गए प्राथमिक डीलरों के लिए परिचालनगत दिशा-निर्देश-मास्टर निदेश में निहित अनुदेशों के अनुसार, एसपीडी को कॉल / नोटिस मनी मार्केट उधार के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में एनओएफ के 225 प्रतिशत की समग्र अनुमत औसत पाक्षिक सीमा के भीतर कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश के लिए एनओएफ के 50 प्रतिशत की उप-सीमा की अनुमति दी गई है।

130. [दिनांक 01 अप्रैल 2021 के मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक \(मांग, नोटिस और सावधि मुद्रा बाजार\) निदेश, 2021](#) और [दिनांक 03 जनवरी 2024 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक \(एक वर्ष](#)

[तक मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर\) निदेश, 2024](#) में सूचित किए अनुसार एनसीडी, सीपी और सीडी के अलावा एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता के गैर-जी-सेक में एसपीडी निवेश नहीं करेंगे। एसपीडी को कॉरपोरेट्स (एनबीएफसी सहित) द्वारा जारी एक वर्ष तक मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले एनसीडी में निवेश करने की अनुमति है। हालांकि, ऐसे गैर-सूचीबद्ध एनसीडी में उनका निवेश उनके गैर-जी-सेक पोर्टफोलियो के आकार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ऐसे उपकरणों में निवेश करते समय, एसपीडी को मौजूदा विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों और समय-समय पर संशोधित किए गए [दिनांक 03 जनवरी 2024 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक \(एक वर्ष तक मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर\) निदेश, 2024](#) में निहित अनुदेशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

131. एसपीडी गैर-जी-सेक में निवेश के संबंध में सामान्य रूप से उचित जांच करेंगे।

132. एसपीडी अनरेटेड गैर-जी-सेक में निवेश नहीं करेंगे।

133. एसपीडी कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में सेबी द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करेंगे। तदनुसार, गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में नए निवेश करते समय, एसपीडी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे निवेश, सिवाय ऊपर पैराग्राफ 130 में दर्शाए गए सीमा तक, केवल सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में किए जाएं।

134. गैर-सूचीबद्ध गैर-जी-सेक में एसपीडी का निवेश उनके गैर-जी-सेक पोर्टफोलियो के आकार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा में प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश और एबीएस और एमबीएस में निवेश भी शामिल होगा। ऐसी गैर-सूचीबद्ध गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों, जिनमें एसपीडी ऊपर विनिर्दिष्ट सीमा तक निवेश करेंगे, को सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।

135. सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सूचीबद्ध ऋण सुरक्षा में स्पॉट लेन-देन को छोड़कर सभी व्यापारों को केवल शेयर बाज़ारके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निष्पादित किया जाएगा। रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाएं कॉर्पोरेट बॉन्ड और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों में अपने द्वितीयक बाजार ओटीसी व्यापारों की, व्यापार के 15 मिनट के भीतर, किसी भी शेयर बाज़ार (एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स-एसएक्स) पर रिपोर्ट करेंगी। इन व्यापारों को किसी भी समाशोधन निगम (NSCCL, ICCL और MCXSX CCL) के माध्यम से समाशोधन और निपटान किया जा सकता है।

136. एसपीडी यह सुनिश्चित करेंगे कि गैर-जी-सेक में निवेश के संबंध में दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट सभी प्रासंगिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उनकी निवेश नीतियां तैयार की जाएं। उन्हें निवेश करने से पहले और समय पर उपचारात्मक उपाय करने से पहले गैर-जी-सेक के संबंध में जोखिम को पकड़ने और विश्लेषण करने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। एसपीडी यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां भी स्थापित करेंगे कि निजी तौर पर रखे गए लिखतों में निवेश संबंधित एसपीडी की निवेश नीति के तहत निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाए।

137. एसपीडी के बोर्ड गैर-जी-सेक में निवेश के निम्नलिखित पहलुओं की कम से कम तिमाही अंतराल पर समीक्षा करेंगे:

- (1) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कुल कारोबार (निवेश और विनिवेश)।
- (2) गैर-जी-सेक में निवेश के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के साथ-साथ विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों का अनुपालन।
- (3) एसपीडी की पुस्तकों में रखे गए जारीकर्ताओं/मुद्दों के रेटिंग माइग्रेशन।

138. ऋण के निजी प्लेसमेंट पर एक केंद्रीय डेटाबेस के निर्माण में मदद करने के लिए, सभी प्रस्ताव दस्तावेजों की एक प्रति एसपीडी द्वारा सभी साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) के साथ दायर की जाएगी। इसके अलावा, किसी भी निजी तौर पर रखे गए ऋण के संबंध में ब्याज/ किस्त से संबंधित किसी भी चूक की सूचना निवेश एसपीडी द्वारा सभी सीआईसी को प्रस्ताव दस्तावेज़ की एक प्रति के साथ भी दी जाएगी।

बी.5 इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव बाज़ार में निवेश/ व्यापार

139. एसपीडी को इन निदेशों के पैरा 119 के तहत अनुमति के अनुसार इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव बाज़ार में मालिकाना लेन-देन करने के लिए सेबी द्वारा अनुमोदित स्टॉक एक्सचेंजों/ क्लियरिंग निगमों के साथ व्यापार और स्व-समाशोधन सदस्यता लेने की अनुमति है। ऐसा करते समय, एसपीडी सेबी द्वारा निर्धारित सभी विनियामक मानदंडों और शेयर बाज़ारों और समाशोधन निगमों के सभी पात्रता मानदंडों/ नियमों का पालन करेंगे।

बी.6 एसपीडी द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं

140. निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेबी की पीएमएस योजना के तहत एसपीडी अपने ग्राहकों को पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं (पीएमएस) प्रदान कर सकते हैं:

- (1) पीएमएस शुरू करने से पहले, एसपीडी को सेबी से पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र और रिज़र्व बैंक से एक विशिष्ट अनुमोदन भी प्राप्त करना चाहिए।
- (2) पीएमएस की पेशकश किसी भी आरबीआई विनियमित इकाई को नहीं की जा सकती है। हालांकि, उन्हें उपयुक्त अस्वीकरण के साथ सलाहकार सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।
- (3) जहां लागू हो, किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा विनियमित ग्राहकों को एसपीडी के साथ किसी भी पीएमएस व्यवस्था में प्रवेश करने से पहले विनियामक या किसी अन्य प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।
- (4) एसपीडी को सेबी (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 और उसमें जारी किए गए किसी भी संशोधन या उसके तहत जारी किए गए अनुदेशों का पालन करना आवश्यक है।

141. एसपीडी निम्नलिखित शर्तों का पालन करेंगे:

- (1) पीएमएस ग्राहकों से एक स्पष्ट आदेश प्राप्त किया जाएगा और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। विशेष रूप से, जोखिम प्रकटीकरण, हानि की संभावना और इसमें शामिल लागतों (शुल्क और कमीशन) पर पूरी समझ होनी चाहिए।
- (2) पीएमएस, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी रिटर्न की गारंटी के बिना, पूरी तरह से ग्राहक के जोखिम पर होगा।
- (3) निधि/प्रतिभूतियां, हर बार जब उन्हें पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए एसपीडी के साथ रखा जाता है, तो उन्हें एक वर्ष से कम अवधि के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (4) पोर्टफोलियो निधि को कॉल/ नोटिस/ टर्म मनी/ बिल, रिडिस्काउंटिंग मार्केट्स, बदला फाइनेंसिंग या कॉर्पोरेट/ नॉन-कॉर्पोरेट निकायों के साथ उधार देने के लिए तैनात नहीं किया जाएगा।
- (5) ग्राहक-वार खाते/ प्रबंधन के लिए स्वीकार की गई निधियों के रिकॉर्ड और उसके खिलाफ किए गए निवेशों को बनाए रखा जाएगा और ग्राहक नियमित अंतराल पर खाते के विवरण प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- (6) पीएमएस ग्राहकों से संबंधित निवेश और धन को एक दूसरे से और एसपीडी से अलग और पृथक रखा जाएगा। जहां तक संभव हो, सभी ग्राहक लेनदेन बाज़ार में निष्पादित किए जाएंगे और आंतरिक रूप से, या तो एसपीडी या किसी अन्य ग्राहक के साथ ऑफ-सेट नहीं किए जाएंगे। एसपीडी और किसी भी पीएमएस ग्राहक के बीच या दो पीएमएस ग्राहकों के बीच सभी लेनदेन सख्ती से बाजार दरों पर होंगे।

बी.7 शेयर बाज़ारों पर जी-सेक का व्यापार

142. खुदरा सहित निवेशकों के सभी वर्गों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, शेयर बाज़ारों पर एक राष्ट्रव्यापी, अनाम, ऑर्डर आधारित स्क्रीन आधारित व्यापार प्रणाली के माध्यम से जी-सेक में व्यापार करने की अनुमति दी गई है, जिस तरह से इक्विटी में व्यापार होता है। तदनुसार, राष्ट्रीय शेयर बाज़ार (एनएसई), बॉम्बे शेयर बाज़ार, मुंबई (बीएसई), ओवर दि काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (ओटीसीआई) और एमसीएक्स शेयर बाज़ार की ऑटोमेटेड ऑर्डर ड्रिवेन सिस्टम पर डीमैट फॉर्म में दिनांकित जी-सेक के व्यापार की अनुमति है। यह ट्रेडिंग सुविधा एनडीएस में रिपोर्टिंग/ ट्रेडिंग सुविधा के अतिरिक्त है। एक समानांतर प्रणाली होने के नाते, बाज़ारों पर संपन्न व्यापारों को उनके संबंधित क्लियरिंग कॉर्पोरेशन/ क्लियरिंग हाउस द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

143. एसपीडी जी-सेक बाजार को तरलता प्रदान करने और खुदरा बिक्री को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। इसलिए, वे एक्सचेंजों पर ऑर्डर देने और लेने की प्रक्रिया के माध्यम से निवेशकों की सभी श्रेणियों को जी-सेक वितरित करने की सुविधा का पूरा उपयोग करेंगे। एसपीडी आरबीआई के साथ अपने खातों के अलावा एनएसडीएल/ सीडीएसएल के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ डीमैट खाते खोल सकते हैं। एसजीएल/ सीएसजीएल और स्वयं के डीमैट खाते के बीच प्रतिभूतियों का मूल्य मुक्त हस्तांतरण पीडीओ-मुंबई द्वारा सरकार और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए), आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन सक्षम है।

144. शेयर बाज़ार पर जी-सेक के व्यापार के लिए एसपीडी द्वारा निम्नलिखित का पालन किया जाएगा:

- (1) एसपीडी को शेयर बाज़ार में व्यापार करने में सक्षम बनाने के लिए अपने बोर्ड से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त होगा।
- (2) एसपीडी केवल प्रतिभूतियों के देने और लेने के आधार पर लेनदेन करेंगे।
- (3) ब्रोकर/ ट्रेडिंग मेंबर को सेटलमेंट प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। सभी व्यापारों को या तो सीधे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन/ क्लियरिंग हाउस के साथ या फिर समाशोधन सदस्य संरक्षक के माध्यम से (यदि वे समाशोधन सदस्य हैं) निपटाया जाएगा।
- (4) किसी एक ब्रोकर के माध्यम से किए गए व्यापार भी ब्रोकरों के माध्यम से किए गए लेन-देन पर लागू वर्तमान नियमों के अधीन होंगे।
- (5) प्रतिभागियों को लेन-देन के लिए अधिक प्रसंस्करण समय प्रदान करने और बेहतर निधियों के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन में मदद करने के लिए जी-सेक में सभी एकमुश्त द्वितीयक बाजार लेन-देन के टी + 1 आधार पर एक मानकीकृत निपटान अपनाया गया है।

- (6) हालांकि, जी-सेक में रेपो लेन-देन के मामले में, बाजार सहभागियों के पास अपनी आवश्यकताओं के अनुसार टी+0 आधार या टी+1 आधार पर पहले चरण को निपटाने का विकल्प होगा।
- (7) प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी न होने/ स्पष्ट निधियों की अनुपलब्धता के कारण किसी भी निपटान विफलता को एसजीएल बाउंसिंग के रूप में माना जाएगा और एसजीएल लेनदेन के संबंध में वर्तमान दंड लागू होगा। शेयर बाजार संबंधित पीडीओ को ऐसी विफलताओं की रिपोर्ट करेंगे।
- (8) एसपीडी जो शेयर बाजारों के व्यापारिक सदस्य हैं, उन्हें अपने गैर-संस्थागत ग्राहक व्यापारों की ओर से सीमांत लगाना पड़ सकता है। इस तरह के सीमांत को संबंधित ग्राहकों से एकत्र किया जाना आवश्यक है। एसपीडी अपने ग्राहक व्यापारों की ओर से सीमांत का भुगतान नहीं करेंगे और अपने ग्राहकों के लिए रात्रिकालीन क्रेडिट जोखिम नहीं उठाएंगे। जहां तक सीमांत के लिए ग्राहकों पर इंटरडेक्सपोजर का संबंध है, एसपीडी को ऐसे एक्सपोजर में अंतर्निहित जोखिमों के बारे में पता होना चाहिए।
- (9) एसपीडी जो समाशोधन/ अभिरक्षा सेवाएं प्रदान करने का इच्छा रखते हैं, उन्हें इस संबंध में सेबी से विशिष्ट अनुमोदन लेना होगा। इसी प्रकार, एसपीडी जो शेयर बाजारों की ट्रेडिंग सदस्यता लेने का इच्छा रखते हैं, उन्हें सेबी और शेयर बाजारों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होगा।

बी.8 मुद्रा फ्यूचर्स बाजार में एसपीडी की सहभागिता

145. एसपीडी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मान्यता प्राप्त बाजारों में कारोबार किए गए मुद्रा फ्यूचर्स संविदा में सौदा करने की अनुमति है:

(1) पात्रता

- (i) एसपीडी के लिए मुद्रा फ्यूचर्स के लिए एक्सपोजर को एक गैर-प्रमुख गतिविधि के रूप में माना जाएगा और केवल एसपीडी जिनके पास न्यूनतम ₹250 करोड़ का निवल स्वामित्व वाला निधि या विविध गतिविधि करने के लिए निर्धारित कोई भी राशि है, को मुद्रा फ्यूचर्स में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
- (ii) पूंजीगत आवश्यकताओं पर निदेश में निर्धारित अनुसार, अन्य (नॉन-कोर) गतिविधियों (मुद्रा फ्यूचर्स सहित) के लिए बाजार जोखिम का पूंजीगत प्रभार, जिनसे पूंजी की खपत होने की आशंका है, पिछले लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार निवल स्वाधिकृत निधि के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए (अर्थात्, इन निदेशों के पैराग्राफ 102 में निर्दिष्ट सीमा)।

(iii) एसपीडी को [दिनांक 05 जुलाई 2016 को जारी मास्टर निदेश - जोखिम प्रबंध तथा अंतर-बैंक लेनदेन](#) (समय-समय पर संशोधित) में दिए गए अनुदेशों, जहाँ तक वे एसपीडी पर लागू होते हैं, का पालन करना होगा।

(2) सदस्यता: एसपीडी को सेबी से मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ार के मुद्रा डेरिवेटिव्स संवर्ग में, या तो क्लाइंट के तौर पर या फिर प्रत्यक्ष व्यापार/ क्लियरिंग सदस्य के तौर पर मुद्रा फ्यूचर्स बाज़ार में हिस्सा लेने की अनुमति है।

(3) सौदा सीमा: एसपीडी को एक्सचेंज द्वारा तय की गई सीमा के अनुसार, मुद्रा फ्यूचर्स बाज़ार में अंतर्निहित जोखिम के साथ या उसके बिना अधिक्रय और अधिविक्रय स्थिति लेने की अनुमति है। हालाँकि, संबंधित मुद्रा जोड़े में सभी स्टॉक एक्सचेंजों में सभी अनुबंधों में कुल जोखिम स्थिति नीचे उल्लिखित सीमाओं से अधिक नहीं होनी चाहिए:

मुद्रा जोड़े	स्थिति सीमा
यूएसडी-रुपया	सभी अनुबंधों में सकल खुली स्थिति कुल खुले ब्याज के 15 प्रतिशत या 50 मिलियन अमरीकी डॉलर, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ईयूआर- रुपया	सभी अनुबंधों में सकल खुली स्थिति कुल खुले ब्याज के 15 प्रतिशत या 25 मिलियन यूरो, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जीबीपी- रुपया	सभी अनुबंधों में सकल खुली स्थिति कुल खुले ब्याज के 15 प्रतिशत या 25 मिलियन पाउंड, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जेपीवाई- रुपया	सभी अनुबंधों में सकल खुली स्थिति कुल खुले ब्याज के 15 प्रतिशत या 100 मिलियन येन, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(4) जोखिम प्रबंधन

(i) एसपीडी जोखिम प्रबंधन पर विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित करेंगे जिसमें जोखिम सीमा और जोखिमों के प्रबंधन के लिए बोर्ड की मंजूरी के साथ जोखिम प्रबंधन, जोखिम सीमा और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं शामिल हैं।

(ii) एसपीडी उपरोक्त निर्धारित स्थिति सीमाओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली स्थापित करेंगे।

(iii) एसपीडी को मुद्रा फ्यूचर्स में भागीदारी के लिए प्रणाली और कार्यबल के संदर्भ में पर्याप्त बुनियादी ढांचे को बनाए रखना चाहिए।

(5) सामान्य

- (i) पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य से, एसपीडी को इन निदेशों के पैरा 18 से 94 में दिए गए अनुदेशों और विभिन्न जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार प्रदान करने के लिए इन निदेशों में निर्धारित अन्य निर्देशों का पालन करना चाहिए। चूंकि मुद्रा फ्यूचर्स अनुबंध अधिकृत स्टॉक एक्सचेंजों के सीसीपी समाशोधन के अधीन होंगे, इसलिए क्रेडिट जोखिम के लिए पूंजी शुल्क की गणना इन निदेशों के पैरा 52 से 64 में सीसीपी के प्रति जोखिम के लिए पूंजी शुल्क की गणना के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार की जाएगी। विनिमय दर अनुबंधों के लिए उपयोग किया जाने वाला ऋण रूपांतरण कारक इन निदेशों के पैरा 65 से 67 के अनुसार होगा। इसके अलावा, मौजूदा पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार, विदेशी मुद्रा में बाजार जोखिम के लिए पूंजी शुल्क को मानकीकृत दृष्टिकोण और आंतरिक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क-आधारित वैल्यू एट रिस्क (वीएआर) मॉडल द्वारा तैयार किया जाएगा, और बाजार जोखिम के लिए पूंजी शुल्क दोनों आवश्यकताओं में से अधिक होगा। मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत, एसपीडी विदेशी मुद्रा एक्सपोजर में बाजार जोखिम के लिए पूंजी शुल्क की गणना पैरा 92 से 93 में निहित निदेशों के अनुसार करेंगे। बाजार जोखिम के लिए पूंजी शुल्क ऋण जोखिम के लिए पूंजी शुल्क के अतिरिक्त होगा, जिसे इन निदेशों में दिए गए अनुदेशों के अनुसार बनाए रखा जाएगा।
- (ii) सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक डीलरशिप व्यवसाय की बाध्यताओं को पूरा करने में विफलता या पर्यवेक्षी चिंता के कारण किसी अन्य उल्लंघन के मामले में, बैंक मुद्रा फ्यूचर्स अनुबंधों में सौदा करने की अनुमति को वापस लेने या प्रतिबंध लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बी.9 विदेशी मुद्रा व्यवसाय

146. एसपीडी को उपयोगकर्ताओं को सभी विदेशी मुद्रा बाजार-निर्माण सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति है, जैसा कि वर्तमान में श्रेणी-1 अधिकृत डीलरों को अनुमत है, जो निम्नलिखित विवेकपूर्ण और अन्य नियमों/ दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन है। ऐसी गतिविधियां उनकी गैर-कोर गतिविधियों का हिस्सा होंगी। एसपीडी निम्नलिखित विवेकपूर्ण नियमों का पालन करेंगे:

- (1) एसपीडी, कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियों की गणना करते समय, न्यूनतम पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्तियों के अनुपात (सीआरएआर) के रखरखाव के लिए विदेशी मुद्रा जोखिमों को शामिल करेंगे, जो 15 प्रतिशत है। ऋण जोखिम के लिए पूंजी शुल्क इन निदेशों के पैराग्राफ 65 से 67 में निहित अनुदेशों के अनुसार प्राप्त किया जाएगा।
- (2) मौजूदा पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार, विदेशी मुद्रा जोखिमों में बाजार जोखिम के लिए पूंजी शुल्क, मानकीकृत दृष्टिकोण और आंतरिक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क-आधारित

वैल्यू एट रिस्क (वीएआर) मॉडल द्वारा तैयार किए गए शुल्क में से अधिक होगा। इसके अलावा, मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत, एसपीडी इन निदेशों के पैराग्राफ 92 और 93 में निहित अनुदेशों के अनुसार विदेशी मुद्रा जोखिम में बाजार जोखिम के लिए पूंजी शुल्क बनाए रखेंगे। बाजार जोखिम के लिए पूंजी शुल्क ऋण जोखिम के लिए पूंजी शुल्क के अतिरिक्त होगा, जिसे इन निदेशों में दिए गए अनुदेशों के अनुसार बनाए रखा जाएगा।

- (3) [दिनांक 05 जुलाई, 2016 को जारी मास्टर निदेश - जोखिम प्रबंध तथा अंतर-बैंक लेनदेन](#) (समय-समय पर संशोधित) के तहत निर्धारित विदेशी मुद्रा जोखिम सीमा के अलावा, विदेशी मुद्रा गतिविधियों सहित सभी अनुमत अन्य गतिविधियों के लिए बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार, अंतिम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार एसपीडी के एनओएफ का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा (अर्थात्, इन निदेशों के पैरा 104 में निर्दिष्ट सीमा)।

147. 01 जनवरी, 2023 से प्रभावी, रुपये से जुड़े सभी वित्तीय लेनदेन जो एसपीडी की संबंधित संस्थाओं द्वारा विश्व स्तर पर किए जाते हैं, लेनदेन की तारीख के बाद कारोबारी दिन के दोपहर 12:00 बजे से पहले सीसीआईएल की ट्रेड रिपोर्टिंग को सूचित किए जाएंगे।

148. विदेशी मुद्रा बाजार-निर्माण सुविधाएं शुरू करने के इच्छुक एसपीडी आवश्यक प्राधिकार के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई से संपर्क कर सकते हैं।

149. उपयोगकर्ताओं को विदेशी मुद्रा बाजार-निर्माण सुविधाएं प्रदान करते समय, एसपीडी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों और उसके तहत जारी सभी नियमों, विनियमों और निदेशों का पालन करना होगा; और साथ ही, उन्हें अनुमत विदेशी मुद्रा उत्पादों के संबंध में निम्नलिखित निदेशों का, जहां तक लागू हो, पालन करना होगा:

- (1) [मास्टर निदेश - जोखिम प्रबंध तथा अंतर-बैंक लेनदेन](#), समय-समय पर संशोधित।
- (2) [मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक \(ओटीसी डेरिवेटिव में मार्केट मेकर्स\) निदेश, 2021](#), समय-समय पर संशोधित।
- (3) विदेशी मुद्रा कारोबार पर आंतरिक नियंत्रण के लिए, समय-समय पर संशोधित, दिशानिर्देश (FE.CO.FMD.No.18380/02.03.137/2010-11 दिनांक 3 फ़रवरी 2011)।

150. एसपीडी विदेशी मुद्रा कारोबार शुरू करने और निगरानी करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करेंगे।

151. यह नोट किया जाए कि सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक डीलरशिप (पीडी) व्यवसाय के दायित्वों को पूरा करने में एसपीडी की विफलता या पीडी व्यवसाय के संचालन पर विनियमों के किसी

अन्य उल्लंघन के मामले में, रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा व्यवसाय करने के लिए प्रतिबंध लगाने या अनुमति वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बी.10 म्यूचुअल फंड यूनिटों का वितरण

152. बैंक के साथ पंजीकृत एसपीडी को म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए सेबी के दिशानिर्देशों/ विनियमों, जिसमें इसकी आचार संहिता भी शामिल है, के अनुपालन के अधीन म्यूचुअल फंड उत्पादों को वितरित करने की अनुमति है। एसपीडी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना) निदेश, 2025 के पैरा 50 से 51 का संदर्भ लेंगे।

बी.11 बीमा उत्पादों का वितरण

153. बीमा उत्पादों के वितरण के लिए, एसपीडी को सूचित किया जाता है कि वे अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित आवश्यक विवरणों के साथ पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करें, जिसके अधिकार क्षेत्र में एसपीडी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। एसपीडी कुछ पात्रता शर्तों के अधीन, बैंक के अनुमोदन के बिना, शुल्क के आधार पर और जोखिम भागीदारी के बिना बीमा एजेंसी का व्यवसाय कर सकते हैं। एसपीडी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - वित्तीय सेवाएँ करने के संबंध में) निदेश, 2025 के पैरा 26 से 33 का संदर्भ लेंगे।

अध्याय V - अन्य विवेकपूर्ण विनियमन

ए. लेखांकन मानक

154. एसपीडी, [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण\) निदेश, 2025](#) के पैरा 10 से 12, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के पैरा 16 और [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण\) निदेश, 2025](#) के पैरा 34 से 36 में निर्धारित अनुदेशों का संदर्भ लेंगे।

बी. प्रतिभूति लेनदेन के लिए लेखांकन मानक

155. ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में सभी प्रतिभूतियों को उचित अंतराल पर बाजार मूल्य पर अंकित किया जाएगा।

156. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय ब्रोकरेज शुल्क, कमीशन या करों जैसी लागतें राजस्व/आस्थगित प्रकृति की होती हैं। कूपन भुगतान के समय प्राप्त/ भुगतान किए गए खंडित अवधि के ब्याज को भी समायोजित किया जाता है। एसपीडी को यह सुनिश्चित करना होगा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार लेखांकन पद्धति सही और निष्पक्ष होगी और इसके परिणामस्वरूप लाभ या परिसंपत्ति मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाएगा। इसका लगातार पालन किया जाएगा और आम तौर पर विशेष रूप से कर अधिकारियों के लिए स्वीकार्य होगा।

157. सरकार और अन्य प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर लागत के हिस्से के रूप में विक्रेता को भुगतान किए गए खंडित अवधि के ब्याज को पूंजीकृत नहीं किया जाएगा, बल्कि लाभ और हानि खाते के तहत व्यय की एक मद के रूप में माना जाएगा। एसपीडी खंडित अवधि के ब्याज के लिए अलग-अलग समायोजन खाते बनाए रखें।

158. प्रतिभूति पोर्टफोलियो का मूल्यांकन लेन-देन और संचालन कार्यों से स्वतंत्र होगा और समय-समय पर एफआईएमएमडीए/ एफबीआईएल द्वारा घोषित कीमतों को प्राप्त करके किया जाएगा।

सी. एक्सपोजर मानदंड

159. एसपीडी के लिए मौजूदा एक्सपोजर मानदंड इस प्रकार हैं:

- (1) एकल उधारकर्ता/ प्रतिपक्ष के मामले में अंतिम लेखा परीक्षित खातों के अनुसार एक्सपोजर टियर 1 पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और समूह उधारकर्ता/ प्रतिपक्ष के मामले में टियर 1 पूंजी के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, एए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश को छोड़कर, जिसमें एकल उधारकर्ता/ प्रतिपक्ष के मामले में अंतिम लेखापरीक्षित खातों के

अनुसार एक्सपोजर टियर 1 पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और समूह उधारकर्ता/प्रतिपक्ष के मामले में टियर 1 पूंजी की राशि 65 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

- (2) एकल/ समूह जोखिम सीमा की सीमा उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगी जहां मूलधन और ब्याज की पूरी गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है।
- (3) निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं का पालन करने के लिए क्रेडिट एक्सपोजर की सीमा की गणना करने के लिए, एसपीडी की गैर-सरकारी प्रतिभूतियों की अन्य सभी श्रेणियों के लिए ऋण जोखिम शामिल होंगे, जिसमें म्यूचुअल फंड, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, ओटीसी डेरिवेटिव में स्थिति शामिल होगी, जो कालीफाइंग सीसीपी (क्यूसीसीपी) आदि के माध्यम से निपटान नहीं किए गए हैं।
- (4) एक क्यूसीसीपी के लिए क्लियरिंग एक्सपोजर को एकल काउंटर पार्टी पर लागू टियर 1 पूंजी के 25 प्रतिशत की एक्सपोजर सीमा के बाहर रखा जाएगा।
- (5) क्यूसीसीपी के लिए एक्सपोजर को समाशोधन करने में इन निर्देशों के पैरा 52 में परिभाषित व्यापार एक्सपोजर और डिफॉल्ट फंड एक्सपोजर शामिल होगा।
- (6) क्यूसीसीपी के लिए अन्य अनुमेय एक्सपोजर जैसे सीसीपी की पूंजी में निवेश आदि एकल उधारकर्ता/ प्रतिपक्ष के लिए टियर 1 पूंजी के 25 प्रतिशत की मौजूदा एक्सपोजर सीमा के भीतर रहेंगे। हालांकि, गैर-क्यूसीसीपी के लिए एसपीडी के सभी एक्सपोजर 25 प्रतिशत की एक्सपोजर सीमा के भीतर होंगे।
- (7) ²[उपरोक्त उप-पैराग्राफ 159(1) से 159(6) में उल्लिखित मानदंडों के अनुपालन के लिए लागू टियर 1 पूंजी का निर्धारण एसपीडी के नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों (लेखापरीक्षित या सीमित समीक्षा के अधीन) के आधार पर किया जाएगा।]
- (8) ³[इस संदर्भ में, "टियर 1 पूंजी" शब्द का अर्थ मास्टर दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ 9(6) में परिभाषित अनुसार होगा।]

160. एसपीडी इन निर्देशों के अनुसार विभिन्न मदों के लिए एक्सपोजर की गणना करेंगे। एक प्रतिपक्ष के लिए कुल एक्सपोजर जिसमें तुलन पत्र पर और तुलन पत्रेतर एक्सपोजर दोनों शामिल हैं, की गणना इन निर्देशों में पूंजी गणना के लिए निर्धारित विधि के आधार पर की जाएगी; अर्थात्, तुलन पत्र के एक्सपोजर को बकाया राशि पर गिना जाएगा, जबकि तुलन पत्रेतर एक्सपोजर को पूंजी आवश्यकताओं के तहत

² दिनांक 10 मार्च, 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स) संशोधन निर्देश, 2026 के माध्यम से 10 मार्च, 2026 से प्रभावी तौर से अंतःस्थापित।

³ दिनांक 10 मार्च, 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स) संशोधन निर्देश, 2026 के माध्यम से 10 मार्च, 2026 से प्रभावी तौर से अंतःस्थापित।

निर्धारित क्रेडिट रूपांतरण कारक को लागू करके क्रेडिट जोखिम के बराबर क्रेडिट जोखिम में परिवर्तित किया जाएगा।

नोट:

(ए) कुल एक्सपोजर भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – सकेन्द्रण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 के पैरा 20-21 के माध्यम से जारी अनुदेशों के अनुसार होगा।

(बी) जहां तक बकाया राशि का संबंध है, निबंधन की अनुमति केवल उन आस्तियों के लिए दी जाती है जहां मूल्यहास या अशोध और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किए गए हैं।

डी. लाभांश की घोषणा

161. एसपीडी [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड\) निदेश, 2025](#) का संदर्भ लेंगे।

अध्याय VI – अभिशासन के मुद्दे - कॉर्पोरेट अभिशासन

ए. शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव

162. एसपीडी [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - शेयरधारिता या नियंत्रण का अधिग्रहण\) निदेश, 2025](#) के पैरा 6(4), 11, 12 और 13 में निर्दिष्ट अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

बी. बोर्ड का अनुभव

163. एसपीडी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अभिशासन) निदेश, 2025 के पैरा 8 में निर्धारित अनुदेशों का संदर्भ लेंगे।

सी. बोर्ड की समितियों का गठन

164. एसपीडी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अभिशासन) निदेश, 2025 के पैरा 17 में निर्धारित अनुदेशों का संदर्भ लेंगे।

डी. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

165. एसपीडी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अभिशासन) निदेश, 2025 के पैरा 18 में निर्धारित अनुदेशों का संदर्भ लेंगे।

ई. जोखिम प्रबंधन समिति

166. एसपीडी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अभिशासन) निदेश, 2025 के पैरा 9 में निर्धारित अनुदेशों का संदर्भ लेंगे।

एफ. उपयुक्त और उचित मानदंड

167. एसपीडी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अभिशासन) निदेश, 2025 के पैरा 12, 13 में निर्धारित अनुदेशों का संदर्भ लेंगे।

जी. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

168. एसपीडी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अभिशासन) निदेश, 2025 के पैरा 26 में निर्धारित अनुदेशों का संदर्भ लेंगे।

एच. स्वतंत्र निदेशक

169. एसपीडी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अभिशासन) निदेश, 2025 के पैरा 27 और 28 में निर्धारित अनुदेशों का संदर्भ लेंगे।

आई. एसपीडी में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) और वरिष्ठ प्रबंधन के मुआवजे पर दिशानिर्देश

170. एसपीडी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अभिशासन) निदेश, 2025 के पैरा 29 से 37 में निर्धारित अनुदेशों का संदर्भ लेंगे।

जे. प्रकटीकरण और पारदर्शिता

171. एसपीडी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अभिशासन) निदेश, 2025 के पैरा 15 में निर्धारित अनुदेशों का संदर्भ लेंगे।

172. एसपीडी [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण\) निदेश, 2025](#) में निर्धारित प्रकटीकरण आवश्यकताओं का संदर्भ लेंगे।

173. एसपीडी अपने लेखापरीक्षित वार्षिक परिणामों को प्रमुख वित्तीय दैनिक समाचार पत्रों में और अपनी वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप ([अनुबंध III](#)) में प्रकाशित करेंगे। निम्नलिखित न्यूनतम जानकारी को तुलन पत्र के खातों पर नोट्स के माध्यम से शामिल किया जाएगा:

- (1) कॉल में निवल उधार (अवधि के दौरान औसत और अधिकतम),
- (2) मूल्यांकन का आधार,
- (3) लिवरेज अनुपात (औसत और अधिकतम),
- (4) सीआरएआर (त्रैमासिक आंकड़े), और
- (5) गैर-सरकारी प्रतिभूति निवेशों की जारीकर्ता संरचना का विवरण।
- (6) एसपीडी अतिरिक्त प्रकटीकरण के माध्यम से अधिक जानकारी भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

174. बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने के संबंध में, रिज़र्व बैंक द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जिसमें उन परिस्थितियों का विवरण दिया जाएगा जिनके तहत एसपीडी पर जुर्माना लगाया गया है, साथ ही सार्वजनिक डोमेन के माध्यम से जुर्माना लगाने के बारे में सूचना दी जाएगी।

के.सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों/सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

175. एसपीडी [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - विविध\) निदेश, 2025](#) के पैरा 8 का संदर्भ लेंगे।

एल.आंतरिक दिशा-निर्देश तैयार करना

176. एसपीडी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – अभिशासन) निदेश, 2025 के पैरा 42 का संदर्भ लेंगे।



अध्याय VII - विविध अनुदेश

ए. ब्रोकर के माध्यम से व्यापार

177. ब्रोकरों के माध्यम से व्यापार और अनुमोदित ब्रोकरों के लिए सीमाएं: एसपीडी बीएसई, एनएसई और ओटीसीईआई के सदस्यों के माध्यम से आपस में या ग्राहकों के साथ प्रतिभूति लेनदेन कर सकते हैं। हालांकि, यदि एसपीडी ब्रोकरों के माध्यम से ओटीसी ब्याज दर डेरिवेटिव लेनदेन करते हैं, तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि ये ब्रोकर एफआईएमएमडीए द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। एसपीडी प्रत्येक अनुमोदित ब्रोकर के लिए कुल अनुबंध सीमा तय करेगा। वर्ष के दौरान एसपीडी द्वारा दर्ज किए गए कुल ब्रोकर लेनदेन (खरीद और बिक्री दोनों) के 5 प्रतिशत की सीमा को अनुमोदित ब्रोकरों में से प्रत्येक के लिए कुल ऊपरी सीमा के रूप में माना जाएगा। हालांकि, यदि किसी भी कारण से किसी ब्रोकर के लिए कुल सीमा से ज्यादा लेन-देन करना आवश्यक हो जाता है, तो उसके विशिष्ट कारणों को दर्ज किया जाएगा और बोर्ड को कार्योंत्तर इसके बारे में सूचित किया जाएगा।

178. अपने शीर्ष प्रबंधन के अनुमोदन के साथ, एसपीडी अनुमोदित ब्रोकरों का एक पैनल तैयार करेगा, जिसकी वार्षिक रूप से या आवश्यकतानुसार इसकी समीक्षा की जाएगी। ब्रोकरों के पैनल में शामिल करने के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें उनकी साख का सत्यापन, बाजार प्रतिष्ठा आदि शामिल है। ब्रोकर-वार किए गए सौदों और भुगतान किए गए ब्रोकरेज के विवरण का अभिलेख रखा जाएगा।

179. ब्रोकर को देय ब्रोकरेज, यदि कोई हो (यदि सौदा किसी ब्रोकर की सहायता से किया गया था), तो लेन-देन के लिए अनुमोदन संबंधी नोटों/ज्ञापन पर स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा, और ब्रोकर-वार भुगतान किए गए ब्रोकरेज का एक अलग खाता बनाए रखा जाएगा।

180. ब्रोकर की भूमिका दोनों पक्षों को एक साथ सौदे में लाने तक ही सीमित होगी। एसपीडी और प्रतिपक्षों के बीच सौदों का निपटान सीधे प्रतिपक्षों के बीच होगा और निपटान प्रक्रिया में ब्रोकर की कोई भूमिका नहीं होगी।

181. सौदे पर बातचीत करते समय, ब्रोकर सौदे के प्रतिपक्षकार की पहचान का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है। सौदे के समापन पर, उसे प्रतिपक्षकार का खुलासा करना चाहिए और उसके अनुबंध नोट में प्रतिपक्षकार का नाम स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिए।

बी. अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 की प्रयोज्यता

182. ग्राहक इंटरफेस वाले सभी एसपीडी को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अपने ग्राहक को जानिए) निदेश, 2025 का संदर्भ लेंगे।

सी.एसपीडी द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिमों और आचार संहिता का प्रबंधन

183. एसपीडी अपनी मौजूदा आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं का स्व-मूल्यांकन करेंगे और इन्हें [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन\) निदेश, 2025](#) में दिए गए निदेशों के समरूप लाएंगे।

डी. अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश

184. एसपीडी [भारतीय रिज़र्व बैंक \(गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - विविध\) निदेश, 2025](#) के पैरा 14 और 15 का संदर्भ करेंगे।

अध्याय VIII - रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

185. आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग और पर्यवेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का एसपीडी द्वारा पालन किया जाएगा।

186. आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किए गए सभी परिचालन दिशानिर्देशों का भी एसपीडी द्वारा पालन किया जाएगा।

अध्याय IX - निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और व्यावृत्ति

187. इन निदेशों के जारी होने के साथ, [परिपत्र डीओआर.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 दिनांक 28 नवंबर 2025](#) के माध्यम से सूचित स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों पर लागू मौजूदा निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया गया है। पहले से निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त रहेंगे।

188. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या कथित रूप से की गई या शुरू की गई कोई भी कार्रवाई उसके प्रावधानों द्वारा शासित होगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी अनुमोदनों या स्वीकृतियों को इन निदेशों द्वारा शासित माना जाएगा। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण रूप से प्रभाव नहीं होगा:

(ए) इसके तहत अधिग्रहित, प्रोदभूत या उपगत कोई भी अधिकार, बाध्यता, या दायित्व;

(बी) इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड;

(सी) पूर्वोक्त के रूप में इस तरह के किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, दंड, जब्ती, सजा के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय स्थापित, जारी या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी दंड, जब्ती या सजा को लागू किया जा सकता है, जैसे कि उन निदेशों, अनुदेशों, या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

बी. अन्य कानूनों को लागू किए जाने पर रोक नहीं

189. इन निदेशों के उपबंध तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उनका अवहेलना नहीं करेंगे।

सी. व्याख्याएँ

190. इन निदेशों के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से या इन निदेशों के उपबंधों की प्रयोज्यता या विवेचना में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की विवेचना अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(जे पी शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

गौण ऋण (एसडी) बॉण्ड (टियर 2 पूंजी) पर दिशानिर्देश

- (1) जुटाई जाने वाली राशि संबंधी निर्णय एसपीडी के निदेशक मंडल द्वारा लिया जाएगा।
- (2) एसपीडी अपने निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कूपन दरें निर्धारित कर सकते हैं।
- (3) ये लिखत 'बिल्कुल सादा' होने चाहिए और इनमें ऑप्शनस आदि जैसी कोई विशेष सुविधाएँ नहीं होनी चाहिए।
- (4) इन ऋण प्रतिभूतियों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत किसी ऋण रेटिंग एजेंसी से ऋण रेटिंग प्राप्त होनी चाहिए।
- (5) एसडी लिखतों का निर्गम इस संबंध में सेबी द्वारा जारी किए गए संबंधित दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।
- (6) एसडी के असूचीबद्ध निर्गम के मामले में, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाए।
- (7) अनिवासी भारतीयों या विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को ये लिखत जारी करने के लिए बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाए। एसपीडी द्वारा इन लिखतों के निर्गम के संबंध में सेबी या अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए नियम और शर्तों, यदि कोई हों, का अनुपालन किया जाए।
- (8) अन्य पीडी/बैंकों के एसडी में एसपीडी द्वारा किए गए निवेश को पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य के लिए शत प्रतिशत जोखिम भार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अन्य पीडी, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए टियर-2 बॉण्ड में किसी एसपीडी का सकल निवेश, उस निवेशक एसपीडी की कुल पूंजीगत निधि के दस प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए पूंजी निधि वही मानी जाएगी जो पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य के लिए मानी जाती है।
- (9) निर्गम के तुरंत बाद सपीडी द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), आरबीआई को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, जिसमें जुटाई गई पूंजी का विवरण दिया गया हो, जैसे कि जुटाई गई राशि, लिखत की परिपक्वता, ब्याज दर के साथ-साथ ऑफर दस्तावेज़ की एक प्रति।

पूँजी पर्याप्तता का विवरण - को समाप्त तिमाही - प्राथमिक डीलर का नाम:

विवरण - 1 (सारांश) (राशि ₹ में)

(i)	ऋण जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) का कुल योग (अध्याय III की खंड डी.1)	
(ii)	(ए) टियर 1 पूँजीगत निधि (कटौतियों के पश्चात)	
	(बी) पात्र टियर 2 पूँजीगत निधि –	
	(सी) उपलब्ध टियर 1 और 2 पूँजीगत निधियों का कुल योग	
(iii)	न्यूनतम ऋण जोखिम पूँजीगत अपेक्षा अर्थात (i) X 15 प्रतिशत	
(iv)	बाजार जोखिम पूँजीगत प्रभार के लिए उपलब्ध टियर 1 और 2 पूँजीगत निधि का अधिशेष अर्थात (ii) (सी) – (iii)	
(v)	मानकीकृत पद्धति के तहत अपेक्षित राशियों तथा 'वीएआर' मॉडल आधारित आंतरिक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के अनुसार निर्धारित बाजार जोखिम पूँजी प्रभार में से अधिक के रूप में (अध्याय III का खंड ई)	
(vi)	(v) को पूरा करने के लिए उपलब्ध पूँजीगत निधियां अर्थात: उपर्युक्त (iv) के अनुसार टियर 1 और टियर 2 का अधिशेष,	
(vii)	समग्र रूप से पूँजी पर्याप्तता	
	(ए) ऋण जोखिम के लिए कुल आरडब्ल्यूए अर्थात (i)	
	(बी) बाजार जोखिम के लिए पूँजीगत प्रभार अर्थात (v)	
	(सी) (बी) के लिए संख्यात्मक लिंक =	6.67
	अर्थात् (15% का ऋण जोखिम पूँजीगत पारस्परिक अनुपात)	
	(डी) बाजार जोखिम से संबंधित जोखिम भारित आस्तियां अर्थात (बी) x (सी)	
	(ई) कुल जोखिम भारित आस्तियां अर्थात (ए) + (डी)	
	(एफ) न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षा अर्थात (ई) x 15%	
	(जी) उपलब्ध कुल पूँजीगत निधियां अर्थात (ii) + (vi)	

	(एच) घटाकर : अन्य वीनियामकों/ लाइसेंसकर्ताओं जैसे सेबी/ एनएसई/ बीएसई/ ओटीसीआई द्वारा निर्धारित पूंजीगत निधियां	
	(आई) पीडी व्यवसाय के लिए उपलब्ध निवल पूंजीगत निधियां (जी - एच)	
(viii)	जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)% (आई/ई) * 100	

वित्तीय परिणामों का प्रकाशन

प्राथमिक डीलर का नाम

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

निधियों के स्रोत

पूंजी
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष
ऋण
प्रतिभूत
अप्रतिभूत
(जिनमें से मांग मुद्रा उधार)

निधियों की प्रयोज्यता

अचल आस्तियां
निवेश
सरकारी प्रतिभूतियां (टी-बिल और सीएमबी सहित)
वाणिज्यिक पत्र
कॉर्पोरेट बॉण्ड
ऋण और अग्रिम
(जिनमें से कॉल मनी उधार)
गैर-चालू आस्तियां
अन्य

लाभ और हानि खाता

आय (व्यवसाय खंड के अनुसार)
ब्याज
डिस्काउंट
ट्रेडिंग लाभ
व्यय
ब्याज
प्रशासनिक लागत
कर से पहले लाभ
निवल लाभ

विनियामक पूंजीगत अपेक्षा (पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों के अनुसार)

वास्तविक पूंजी
निवल मालियत पर प्रतिलाभ
खातों के संबंध में नोट्स:

ऋण चूक अदला-बदली (सीडीएस) के लिए पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंडों पर दिशानिर्देश

ए. परिचय

1. एकल प्राथमिक डीलर (एसपीडी) बाजार-निर्माताओं के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं के रूप में भी सीडीएस में लेनदेन कर सकते हैं। एक उपयोगकर्ता के रूप में, एक एसपीडी अपने ट्रेडिंग बुक में रखे गए कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए सीडीएस का उपयोग कर सकता है। सीडीएस के लिए पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंडों पर दिशानिर्देश नीचे दिए गए पैरा में दिए गए हैं।

बी. परिभाषाएँ

2. इन दिशानिर्देशों में निम्नलिखित परिभाषाओं का उपयोग किया गया है:

- (i) **क्रेडिट इवेंट पेमेंट**- वह राशि जो क्रेडिट डेरिवेटिव संविदा की शर्तों के तहत क्रेडिट प्रोटेक्शन सेलर द्वारा क्रेडिट प्रोटेक्शन खरीदार को क्रेडिट घटना के घटित होने के बाद देय है। भुगतान भौतिक निपटान (संदर्भ इकाई के सुपुर्दगी दायित्व के भौतिक सुपुर्दगी के बदले में सममूल्य का भुगतान) या नकद निपटान (या तो एक भुगतान जो समतुल्य से कम वसूली के आधार पर निर्धारित किया गया है, अर्थात् संदर्भ दायित्व के समतुल्य मूल्य का उपयोग करके निर्धारित किया गया है, जो दायित्व के वसूली मूल्य से कम है, या एक निश्चित राशि, या समतुल्य राशि का एक निश्चित प्रतिशत) के रूप में हो सकता है।
- (ii) **अंतर्निहित परिसंपत्ति / दायित्व**- वह संपत्ति जिसे एक प्रोटेक्शन खरीदार बचाव/ हेज करने की कोशिश कर रहा है।

सी. सीडीएस का वर्गीकरण और सीडीएस के लिए परिचालन आवश्यकताएं

- 3. एसपीडी को उन सीडीएस लेनदेन को अपनी ट्रेडिंग बुक में रखना चाहिए, जिन्हें या तो ट्रेडिंग के उद्देश्य से या फिर अंतर्निहित कॉर्पोरेट बॉन्ड के ऋण जोखिम के बचाव करने के लिए रखा गया है।
- 4. सीडीएस के लिए परिचालनात्मक आवश्यकताएँ निम्नानुसार हैं:
 - i. एक सीडीएस संविदा को प्रोटेक्शन सेलर पर प्रत्यक्ष दावे का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और इसे विशिष्ट जोखिम के लिए स्पष्ट रूप से संदर्भित किया जाना चाहिए, ताकि कवर की सीमा स्पष्ट रूप से परिभाषित और असंदिग्ध हो।
 - ii. क्रेडिट सुरक्षा संविदा के संबंध में प्रोटेक्शन खरीदार द्वारा प्रीमियम का भुगतान न करने के अतिरिक्त, यह अप्रतिसंहरणीय होगा।

iii. संविदा में कोई क्लॉज़ ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रोटेक्शन सेलर को एकतरफा ऋण कवर को रद्द करने की अनुमति दे या जो बचाव किए गए एक्सपोजर में ऋण गुणवत्ता में गिरावट के परिणामस्वरूप कवर की प्रभावी लागत को बढ़ा दे।

iv. सीडीएस संविदा बिना शर्त होना चाहिए; सुरक्षा संविदा में पीडी के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर कोई भी धारा नहीं होनी चाहिए जो मूल काउंटरपार्टी द्वारा देय भुगतान(नों) का भुगतान न करने की स्थिति में प्रोटेक्शन सेलर को समय पर भुगतान करने से रोक सके।

v. संविदा करने वाले पक्षों द्वारा बताए गए क्रेडिट इवेंट्स में कम से कम ये बातें शामिल होनी चाहिए:

ए) ऐसी चूक (एक ऐसे अनुग्रह अवधि के साथ जो मूल दायित्व के अनुग्रह अवधि से काफी हद तक मेल खाता हो।) के समय लागू मूल दायित्व की शर्तों के तहत देय राशि का भुगतान न कर पाना।

बी) दिवाला, दिवालियापन या बाध्यताधारी का अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होना, या आम तौर पर अपने ऋण के भुगतान में असमर्थता को लिखित में स्वीकार करना या न कर पाना, और इसी तरह की घटनाएँ; और

सी) अंतर्निहित दायित्व का पुनर्गठन (बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन (बीआईएफआर) और कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग (सीडीआर) मैकेनिज्म और कॉर्पोरेट बॉन्ड रीस्ट्रक्चरिंग के तहत अनुमोदित पुनर्गठन), जिसमें मूलधन, ब्याज या शुल्क को माफ़ करना या टालना शामिल हो, जिसके परिणामस्वरूप ऋण हानि की घटना होती है;

डी) जब अंतर्निहित दायित्व का पुनर्गठन सीडीएस द्वारा कवर नहीं किया जाता है, लेकिन पैराग्राफ 4 में अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, तो सीडीएस की आंशिक मान्यता की अनुमति दी जाएगी। यदि सीडीएस की राशि अंतर्निहित दायित्व की राशि से कम या उसके बराबर है, तो हेज की राशि का 60 प्रतिशत कवर के रूप में मान्यता दी जा सकती है। यदि सीडीएस की राशि अंतर्निहित दायित्व की राशि से अधिक है, तो पात्र हेज की राशि अंतर्निहित दायित्व की राशि के 60 प्रतिशत तक सीमित है।

vi. यदि सीडीएस डिलिवरेबल दायित्वों को विनिर्दिष्ट करता है जो अंतर्निहित दायित्व से भिन्न हैं, तो परिणामी परिसंपत्ति बेमेल नीचे उप-पैरा xi के तहत शासित होगा।

vii. भुगतान न कर पाने की वजह से अंतर्निहित दायित्व पर डिफ़ॉल्ट होने के लिए आवश्यक किसी भी अनुग्रह अवधि के समाप्त होने से पहले सीडीएस समाप्त नहीं होगा।

नोट: परिपक्वता की परिभाषा: अंतर्निहित जोखिम की परिपक्वता और हेज की परिपक्वता दोनों को रूढ़िवादी रूप से परिभाषित किया जाए। अंतर्निहित की प्रभावी परिपक्वता का आकलन उस ज़्यादा से

ज़्यादा शेष बचे हुए समय के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसमें प्रतिपक्ष को अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए निर्धारित किया जाना है, इसमें लागू होने वाले किसी भी अनुग्रह अवधि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

viii. नकद निपटान की सुविधा वाले सीडीएस को पूंजी उद्देश्यों के लिए तब मान्यता दी जाती है, जब नुकसान का विश्वसनीय अनुमान लगाने के लिए एक मज़बूत मूल्यांकन प्रक्रिया लागू हो। अंतर्निहित दायित्व के लिए क्रेडिट इवेंट के बाद का मूल्यांकन प्राप्त करने की समय-सीमा स्पष्ट रूप से तय होनी चाहिए। अगर नकद निपटान के उद्देश्य से सीडीएस में बताई गई संदर्भ दायित्व, अंतर्निहित दायित्व से अलग है, तो नीचे दिया गया उप-पैराग्राफ (xi) यह तय करता है कि आस्ति बेमेल की अनुमति है या नहीं।

ix. यदि निपटान के लिए अंतर्निहित दायित्व को प्रोटेक्शन सेलर को हस्तांतरित करने के लिए प्रोटेक्शन खरीदार के अधिकार/क्षमता की आवश्यकता होती है, तो अंतर्निहित दायित्व की शर्तों में यह प्रावधान होना चाहिए कि ऐसे हस्तांतरण के लिए किसी भी आवश्यक सहमति को अनुचित तरीके से रोका नहीं जा सकता है।

x. क्रेडिट इवेंट हुआ है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार पक्षों की पहचान स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाए। यह निर्धारण प्रोटेक्शन सेलर की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। प्रोटेक्शन खरीदार को प्रोटेक्शन सेलर को क्रेडिट इवेंट की घटना के बारे में सूचित करने का अधिकार/क्षमता होनी चाहिए।

xi. सीडीएस के तहत अंतर्निहित दायित्व और संदर्भ दायित्व (अर्थात्, नकद निपटान मूल्य या सुपुर्दगी दायित्व के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले दायित्व) के बीच बेमेल की अनुमति है यदि (1) बाद वाला दायित्व अंतर्निहित दायित्व के बराबर है या उससे कनिष्ठ है, और (2) अंतर्निहित दायित्व और संदर्भ दायित्व समान बाध्यताधारी (यानी, वही कानूनी इकाई) और कानूनी रूप से लागू क्रॉस-डिफ़ॉल्ट या क्रॉस ऐक्सेलरेशन खंड साझा करते हैं।

xii. अंतर्निहित दायित्व और क्रेडिट घटना घटित हुई है या नहीं, यह निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गए दायित्व के बीच विसंगति की अनुमति है यदि (1) बाद वाला दायित्व अंतर्निहित दायित्व के साथ बराबरी का है या उससे कनिष्ठ है, और (2) अंतर्निहित दायित्व और संदर्भ दायित्व समान बाध्यताधारी (यानी, वही कानूनी इकाई) और कानूनी रूप से लागू क्रॉस-डिफ़ॉल्ट या क्रॉस ऐक्सेलरेशन खंड साझा करते हैं।

डी. सीडीएस की स्थितियों पर लागू पूंजीगत प्रभार

5. प्रोटेक्शन खरीदार और प्रोटेक्शन सेलर के रूप में एसपीडी के लिए, सारणी 1 में बताए अनुसार ट्रेडिंग बुक में अपने एक्सपोजर के संबंध में पूंजी प्रभार बनाए रखना ज़रूरी होगा।

सारणी 1: सीएसडी की स्थितियों पर पूंजीगत प्रभार

मदें		ट्रेडिंग बुक	
		हेड्ड पोज़िशन	अनहेड्ड पोज़िशन
प्रोटेक्शन खरीदार	उपयोगकर्ता	ए) सामान्य बाज़ार जोखिम बी) विशिष्ट जोखिम सी) प्रतिपक्षी ऋण जोखिम	अनुमति नहीं है
	बाजार निर्माता	ए) सामान्य बाज़ार जोखिम बी) विशिष्ट जोखिम सी) प्रतिपक्षी ऋण जोखिम	ए) सामान्य बाज़ार जोखिम बी) विशिष्ट जोखिम सी) प्रतिपक्षी ऋण जोखिम
प्रोटेक्शन सेलर	उपयोगकर्ता	अनुमति नहीं है	अनुमति नहीं है
	बाजार निर्माता	ए) सामान्य बाज़ार जोखिम बी) विशिष्ट जोखिम सी) प्रतिपक्षी ऋण जोखिम	ए) सामान्य बाज़ार जोखिम बी) विशिष्ट जोखिम सी) प्रतिपक्षी ऋण जोखिम

ई.ट्रेडिंग बुक में सीडीएस के लिए पूंजी पर्याप्तता

ई.1 स्थितियों की पहचान

6. सीडीएस में काम करने वाले एसपीडी द्वारा पोजीशन की पहचान करने के लिए सामान्य नियम इस प्रकार हैं:

- ए) सीडीएस आम तौर पर सामान्य बाज़ार जोखिम के लिए कोई स्थिति (position) नहीं बनाता है।
- बी) देय/ प्राप्य प्रीमियम, उपयुक्त स्थिर या अस्थिर दर वाली संबंधित परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों में नोशनल पोजीशन बनाते हैं। इन पोजीशन पर सामान्य बाजार जोखिम के लिए उपयुक्त पूंजी प्रभार लगेगा।
- सी) सीडीएस, संदर्भ आस्ति या दायित्व (संदर्भ इकाई के प्रति) में किसी खास जोखिम के लिए एक नोशनल दीर्घावधिक या अल्पावधिक पोजीशन बनाता है। संदर्भ संपत्ति/ दायित्व की परिपक्वता के बजाय नोशनल राशि और सीडीएस संविदा की परिपक्वता का उपयोग किया जाएगा। विशिष्ट

जोखिम के लिए पूंजी प्रभार को व्यक्तिगत जारीकर्ता से संबंधित कारकों के कारण किसी व्यक्तिगत सुरक्षा की कीमत में प्रतिकूल संचलन से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अलग-अलग तरह के एक्सपोजर के लिए खास जोखिम प्रभार नीचे दी गई जानकारी के अनुसार लागू होंगे:

सारणी 2: खरीदी और बेची गई सीडीएस पोজিশन के लिए विशिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार चार्ज		
रेटिंग*	शेष परिपक्वता	विशिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार (%) में
एएए से बीबीबी	6 माह या इससे कम	0.47
	6 माह से अधिक और 24 माह या इससे कम	1.90
	24 माह से अधिक	3.00
बीबी और इसके नीचे	सभी परिपक्वता अवधि (मैच्योरिटी)	22.5
अमूल्यांकित (यदि अनुमति हो)	सभी परिपक्वता अवधि (मैच्योरिटी)	15

* ये रेटिंग्स भारतीय रेटिंग एजेंसियों/ ईसीएआई या विदेशी रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग्स को दर्शाती हैं। विदेशी ईसीएआई के मामले में, यहाँ इस्तेमाल किए गए रेटिंग सिंबल 'स्टैंडर्ड एंड पुअर' के अनुरूप हैं। "+" या "-" जैसे मॉडिफायर को मुख्य कैटेगरी में ही शामिल कर लिया गया है।

डी) सीडीएस संविदा क्रेडिट इवेंट भुगतान के कारण प्रोटेक्शन सेलर पर और संविदा के तहत देय प्रीमियम की राशि के कारण प्रोटेक्शन खरीदार पर एक प्रतिपक्ष जोखिम बनाता है। सीडीएस लेनदेन के कारण प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम के उद्देश्य से क्रेडिट एक्सपोजर की गणना वर्तमान एक्सपोजर विधि के अनुसार की जाएगी [मौजूदा मार्क-टू-मार्केट मूल्य, अगर धनात्मक हो (शून्य, यदि एमटीएम ऋणात्मक हो) और भविष्य में संभावित एक्सपोजर ऐड-ऑन फैक्टर्स का जोड़]। प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना करते समय, एक ही प्रतिपक्ष के साथ संविदाओं की धनात्मक और ऋणात्मक 'मार्क-टू-मार्केट' मूल्य की नेटिंग (अर्थात् उन्हें आपस में समायोजित करना) की अनुमति नहीं होगी, जिसमें हेज्ड पोजिशन के मामले भी शामिल हैं।

ई.2 सीडीएस से हेज की गई पोजिशन के लिए विशिष्ट जोखिम पूंजी शुल्क

7. यह पैरा सिर्फ़ उन मामलों में लागू होगा जहाँ सीडीएस पोजिशन खास तौर पर ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर की हेजिंग के लिए हो। दूसरे शब्दों में, कोई एसपीडी किसी सीडीएस पोजिशन को किसी अन्य ट्रेडिंग

बुक एक्सपोजर के विरुद्ध हेज (बचाव) के तौर पर नहीं मान सकता, अगर उसे आरंभ से ही ऐसा नहीं माना गया हो।

- i. एसपीडी विशिष्ट जोखिम पूंजी शुल्क को पूरी तरह से ऑफसेट कर सकते हैं जब दो चरण (अर्थात्, लॉन्ग और शॉर्ट) के मान हमेशा विपरीत दिशा में और मोटे तौर पर एक ही सीमा तक चलते हैं। यह तब होगा जब दोनों चरण में पूरी तरह से समान सीडीएस होता है। इन मामलों में, सीडीएस स्थिति के दोनों पक्षों पर कोई विशिष्ट जोखिम पूंजी आवश्यकता लागू नहीं होती है।
- ii. एसपीडी विशिष्ट जोखिम पूंजी शुल्क का 80 प्रतिशत तक ऑफसेट कर सकते हैं, जब दो चरण (अर्थात् लॉन्ग और शॉर्ट) का मूल्य हमेशा विपरीत दिशा में तो चलता है, लेकिन मोटे तौर पर समान सीमा तक नहीं।

व्याख्या: सीडीएस स्थिति द्वारा हेज किए गए ट्रेडिंग बुक में कॉर्पोरेट बॉन्ड में नकदी की स्थिति, यहां तक कि जहां संदर्भ दायित्व और अंतर्निहित बांड समान हैं, 100 प्रतिशत ऑफसेट के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करेगा क्योंकि सीडीएस के बाजार मूल्य और अंतर्निहित बॉन्ड में मूल्यहास के बीच 100 प्रतिशत मैच की गारंटी नहीं दे सकता है।

यह तब होगा जब सीडीएस द्वारा नकदी की लॉन्ग स्थिति को हेज किया जाता है और संदर्भ/ वितरण योग्य दायित्व के संदर्भ में एक सटीक मिलान होता है, और संदर्भ/ वितरण योग्य दायित्व और सीडीएस दोनों की परिपक्वता होती है। इसके अतिरिक्त, सीडीएस की प्रमुख विशेषताएं (जैसे क्रेडिट इवेंट परिभाषाएं, निपटान तंत्र) को क्रेडिट व्युत्पन्न के मूल्य आंदोलन को नकदी की स्थिति के मूल्य आंदोलनों से भौतिक रूप से विचलित नहीं करना चाहिए। इस हद तक कि लेनदेन जोखिम को स्थानांतरित करता है, उच्च पूंजी शुल्क के साथ लेनदेन के पक्ष में 80 प्रतिशत विशिष्ट जोखिम ऑफसेट लागू किया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ विशिष्ट जोखिम आवश्यकता शून्य होगी।

उदाहरण के लिए, यदि अधिक्रय की स्थिति (कॉर्पोरेट बॉन्ड) पर विशिष्ट जोखिम शुल्क 1000 रुपये आता है और अधिविक्रय की स्थिति (सीडीएस के माध्यम से खरीदी गई क्रेडिट प्रोटेक्शन) 700 रुपये आता है, तो शॉर्ट पोजीशन पर कोई पूंजीगत प्रभार नहीं होगा, जबकि लॉन्ग पोजीशन पर 200 रुपये (1000- 700 का 80%) का विशिष्ट जोखिम पूंजी शुल्क लगेगा। एसपीडी को दो विपरीत सीडीएस पदों के बीच विशिष्ट जोखिम शुल्क की भरपाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो पूरी तरह से समान नहीं हैं।

- (iii) जब दो चरण (अर्थात् लॉन्ग और शॉर्ट) की वैल्यू आमतौर पर उल्टी दिशा में चलती है, तो एसपीडी खास जोखिम पूंजीगत प्रभार को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ऐसा इन स्थितियों में होगा:

ए) स्थिति उप-पैरा (ii) में शामिल है, लेकिन नकदी स्थिति और सीडीएस के बीच आस्ति असंतुलन है। हालांकि, अंतर्निहित आस्ति सीडीएस दस्तावेजीकरण में (संदर्भ/ डिलीवरेबल) दायित्व में

शामिल है और पैरा 4 (xi) की ज़रूरतों को पूरा करता है।

बी) स्थिति उप-पैरा (ii) में शामिल है, लेकिन क्रेडिट संरक्षण और अंतर्निहित आस्ति के बीच परिपक्वता असंतुलन है। हालांकि, अंतर्निहित आस्ति सीडीएस प्रलेखन में (संदर्भ/डिलीवरेबल) दायित्वों में शामिल है।

सी) उपर्युक्त पैरा (ए) और (बी) में उल्लिखित प्रत्येक मामले में, लेन-देन के हर पक्ष (अर्थात् क्रेडिट संरक्षण और अंतर्निहित आस्ति) पर खास जोखिम पूंजी की ज़रूरतें जोड़ने की अपेक्षा, दोनों पूंजी ज़रूरतों में से जो ज़्यादा होगी, वही लागू होगी।

ई.3 सीडीएस पदों में विशिष्ट जोखिम प्रभार जो हेजिंग के लिए नहीं हैं

8. पैरा 7 में शामिल नहीं किए गए मामलों में, एक विशिष्ट जोखिम पूंजी शुल्क का मूल्यांकन पदों के दोनों पक्षों के विरुद्ध किया जाएगा जैसा कि पैरा 6 (सी) में बताया गया है।

ई.4 संरक्षण विक्रेता

ई.4.1 बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार

9. संरक्षण विक्रेता के लिए बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार निम्नानुसार होगा:

ए) **सामान्य बाजार जोखिम:** प्राप्य प्रीमियम का वर्तमान मूल्य ब्याज दरों में बदलाव के प्रति संवेदनशील है। प्रीमियम प्राप्तियों में ब्याज दर जोखिम को मापने के लिए, प्राप्य प्रीमियम के वर्तमान मूल्य को उचित निश्चित या अस्थायी दर के साथ प्रासंगिक परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों में एक लॉन्ग काल्पनिक स्थिति के रूप में माना जा सकता है। ये पद सामान्य बाजार जोखिम के लिए उचित पूंजी शुल्क को आकर्षित करेंगे।

बी) **विशिष्ट जोखिम:** जहां किसी ने सीडीएस के माध्यम से क्रेडिट संरक्षण बेची है, वह बेची गई संरक्षण की मात्रा की सीमा तक संदर्भ आस्ति के क्रेडिट जोखिम के जोखिम को प्राप्त करता है। इस प्रकार, एक सीडीएस की अनुमानित राशि की सीमा तक संदर्भ आस्ति /दायित्व में विशिष्ट जोखिम के लिए एक काल्पनिक लॉन्ग स्थिति बनाता है, जिसका उपयोग किया जाना चाहिए। सीडीएस संविदा की परिपक्वता का उपयोग संदर्भ आस्ति /दायित्व की परिपक्वता के बजाय किया जाएगा। तदनुसार, एक विशिष्ट जोखिम पूंजी शुल्क की गणना संदर्भ इकाई (संदर्भ आस्ति / दायित्व) में काल्पनिक लंबी स्थिति पर की जानी चाहिए जैसा कि पैराग्राफ 6 (सी) में विस्तृत है।

ई.4.2 क्रेडिट जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार

10. संरक्षण विक्रेता के लिए ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार निम्नानुसार होगा:

संरक्षण खरीदार के संपर्क के लिए प्रतिपक्ष ऋण जोखिम पूंजीगत प्रभार: संरक्षण विक्रेता को वर्तमान

एक्सपोजर विधि का उपयोग करके प्रतिपक्ष पूंजी शुल्क की गणना करनी चाहिए यदि शुल्क/प्रीमियम भुगतान बकाया हैं। ऐसे मामलों में, ट्रेडिंग बुक में एकल नाम सीडीएस लेनदेन के लिए प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम शुल्क की गणना वर्तमान चिह्नित-से-बाजार मूल्य, यदि सकारात्मक (शून्य, यदि एमटीएम नकारात्मक है) और नीचे दी गई तालिका 3 के आधार पर संभावित भविष्य के एक्सपोजर के लिए अतिरिक्त कारक, के योग के रूप में की जाएगी:

उदाहरण: एक सीडीएस संविदा, जिसे मार्क-टू-मार्केट करने की आवश्यकता होती है, संविदा के पक्षों के लिए द्विपक्षीय जोखिम पैदा करता है। सीडीएस संविदा का मार्क-टू-मार्केट मूल्य संरक्षण भुगतान के डिफॉल्ट-समायोजित वर्तमान मूल्य (जिसे "प्रोटेक्शन लेग" / "क्रेडिट लेग" कहा जाता है) और देय प्रीमियम के वर्तमान मूल्य जिसे "प्रीमियम लेग" कहा जाता है, के बीच का अंतर है। यदि क्रेडिट लेग का मूल्य प्रीमियम लेग के मूल्य से कम है, तो संरक्षण विक्रेता के लिए मार्क-टू-मार्केट मूल्य सकारात्मक है। इसलिए, संरक्षण विक्रेता को प्रतिपक्ष (संरक्षण खरीदार) के प्रति जोखिम उठाना पड़ेगा यदि प्रीमियम लेग का मूल्य क्रेडिट लेग के मूल्य से अधिक है। यदि कोई प्रीमियम बकाया नहीं है, तो प्रीमियम लेग का मूल्य शून्य होगा और सीडीएस संविदा का मार्क-टू-मार्केट मूल्य संरक्षण विक्रेता के लिए हमेशा नकारात्मक होगा और इसलिए, संरक्षण विक्रेता को संरक्षण खरीदार के लिए कोई जोखिम नहीं होगा।

संरक्षण विक्रेता के लिए संभावित भविष्य का एक्सपोजर (यानी, ऐड-ऑन), जहां सीडीएस की स्थिति नेटिंग और मार्जिन समझौतों के बाहर है, अवैतनिक प्रीमियम की राशि तक सीमित हो जाएगी। एसपीडी के पास अपने कानूनी नेटिंग सेट से ऐसे सीडीएस पदों को हटाने और सीमा को लागू करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत अनमार्जिन लेनदेन के रूप में मानने का विकल्प होता है।

सारणी 3: संरक्षण विक्रेता के लिए अतिरिक्त कारक (सीडीएस के नोशनल मूलधन के % के रूप में)

संदर्भ दायित्व के प्रकार	अतिरिक्त कारक
बीबीबी- और उससे ऊपर की रेटिंग वाले दायित्व	10%
बीबीबी- से नीचे और बिना रेटिंग वाले	20%

नोट: रेफरेंस दायित्व या सीडीएस संविदा की परिपक्वता चाहे जो भी हो, अतिरिक्त कारक एक जैसे ही रहेंगे।

ई.5 संरक्षण खरीदार

ई.5.1 बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार

11. संरक्षण खरीदार के लिए बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार निम्नानुसार होगा:

ए. **सामान्य बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार:** संरक्षण खरीदार द्वारा देय प्रीमियम का वर्तमान मूल्य ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। देय प्रीमियम में ब्याज दर जोखिम को मापने के लिए, देय प्रीमियम के वर्तमान मूल्य को उचित निश्चित या फ्लोटिंग दर के साथ प्रासंगिक परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों में एक छोटी काल्पनिक स्थिति के रूप में माना जा सकता है। ये पद सामान्य बाजार जोखिम के लिए उचित पूंजी शुल्क को आकर्षित करेंगे।

बी. **विशिष्ट जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार:** सीडीएस में खरीदी गई स्थिति संदर्भ आस्ति/ दायित्व में विशिष्ट जोखिम के लिए एक नोशनल अधिविक्रय की स्थिति बनाती है। सीडीएस की अनुमानित राशि और सीडीएस संविदा की परिपक्वता का उपयोग संदर्भ आस्ति/ दायित्व की परिपक्वता के बजाय किया जाएगा। तदनुसार, एक विशिष्ट जोखिम पूंजी शुल्क की गणना संदर्भ इकाई (संदर्भ आस्ति / दायित्व) में एक अधिविक्रय की स्थिति पर की जानी चाहिए जैसा कि पैरा 6 (सी) में विस्तृत है।

ई.5.2 ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार

12. संरक्षण खरीदार के लिए ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार निम्नानुसार होगा:

प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार: एक सीडीएस संविदा क्रेडिट घटना भुगतान के कारण संरक्षण विक्रेता पर एक प्रतिपक्ष जोखिम बनाता है। ट्रेडिंग बुक में सभी शॉर्ट सीडीएस पदों के लिए प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम शुल्क की गणना वर्तमान मार्क-टू-मार्केट मूल्य, यदि सकारात्मक (शून्य, यदि एमटीएम नकारात्मक है) और नीचे दी गई तालिका 4 के आधार पर संभावित भविष्य के एक्सपोजर अतिरिक्त कारक, के योग के रूप में की जाएगी:

सारणी 4: संरक्षण खरीदारों के लिए अतिरिक्त कारक (सीडीएस के नोशनल मूलधन के % के रूप में)

संदर्भ दायित्व के प्रकार	अतिरिक्त कारक
बीबीबी- और उससे ऊपर की रेटिंग वाले दायित्व	10%
बीबीबी- से नीचे और बिना रेटिंग वाले	20%

नोट: संदर्भ दायित्वों या सीडीएस संविदा की परिपक्वता की परवाह किए बिना अतिरिक्त कारक समान होंगे।

एफ. सीडीएस में संपार्श्विक लेनदेन के लिए प्रतिपक्ष जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार

13. ओटीसी बाजार में कारोबार किए गए सीडीएस के लिए प्रतिपक्ष एक्सपोजर की गणना वर्तमान एक्सपोजर विधि के अनुसार की जाएगी। इस पद्धति के तहत, संपार्श्विक को ध्यान में रखते हुए, एक व्यक्तिगत संविदा के लिए प्रतिपक्ष ऋण जोखिम शुल्क की गणना इस प्रकार होगी:

प्रतिपक्ष जोखिम पूंजी शुल्क = [(आरसी + ऐड-ऑन) - सीए] x आर x 15% जहां:

आरसी = प्रतिस्थापन लागत,

ऐड-ऑन = संभावित भविष्य के जोखिम के लिए राशि की गणना ऊपर पैरा 10 और 12 के अनुसार की जाती है।

सीए = इन निदेशों के पैरा 32 से 51 में निर्धारित व्यापक दृष्टिकोण के तहत पात्र संपार्श्विक की अस्थिरता समायोजित राशि या शून्य यदि लेनदेन के लिए कोई योग्य संपार्श्विक लागू नहीं होता है, और आर = प्रतिपक्ष का जोखिम वजन।

जी. भौतिकता सीमा से नीचे जोखिम की व्यवस्था

14. भुगतान के लिए 'मटेरियैलिटी सीमा' अर्थात् भुगतान की वह न्यूनतम सीमा, जिससे कम नुकसान होने पर कोई भुगतान नहीं किया जाता, वास्तव में 'प्रतिधारित पहले नुकसान की स्थिति' के बराबर होती है, और पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य से, सुरक्षा खरीदने वाले को इस पर 667% का जोखिम भार लगाना चाहिए (यह $1/0.15 \times 100$ के अनुसार है, क्योंकि एसपीडी के लिए कम से कम सीआरएआर की आवश्यकता 15% है)।

एच. क्रेडिट इवेंट के बाद विवेकपूर्ण कार्रवाई

एच.1 संरक्षण

15. अगर सीडीएस संविदा में तय समय के भीतर क्रेडिट इवेंट का भुगतान नहीं मिलता है, तो संरक्षण खरीदार को सीडीएस के क्रेडिट संरक्षण को नज़रअंदाज़ करना होगा और अंतरनिहित आस्ति पर क्रेडिट एक्सपोज़र का हिसाब लगाना होगा। साथ ही, उस एक्सपोज़र के लिए ज़रूरी पूंजी और प्रावधान का सही स्तर बनाए रखना होगा। क्रेडिट इवेंट का भुगतान मिलने पर, (ए) अगर अंतरनिहित आस्ति प्रोटेक्शन बेचने वाले को सौंप दी गई है, तो उसे बुक्स से हटा दिया जाएगा; या (बी) अगर क्रेडिट इवेंट पेमेंट से अंतर्निहित आस्ति की बुक मूल्य पूरी तरह कवर नहीं होती है, तो बुक मूल्य को मिले भुगतान की रकम तक कम कर दिया जाएगा और कम हुए मूल्य के लिए सही प्रावधान बनाए रखे जाएंगे।

एच.2 संरक्षण विक्रेता

16. क्रेडिट इवेंट की तिथि से लेकर सीडीएस संविदा के अनुसार क्रेडिट इवेंट संबंधी भुगतान किए जाने

तक, संरक्षण विक्रेता लाभ एवं हानि खाते में डेबिट संबंधी प्रविष्टि करेगा तथा संरक्षण खरीदार को दी जाने वाली देयता को संविदा के उचित मूल्य (क्रेडिट संरक्षण की नाममात्र राशि में से अपेक्षित वसूली मूल्य घटाने के पश्चात) के बराबर राशि का निर्धारण करेगा। यदि क्रेडिट इवेंट की तिथि के पश्चात प्रदेय दायित्व (भौतिक निपटान के मामले में)/संदर्भित दायित्व (नकद निपटान के मामले में) का उचित मूल्य उपलब्ध न हो, तो उक्त मूल्य उपलब्ध होने तक संरक्षण खरीदार बेचे गए संरक्षण की संपूर्ण राशि को लाभ एवं हानि खाते में से डेबिट करेगा तथा उसी राशि के बराबर संरक्षण विक्रेता को दी जाने वाली देयता का निर्धारण करेगा।

17. भौतिक निपटान की स्थिति में, क्रेडिट इवेंट संबंधी भुगतान किए जाने के पश्चात, संरक्षण विक्रेता, संरक्षण खरीदार से प्राप्त आस्तियों, यदि कोई हो तो, के उचित मूल्य का निर्धारण करेगा। इसके बाद, संरक्षण विक्रेता इन आस्तियों पर कॉर्पोरेट बॉण्डों के लिए लागू उपयुक्त विवेकपूर्ण उपचार लागू करेगा।

आई. एक्सपोज़र मानदंड

18. कोई भी एसपीडी प्राथमिक बाजार में कॉर्पोरेट बॉण्ड के निर्गम की तिथि में उस पर सीडीएस का निर्गम करके क्रेडिट संरक्षण का विक्रय नहीं करेगा और न ही बॉण्ड के निर्गम से पूर्व अथवा निर्गम के समय भविष्य में ऐसे संरक्षण के निर्गम का कोई वचन देगा। एक्सपोज़र मानदंडों के अनुपालन के प्रयोजन से, सभी सीडीएस संविदाओं के कारण उत्पन्न एक्सपोज़र को संदर्भित इकाई के अन्य तुलन-पत्रगत तथा तुलन-पत्रेतर एक्सपोज़रों के साथ समेकित किया जाएगा।

आई.1 संरक्षण खरीदार

19. संरक्षण खरीदार के लिए एक्सपोज़र मानदंड निम्नानुसार होंगे::

- (i) पैरा 7(ii) में उल्लिखित ट्रेडिंग बुक में हेज की गई देयताओं के संबंध में, संरक्षण खरीदार संदर्भित इकाई पर किसी एक्सपोज़र की गणना नहीं करेगा। एक्सपोज़र को, उपलब्ध संरक्षण की सीमा तक संरक्षण विक्रेता को अंतरित माना जाएगा।
- (ii) अन्य सभी मामलों में, जहाँ ट्रेडिंग बुक की देयताओं का हेज सीडीएस स्थितियों के माध्यम से किया गया है, संरक्षण खरीदार आधारभूत आस्ति की बकाया स्थिति के बराबर संदर्भित इकाई पर एक्सपोज़र की गणना करता रहेगा।
- (iii) ट्रेडिंग बुक में धारित सभी क्रीत सीडीएस स्थितियों (हेज की गई तथा गैर-हेज की गई) के संबंध में, संरक्षण खरीदार पैरा 12 में दी गई सारणी 4 के आधार पर संभावित भावी एक्सपोज़र के ऐड-ऑन गुणकों का उपयोग करते हुए वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति के अनुसार सीडीएस संविदाओं

के प्रतिपक्षकारों के प्रति एक्सपोज़र की भी गणना करेगा।

(iv) आधारभूत आस्ति पर एक्सपोज़र में राहत प्राप्त करने के लिए, संरक्षण खरीदार को उपर्युक्त पैरा (i) के अनुसार एक्सपोज़र को पूर्णतः संरक्षण विक्रेता को अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित सभी मानदंडों का सतत आधार पर अनुपालन करना होगा। यदि बाद में इनमें से किसी भी मानदंड का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो पीडी को आधारभूत आस्ति पर एक्सपोज़र की गणना करनी होगी। अतः पीडी यह सुनिश्चित करेंगे कि सीडीएस के माध्यम से कवर किए एक्सपोज़र सहित किसी भी ऋणदाता के प्रति कुल एक्सपोज़र, पीडी के निदेशक मंडल द्वारा उपयुक्त मानी गई आंतरिक एक्सपोज़र सीमा के भीतर रहे, ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित एकल/ समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन न हो। यदि एकल/ समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन होता है, तो सीमा से अधिक संपूर्ण एक्सपोज़र पर 667 प्रतिशत का जोखिम भार लागू किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार के उपचार के परिणामस्वरूप पीडी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी अपेक्षा का उल्लंघन न हो, सामान्य एक्सपोज़र सीमा से अधिक एक्सपोज़र ग्रहण करने की स्थिति में उसे पर्याप्त पूंजी बफर बनाए रखना चाहिए।

(v) ट्रेडिंग बुक में धारित ऐसी क्रीत सीडीएस पोज़ीशन के संबंध में, जिनका उद्देश्य हेजिंग नहीं है, संरक्षण खरीदार संदर्भित इकाई के विरुद्ध किसी भी एक्सपोज़र की गणना नहीं करेगा।

(vi) एक्सपोज़र मानदंडों के अनुपालन के प्रयोजन से, समान प्रतिपक्षकार के साथ की गई संविदाओं के धनात्मक तथा ऋणात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्यों का समायोजन, जिसमें हेज की गई स्थितियाँ भी सम्मिलित हैं, अनुमत नहीं होगा।

आई.2 संरक्षण विक्रेता

20. संरक्षण विक्रेता के लिए एक्सपोज़र मानदंड निम्नानुसार होंगे:

(i) संरक्षण विक्रेता, बेचे गए क्रेडिट प्रोटेक्शन की राशि के बराबर सीडीएस संविदा की संदर्भित इकाई के प्रति एक्सपोज़र को मान्यता देगा।

(ii) यदि कोई बाजार निर्माता ट्रेडिंग बुक में सीडीएस की ऐसी दो पूर्णतः समान किंतु विपरीत पोज़ीशन रखता है, जो पैरा 7(i) के अनुसार पूंजी पर्याप्तता उपचार हेतु पात्र हेज स्थिति का निर्माण करती हैं, तो संदर्भित इकाई के किसी भी एक्सपोज़र की गणना नहीं की जाएगी।

(iii) संरक्षण विक्रेता के रूप में पीडी, पैरा 10 में दी गई सारणी 3 के आधार पर संभावित भावी एक्सपोज़र के ऐड-ऑन गुणकों का उपयोग करते हुए वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति के अंतर्गत परिकलित कुल क्रेडिट एक्सपोज़र के बराबर प्रतिपक्षकार के प्रति एक्सपोज़र का भी निर्धारण करेगा। एक्सपोज़र मानदंडों के अनुपालन के प्रयोजन से समान प्रतिपक्षकार के साथ की गई

संविदाओं के धनात्मक तथा ऋणात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्यों का समायोजन अनुमत नहीं होगा।

जे. रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ

21. ऐसे सभी मामलों में, जहाँ एसपीडी ने सीडीएस अथवा क्रेडिट जोखिम अंतरण के किसी अन्य अनुमत लिखत के माध्यम से प्राप्त क्रेडिट संरक्षण के कारण सामान्य एकल/ समूह एक्सपोज़र सीमाओं से अधिक उधारकर्ताओं के प्रति एक्सपोज़र ग्रहण किया हो, वह तिमाही आधार पर “कुल एक्सपोज़र” की सूचना पर्यवेक्षण विभाग को देगा।

के. प्रकटीकरण

22. एसपीडी अपने द्वारा किए गए सीडीएस संव्यवहारों संबंधी विवरण, परिशिष्ट 1 के अनुसार, अपने तुलन-पत्र में उल्लिखित ‘लेखाओं पर टिप्पणियाँ’ में प्रकट करेंगे।



परिशिष्ट 1

(संदर्भ पैरा 22)

वार्षिक वित्तीय विवरणों में किए जाने वाले प्रकटीकरण का प्रारूप

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	संरक्षण खरीदार के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में
1.	वर्ष के दौरान लेनदेनों की संख्या ए) ऐसे लेनदेन जिनका निपटान भौतिक रूप से किया गया है/ किया जा सकता है, बी) नकद निपटान किए गए		
2.	वर्ष के दौरान खरीदे/ बेचे गए संरक्षण ए) ऐसे प्रोटेक्शन जिनका निपटान भौतिक रूप से किया गया है/ किया जा सकता है, बी) नकद निपटान किए गए		
3.	लेन-देन की संख्या जहाँ वर्ष के दौरान क्रेडिट इवेंट का भुगतान प्राप्त/ किया गया था, ए) वर्तमान वर्ष के लेन-देन से संबंधित, बी) पिछले वर्ष (वर्षों) के लेन-देन से संबंधित।		



4.	वर्ष से अब तक के सीडीएस लेन-देन के संबंध में निवल आय/ लाभ (व्यय/ हानि): ए) प्रीमियम का भुगतान/ प्राप्त होना बी) क्रेडिट इवेंट भुगतान: • किया गया (वास्तविक आस्ति के मूल्य का निवल) • प्राप्त (डिलीबेरबल दायित्व के मूल्य का निवल)		
5	31 मार्च तक बकाया लेनदेन: ए) लेन-देन की संख्या बी) संरक्षण की राशि		
6.	वर्ष के दौरान बकाया लेन-देन का उच्चतम स्तर: ए) लेन-देन की संख्या (.....के अनुसार) बी) संरक्षण की राशि (.....के अनुसार)		